


रुग्ण समाज और उसका कायाकल्प



- पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य

: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

VICHARKRANTI PUSTAKALAY
SURAT, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,
Uttaranchal, India – 249411
Phone no : 91-1334- 260602,
Website : www.awgp.org
E-mail : shantikunj@awgp.org

Gayatri Tapobhumi,
Mathura, U.P., India – 281003
Phone no : 91-0565-2530128,
Website : www.awgp.org
E-mail : yugnirman@awgp.org

: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalay, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India
E-mail: vicharkranti.awgp@gmail.com | Website : www.vicharkrantibooks.org

रुग्ण समाज और उसका कायाकल्प

००

लेखक :
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००

००

२०१०

मूल्य : ३३.०० रुपये

दो शब्द

हिंदू समाज आज पतनावस्था से ग्रस्त है। जिस जाति के पास वेद, उपनिषद्, गीता का लोकोत्तर ज्ञान-भंडार मौजूद है और जिसका मार्ग-दर्शन गत शताब्दी में भी राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और वर्तमान शताब्दी में गाँधी और तिलक जैसे महामानवों ने किया है, वह जाति अभी तक कुरीतियों, अंधविश्वासों तथा भ्रष्टाचार के इतने गहरे गर्त में पड़ी रहे, यह वास्तव में एक बड़ी शोचनीय और आश्चर्य की बात है। जबकि हम देख रहे हैं कि जात-पात की प्रथा और वैवाहिक कुरीतियाँ हमारी जड़ को खोखली किये देती हैं; पंडे-पुजारियों का धर्म के नाम पर झूठा ढोंग हमारी सर्वोच्च आध्यात्मिक संस्कृति को बदनाम कर रहा है; भिक्षुक-समाज धर्म के नाम-असंख्य धन-संपदा को बर्बाद करते हुए सर्वसाधारण में तरह-तरह के दोषों की वृद्धि कर रहा है और इतने पर भी हमारी आँखें नहीं खुलती, तो यही कहना पड़ेगा कि हमारा सामाजिक-रोग बहुत गहरा पहुँचा है और यह कोरे उपदेशों से दूर नहीं हो सकेगा। इसीलिए प्रत्येक विवेकशील समाज हितैषी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इस संबंध में सावधान और सन्नद्ध होकर, इन दोषों के निराकरण के लिए तैयार हो। इस पुस्तक में पाठकों को उपर्युक्त दोषों के संबंध में ऐसी जानकारी की बातें मिलेंगी, जिनसे उन्हें स्वयं परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव होगा और वे दूसरों को भी समझा सकने में समर्थ होंगे। इस प्रकार जब बहुसंख्यक समाज हितैषी व्यक्ति इस कार्य का भार अपने कंधों पर उठायेंगे और क्रियात्मक रूप में इन दोषों को मिटाने का प्रयत्न करेंगे, तभी उनका निराकरण संभव होगा।

—लेखक

विषय-सूची

१. व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी सुधारा जाए	४
२. आध्यात्मिकता और आस्तिकता की महान् शक्ति	१४
३. आलस्य और गंदगी मनुष्य के बड़े शत्रु हैं	२३
४. हिंदू समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा—ऊँच-नीच की भावना	३०
५. नारी तिरस्कार समाज पर कुठाराघात है	३६
६. अंधविश्वास समाज का घोर पतन कर रहा है	४८
७. धर्म के नाम पर ठगी का व्यापार बंद किया जाए	५३
८. नागरिकता के नियमों का पालन सभ्यता का चिह्न है	६१
९. अपव्यय हमारी मूर्खता का परिचायक है	६८
१०. नशेबाजी एक भयंकर खतरा है	७६
११. अश्लीलता से जातीय चरित्र की अवनति	८४
१२. इस युग के दो बड़े अभिशाप—मिलावट और भ्रष्टाचार	९१
१३. मांसाहार और हिंसा के कुपरिणाम	९८
१४. पशु-बलि धर्म पर कलंक है	१०६
१५. दान का दुरुपयोग और भिक्षाजीवियों की समस्या	११६
१६. मृतक-भोज की हानिकारक परंपरा	१२५
१७. वैवाहिक कुश्रितियों से समाज को बचाइए	१३२
१८. विवाह प्रथा को समयानुकूल बनाया जाए	१४०
१९. बाल-विवाह का भयंकर राक्षस	१४८
२०. समाज को शक्तिशाली बनाने वाली—शुद्धि-प्रथा	१५७
२१. हरिजनों का तिरस्कार—न्याय और विवेक का अपमान है	१६६
२२. समाज को खोखला होने से बचाया जाए	१७२

व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी सुधारा जाए

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समूह बनाकर मिल-जुल कर रहने की प्रवृत्ति ही उसकी वह मूलभूत विशेषता है, जिसके कारण बौद्धिक विकास से लेकर भौतिक सुख-साधन एकत्रित कर सकने की अगणित सुविधाएँ एवं सफलताएँ उसने उपलब्ध की। कहते हैं कि मनुष्य में बुद्धिबल अधिक है, क्योंकि सृष्टि में असंख्य प्राणी ऐसे हैं, जिनमें अपनी मानसिक विशेषताएँ हैं और उनमें वे मनुष्य से कहीं अधिक समुन्नत हैं। हर पशु-पक्षी-कीट-पतंग में ऐसी आश्चर्यजनक भौतिक विशेषताएँ किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें देखकर कहना पड़ता है कि इतने अंश में वह मनुष्य से बहुत आगे है। इतना होते हुए भी उनमें से कोई भी वैसी प्राप्ति न कर सका जैसी मनुष्य ने की है। इसका एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य में सामाजिकता का गुण है। वह समूह बनाकर रहता है। एक-दूसरे के ज्ञान, सहयोग, स्नेह और पुरुषार्थ का लाभ परस्पर आदान-प्रदान करते रहने के कारण ही मानव जाति को इतनी प्राप्ति संभव हो सकी है।

व्यक्तिगत रूप से मनुष्य दूसरे अन्य अनेक प्राणियों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। न वह बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ सकता है, न कुत्ते की तरह दौड़ सकता है, न सिंह की तरह बलवान् ही है। पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना और मछली की तरह पानी में रह सकना भी उसके बस की बात नहीं। मनुष्य का बच्चा वर्षों तक परावलंबी रहता है, यदि दूसरे उसका पालन-पोषण न करें, तो उसका जीवित रह सकना भी संभव न हो, जबकि अन्य प्राणियों के बच्चे अपनी माता का थोड़ा-सा सहयोग कुछ ही समय तक लेकर स्वावलंबी जीवन बिताने लगते हैं। इतने पर भी मनुष्य सृष्टि का

मुकुटमणि बना हुआ है। इसका कारण उसका कुटुंब एवं समाज बनाकर रहना है। ऐसे नीति-नियमों का अभ्यस्त बनना है, जिनके कारण सब लोगों का परस्पर स्नेह-सहयोग के साथ मिल-जुलकर रह सकना संभव हो सके। यही प्रकृति उसकी प्रगति के सारे साधन जुटाती है। सोचना, बोलना, पढ़ना, गाना एवं कृषि, व्यापार, शिल्प, विज्ञान आदि की सफलताएँ प्राप्त कर सकना उसके लिए तभी तक संभव हो सका, जब तक परस्पर आदान-प्रदान की प्रवृत्ति दृढ़तापूर्वक काम करती रही। यदि यह सामाजिकता की विशेषता न रही होती, तो समस्त मनुष्य जाति आज भी लखनऊ में सोलह वर्षीय बालक रामू की तरह हेय स्थिति में पड़ी होती। बेचारा रामू जब कुछ ही महीने का था, तब एक भेड़िया मादा उसे उठा ले गई थी। संयोगवश उसने उसे खाया नहीं, वरन् पाल लिया। आठ वर्ष तक वह भेड़ियों के साथ ही रहा और उनकी ही आदतें सीखता रहा। शिकारियों द्वारा जब उसे पकड़ा गया, वह अस्पताल में पहुँचाया गया तो देखा गया कि उसका बौद्धिक विकास और शारीरिक आकार बिल्कुल भेड़ियों जैसा है। मनुष्य जैसी आदतें सिखाने का प्रयत्न कई वर्षों तक किया गया किंतु अभी बहुत कम ही सफलता मिली।

सामाजिकता मानवीय प्रगति की एक मात्र जननी है। उस प्रवृत्ति को सुव्यवस्थित, सुनियंत्रित एवं सुविकसित रखने के लिए ही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, शासन, कानून आदि का आविष्कार किया गया है। संसार में शांतिप्रद प्रगति तभी तक दिखाई पड़ती है, जब तक लोगों में सामाजिकता के प्रति आवश्यक निष्ठा जगी रहती है, वे इस संबंध में आवश्यक कर्तव्य एवं संयम बरतते रहते हैं, जब इस दिशा में उपेक्षा और उच्छृंखलता बरती जाने लगती है, तब अनेक प्रकार के क्लेश एवं शोक-संताप उठ खड़े होते हैं। इतनी तरह की समस्याएँ और उलझनें उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण मनुष्य दिन-दिन पतन, कष्ट एवं विनाश की ओर जाने लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मूर्धन्य विचारशील लोग यह प्रयत्न करते रहते हैं कि मानव जाति की निष्ठा सामाजिक

कर्तव्यों के प्रति अक्षुण्ण बनी रहे। जो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके सुधार का भी समय-समय पर इसीलिए प्रयत्न किया जाता रहता है। ऋषियों, देवदूतों एवं अवतारों का अवतरण भी इसी उद्देश्य के लिए होता है। सामाजिक कर्तव्यों के पालन करने पर ही तो सामाजिकता टिकी रह सकती है। व्यक्तियों द्वारा उच्छृंखलता बरते जाने पर सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगेगी, तो सर्वत्र अशांति ही उत्पन्न होगी और पाप, छल, अनाचार, युद्ध, शोषण, उत्पीड़न जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ जाने पर सर्वनाश की परिस्थितियाँ ही सामने आ खड़ी होंगी।

जिस प्रकार शरीर के विभिन्न छिद्रों में से निकलते रहने वाली गंदगी को बारंबार साफ करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार समाज में धीरे-धीरे उत्पन्न होने और बढ़ने वाली गंदगियों की भी समय-समय पर सफाई करते रहना आवश्यक होता है। बर्तन और कपड़े जिस प्रकार धीरे-धीरे मैले होते हैं और उनकी रोज-रोज सफाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार समाज में भी धीरे-धीरे विकृतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं और थोड़े-थोड़े समय बाद इनके सुधार के लिए तीव्र प्रयत्न करने होते हैं। समय-समय पर समाज सुधार के आंदोलन सृष्टि के आदि से लेकर अब तक होते रहे हैं। यदि वे न होते, सफाई के क्रम की उपेक्षा की गई होती, तो मनुष्य जाति अपनी विशेषताएँ खो बैठती। सामाजिकता के विकृत एवं विपन्न हो जाने पर मनुष्य परस्पर ही लड़-मरकर समाप्त हो जाते या सहयोग के अभाव में प्रगति का पथ अवरुद्ध होकर, अभावग्रस्त पिछड़ा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता। वैसी दशा में संभव है मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाने का संकट सामने आ उपस्थित होता।

समाज का जैसा ढर्रा चला रहता है, उसी प्रवाह में साधारण मनोबल के व्यक्ति लुढ़कने लगते हैं। हवा का रुख जिधर चल रहा होता है, पत्ते, तिनके उसी ओर उड़ने लगते हैं। पानी की धारा जिस दिशा में बहती है, उसी दिशा में उसमें पड़ी हुई छोटी-मोटी

वस्तुएँ भी बहती चली जाती हैं। मनुष्य समाज का भी प्रायः ऐसा ही क्रम चलता है। बालक उत्पन्न होने के बाद अपने आस-पास के लोगों से बोलना, सोचना, चाहना और करना सीखता है। जैसा वातावरण चारों ओर होता है, उसी ढाँचे में बालक ढलते हैं, धीरे-धीरे उनका स्वभाव, संस्कार वैसा ही बन जाता है। ऐसे मनस्वी कोई विरले ही होते हैं, जो अपनी स्वतंत्र चेतना एवं विवेक बुद्धि से हर बात पर सौचते हैं और उचित-अनुचित का विश्लेषण कर केवल जो उपयुक्त हो उसे ही अपनाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या सदा उँगलियों पर गिनने लायक रहती है। आमतौर से होता यही है कि आस-पास के वातावरण में लोग ढल जाते हैं और जो कुछ देखते-सुनते हैं, उसे उचित, उपयुक्त मानकर अपना लेते हैं। धीरे-धीरे उस वातावरण का अभ्यास और पक्षपात ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा यदि उसकी आलोचना करे या भूल बताए तो उसे ही अधर्मी, अविवेकी आदि कहने लगते हैं और कितनी ही बार ऐसे सुधारकों का विरोध भी करते, उन्हें सताते भी हैं। ईसा मसीह, सुकरात, मंसूर, बुद्ध, ज्ञानेश्वर, दयानंद, गाँधी, मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन जैसे अगणित सुधारकों को मर्मांतक उत्पीड़न सहना पड़ा, कुछ को तो अपने प्राण तक गँवाने पड़े।

मनुष्य स्वभाव में जहाँ अनेक अच्छाइयाँ हैं, वहाँ उसमें यह बुराई भी है कि वह अपनी विकृतियों, भूलों और दुर्बलताओं की उपेक्षा करता है। उपेक्षा ही नहीं करता वरन् कई बार तो बुराइयों को भी अच्छाई मानकर उनका कई तरह की औंधी-सीधी दलीलें देकर समर्थन तक करने लगता है। इसी दुर्बलता के कारण विकृतियाँ बढ़ती रहती हैं और अनुपयुक्त वातावरण विनिर्मित होता रहता है। यदि विवेकपूर्वक गुण-अवगुण का, उचित-अनुचित का विवेचन किया जाता रहे और संशोधन साथ का साथ होता रहे तो अनुपयुक्तता का अंबार जमा न हो जाया करे, पर किया क्या जाए ? अच्छाइयों के साथ-साथ यह बुराई भी उसके पल्ले बँधी है। मानवीय प्रगति में सबसे बड़ी बाधा इसी कमजोरी से उत्पन्न की

है। अन्यथा अब तक मानव-समाज आदर्श बन गया होता और इसी धरती पर स्वर्ग के दृश्य देखने को मिलते।

यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि भली या बुरी परिस्थितियाँ मनुष्य के व्यक्तित्व के उत्कृष्ट होने पर निर्भर हैं। ओछे और निम्नस्तरीय व्यक्तित्व सदा अभाव, असहयोग एवं अशांति से उद्विग्न पाये जाते हैं, जबकि सदगुणी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से समस्त प्रकार की सुविधाएँ एवं विभूतियाँ उपलब्ध करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। व्यक्तियों का जो स्तर एवं रवैया होता है, उसी आधार पर समाज के उत्कृष्ट और निकृष्ट होने का मूल्यांकन किया जाता है। जैसी सामाजिक स्थिति होती है, उसी के अनुकूल व्यक्ति ढलने लगते हैं। जैसे व्यक्ति होते हैं वैसा ही समाज बन जाता है। यह ऐसा अन्योन्याश्रय चक्र है कि दोनों में से किसी को गौण नहीं माना जा सकता। व्यक्ति अच्छे होंगे तो समाज अच्छा बनेगा। समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छे बनेंगे। दोनों तथ्य एक-दूसरे पर आधारित हैं। इसलिए एक को ठीक करने से काम न चलेगा वरन् दोनों ही दिशा में समान रूप से प्रयत्न करने होते हैं। व्यक्तियों को सुधारने के लिए धर्म, अध्यात्म, कर्तव्य की प्रेरणा तथा गुण, कर्म, स्वभाव के परिष्कार का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जीवन विद्या इसी कला का नाम है। प्राचीन काल में हजारों ऋषि-मुनि अपना समस्त जीवन इसी महान् तत्त्वज्ञान से जन-जन के अंतःकरण को प्रशिक्षित करने के लिए विविध विध धर्मोपचार में लगा देते थे। अब यदि हमें मनुष्य जाति का उज्ज्वल भविष्य देखना हो तो व्यक्ति निर्माण के आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रयत्न पुनः आरंभ करने होंगे। व्यक्ति की आंतरिक अवस्थाएँ ढीले-ढाले कानूनों या उथले लेक्चरों से नहीं बदली जा सकती, उसके लिए जीवन-दर्शन को परिवर्तित करने वाले प्राचीन काल जैसे धर्मोपचारों को ही कार्यान्वित करना होगा और साधु-ब्राह्मण पद्धति से जन-जागरण का प्रयास किया जाए, तभी उससे कुछ ठोस परिणाम निकलने की आशा की जा सकती है।

उत्कृष्ट व्यक्तित्व हो तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण कर सकते हैं। दीपक से ही तो दीपक जल सकता है।

व्यक्ति के साथ-साथ समाज-सुधार के प्रयत्न भी जारी रहने चाहिए, क्योंकि समाज का वातावरण भी बड़ा प्रभावशाली होता है और यदि वह दूषित हो तो व्यक्ति के निर्माण में भारी अड़चन पड़ती है। जिस प्रकार बुरे व्यक्तियों से भरे हुए देश का समाज निर्माण-कठिन होता है, वैसे ही दूषित सामाजिक वातावरण में अच्छे व्यक्तियों का निर्वाह भी कठिन हो जाता है। गाड़ी के दो पहियों की तरह जब दोनों प्रयत्न साथ-साथ चलें, तभी आशाजनक परिणाम निकलेगा। अपना देश पिछले दो हजार वर्ष के अज्ञानांधकार युग में से निकल कर आ रहा है। इस अवधि में उसे बुरे से बुरे दुर्दिन देखने को मिले हैं। इस लंबे कुसमय ने अगणित दुष्प्रवृत्तियाँ और कुरीतियाँ हमारे समाज पर छोड़ी हैं। सब मिलाकर देखने से, सूक्ष्म विश्लेषण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चेचक के बीमारी की तरह हमारे अंग-अंग में पीप-युक्त विस्फोटक व्रण भरे पड़े हैं और उनकी व्यथा-वेदना से सारा समाज बुरी तरह कराह रहा है। इस स्थिति ने भारतीय जनता की सुख-शांति का अपहरण करके, उसकी प्रगति का मार्ग एक प्रकार से सर्वथा अवरुद्ध ही कर रखा है।

इस स्थिति को सुधारा जाना आवश्यक है, अन्यथा उज्ज्वल भविष्य की आशा करना व्यर्थ है। दुष्प्रवृत्तियों और कुरीतियों से ग्रस्त जो वातावरण बनता है, उसका प्रभाव जन-साधारण पर पड़े बिना नहीं रह सकता। दूषित-दुष्ट परंपराओं में पली हुई, अनाचार, अंध-विश्वास और मूढ़-मान्यताओं से प्रभावित पीढ़ियाँ निकृष्ट, अहंकारी, दुर्गुणी और विकृत व्यक्तित्व लिए रहेंगी। आज हमारे समाज में करोड़ों ऐसे सवर्ण कहलाने वाले व्यक्ति हैं, जो गुण, कर्म, स्वभाव से निकृष्टतम स्तर के ही माने जा सकते हैं, पर वे इसी बात के अहंकार में रहते हैं कि उनका जन्म किसी बहुत ऊँचे कुल में हुआ है, इसलिए वे सबमें ऊँचे या श्रेष्ठ हैं। उन्हें इतनी बात का बड़ा गर्व

रहता है कि वे किसी का छुआ पानी नहीं पीते या भोजन नहीं करते। उनकी दृष्टि में यही बहुत बड़ी बात है और इसी पर गर्व करने एवं अपने को बड़ा मानने का अधिकार है। इस प्रकार की भ्रांतियों से निम्न लोग अपनी कमियों और दुर्बलताओं का अनुभव तक नहीं करते, फिर उनका विकास मार्ग खुले तो खुले कैसे ?

विवाह-शादियों को ही लीजिए हिंदू समाज के लिए यह साधारण-सा पारिवारिक उत्सव, एक कमर तोड़ भार एवं अभिशाप बना हुआ है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के विवाह में इतना खर्च करना पड़ता है कि आर्थिक दृष्टि से उसका सारा संतुलन ही बिगड़ जाता है। जितना पैसा इस बेकार की हाहा-हूहू में होली की तरह फूँका जाता है, यदि उसे सुनियोजित ढंग से परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय आदि कार्यों में लगाया जाए तो प्रगति के सुनहरे दृश्य दिखाई पड़ने लगें। मुंडन, जनेऊ, मृतक, श्राद्ध जैसे साधारण संस्कारों के अवसरों पर लोग बेहिसाब पैसा बर्बाद करते हैं। भारत जैसे गरीब देश की आमदनी इतनी नहीं कि गुजारे के अतिरिक्त लोग इस प्रकार की मूर्खता भरी बर्बादी के लिए भी अनाप-शनाप धन जुटा सकें। रिवाजों तो पूरी करनी ही होती हैं। अतएव आमतौर से बेईमानी का तरीका अपनाना पड़ता है। मजबूरी के लिए बेईमानी करने के बाद फिर उसकी आदत बन जाती है और धीरे-धीरे उसकी परंपरा चल पड़ती है, जिससे समाज का सदाचार और आदर्श ही बर्बाद होने लगता है।

अन्य परंपराएँ मनुष्य को अविवेकी बनाती हैं। दुराग्रही और पक्षपाती व्यक्ति उचित और सही बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। यह सूर्य और चंद्रमा की तरह सत्य है कि हर मनुष्य मूलतः समान अधिकार लेकर जन्मा है। ईश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं। उनका नागरिक स्तर भी समान है। इस जन्म-जात, न्याय-संगत समानता को अविवेकपूर्ण एवं अनैतिक असमानता में बदल देने का सारा दोष अंध-परंपराओं और भ्रांत मान्यताओं को ही

है। भारतीय समाज का आधा अंग नारी समाज पर्दा-धूँघट में बंद पिंजरे में पले हुए और रस्सी में बँधे हुए पक्षियों जैसा पराधीन, परमुखापेक्षी जीवन व्यतीत करता है। जिस जाति के आधे अंग को एक प्रकार का लकवा मार गया हो, उसकी दुर्गति होनी स्वाभाविक ही है। उसी प्रकार भारतीय समाज में दो तिहाई सवर्ण और एक तिहाई अछूत एवं उपेक्षित वर्ण के लोग हैं, जिन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। वे साथ बैठ नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुएँ से पानी नहीं ले सकते और भी अनेक प्रकार से वे एक प्रकार से बहिष्कृत जीवन ही व्यतीत करते हैं। एक तिहाई अपने ही समाज को इस प्रकार पद-दलित, उपेक्षित एवं बहिष्कृत बना रखा हो, वह समाज न तो सभ्य कहलाने का अधिकारी है और न न्यायशील या विचारवान्। ऐसी दशा में उसका भविष्य भी कैसे उज्ज्वल बनेगा ?

भारतीय-समाज की कुछ कुरीतियों का दिग्दर्शन ऊपर की पंक्तियों में कराया गया है। छुट-पुट तो अगणित कुरीतियों की शृंखला सर्वत्र बिखरी हुई है। उनके कारण कितनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं नैतिक हानि होती है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इन कुरीतियों के कारण जो हानि होती है, वह यदि बच गई होती और समय, श्रम, समझ एवं धन का उपयोग रचनात्मक कार्यों में हुआ होता, तो निःसंदेह भारतीय समाज आज संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर चुका होता। पर किया क्या जाए ? दुर्भाग्य की तरह यह कुरीतियाँ हमारे पीछे लगी हुई हैं और अनेक प्रयत्न करने पर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ने देतीं।

रीति-रिवाजों की कुरीतियाँ और अंध-विश्वास भरी मूढ़ मान्यताएँ आज हिंदू-समाज का एक अंग बन गई हैं। उन्होंने अपना स्थान ऐसा बना लिया है, मानो वे धर्म का ही एक अंग हों। जो इन कुरीतियों का खंडन करता है, वह ऐसा बुरा लगता है, मानो अपने धर्म का ही खंडन कर रहा हो। इस विचार-पद्धति को बदला ही जाना चाहिए और उसके स्थान पर औचित्य, न्याय, सत्य एवं

विवेक के आधार पर किसी बात को परखने एवं स्वीकार करने की शैली अपनाई जानी चाहिए।

जिस प्रकार प्रथा-परंपराओं के संबंध में हमारा समाज अगणित विकृतियों और भ्रांतियों का शिकार बना हुआ है, उसी प्रकार सदाचार एवं कर्तव्य संबंधी उपेक्षा बरतने एवं कुमार्गगामी होने में भी हम आगे ही बढ़े हुए हैं। हो सकता है कि दूसरे समाज और दूसरे देशों में अनैतिकता पनप रही हो, पर इससे क्या ? तुलना उनके विकास एवं गुणों के साथ करनी चाहिए। बुराइयों की तुलना क्यों करें ? हमें तो अपनी बात देखनी और अपने भविष्य का विचार करना है। इसलिए इन कुरीतियों और दुष्प्रवृत्तियों को हटाना है, जिनके कारण हमें प्रगति की घुड़दौड़ में पग-पग पर पिछड़ना पड़ रहा है। आज अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, व्यसन, व्यभिचार, फैशन, विलासिता, असंयम, अशिष्टता, उच्छृंखलता, चोरी, हरामखोरी, छल, विश्वासघात, कृतघ्नता आदि कितनी ही अनैतिक बुराइयों दिन-दिन जोर पकड़ती जा रही हैं। फलस्वरूप द्वेष, क्लेश और संघर्ष का बाहुल्य होता चल रहा है। एक की देखा-देखी दूसरा इन्हें सीखता और अपनाता है। जब किसी बात का प्रचलन बहुत बढ़ जाता है, तब वह स्वाभाविक परंपरा जैसी प्रतीत होने लगती है। आज अनाचार एक अभ्यस्त स्वाभाविक क्रम जैसा बन चला है, फलस्वरूप यह सब कुछ एक परंपरा के रूप में विकसित होकर अगणित प्रकार के क्लेश, कलह, द्वेष, दुर्भाव एवं शोक-संताप की परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है। सामाजिक दृष्टि से हम दिन-दिन पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसी दशा में प्रगतिशील लोग जो लाभ उठा रहे हैं या उत्कर्ष को अपनाए जा रहे हैं, वह हमारे लिए किस प्रकार संभव होगा ?

दो हजार वर्ष का अज्ञानांधकार युग समाप्त करने के बाद अब जब कि हम पुनरुत्थान के अरुणोदय का पुण्य विहान सामने प्रस्तुत देख रहे हैं, तब यह कर्तव्य हो जाता है कि राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति के लिए अधिक तत्परतापूर्वक कार्य करें। राजनैतिक

क्रांति हो चुकी। अब एक और बड़ी क्रांति करनी शेष है, जिसे बौद्धिक क्रांति कहना चाहिए। इसके दो भाग हैं—सामाजिक क्रांति और नैतिक क्रांति। जिस प्रकार राजनैतिक पराधीनता का जुआ हमने अपने कंधों से उतार फेंका, अब उसी प्रकार अगणित प्रकार की भ्रांत-धारणा और विकृत-मान्यताओं, अंध-परंपराओं और निकृष्ट-दुष्प्रवृत्तियों को भी बहिष्कृत करना होगा। नव-निर्माण के लिए भ्रांत-धारणाओं और गुण, कर्म, स्वभाव के क्षेत्र में समायी हुई हर प्रकार की विकृतियों का उन्मूलन करना उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार खेत में उत्तम फसल उपजाने के लिए खरपतवार और झाड़-झंखाड़ों को उखाड़ फेंकना आवश्यक होता है। यह आवश्यकता आज के युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसे समय की माँग या पुकार ही कहना चाहिए।

समय की इस चुनौती को स्वीकार करने का उत्तरदायित्व युग-निर्माण योजना के सदस्यों ने आगे बढ़कर अपने कंधों पर लिया है। पिछले दिनों इस दिशा में जो किया जा चुका है, उस पर अपना परिवार गर्व और संतोष अनुभव कर सकता है। अब और भी तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे हैं। समाज के नव-निर्माण के लिए हमें किन कठिनाइयों और विकृतियों को हटाना होगा और उनके स्थान पर किन सत्प्रवृत्तियों को उठाना होगा, इसका थोड़ा दिग्दर्शन इस पुस्तक में मिलेगा। साथ ही एक यह मार्गदर्शन भी मिलेगा कि किस प्रकार नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हम आगे बढ़ेंगे ?

देश, जाति, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान में संलग्न परिजनों को यह पुस्तक अधिक ज्ञानवर्धक, प्रेरणाप्रद एवं अधिक उपयोगी सिद्ध होगी ऐसा विश्वास है।



आध्यात्मिकता और आस्तिकता की महान् शक्ति

एक कहावत है कि "बड़े काम बड़े व्यक्तियों से ही सिद्ध हो सकते हैं।" अथवा इसे यों भी कह सकते हैं कि जितना बड़ा काम होगा, उसके लिए उतने ही बड़े प्रयत्न और शक्ति की आवश्यकता होगी। अपना सुधार, अपने परिवार का सुधार, अपनी जाति का सुधार, देश का सुधार, जगत् का सुधार यह सब ऐसे एक से एक बड़े और महत्त्वपूर्ण काम हैं, जिनके लिए विशेष शक्ति की ही आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ 'बड़े' का अर्थ राजा, बादशाह, सेठ साहूकार, आचार्य या पंडित, पंच-चौधरी, आदि से नहीं है। निःसंदेह इन लोगों के पास भी अस्त्र-शस्त्र की, धन-संपत्ति की, विद्या-बुद्धि की शक्ति होती है, पर दोषों को मिटाकर सद्गुणों की स्थापना का, स्वार्थ को हटाकर परोपकार के मार्ग पर चलने का एवं पाप को मिटाकर पुण्य का उपार्जन करने का उद्देश्य हथियार, धन या अर्थकरी विद्या से नहीं हो सकता। उसके लिए तो ईश्वर की कृपा, आत्मशक्ति और आदर्श-जीवन की ही आवश्यकता होती है।

कहा जाता है कि जीव चौरासी लाख योनियों को पार करके मनुष्य के रूप में आता है। पुरानी योनियों के संस्कार भी आत्मा में बहुत कुछ शेष रह जाते हैं, जो अवसर पाकर मानव-जीवन में भी अपनी झलक दिखाते रहते हैं। जिन लोगों का अच्छी तरह विकास नहीं हो पाया है, वे मनुष्य योनि में भी काम, क्रोध, लोभ आदि के चरे बने रहते हैं और सदा ऐसे कुकर्मों में संलग्न रहते हैं कि उनको मनुष्य कहते हुए भी संकोच होता है। वास्तव में मनुष्य होकर भी उच्च विचार रखना, अपने को योग्य बनाना और सत्कर्म करना बड़े भाग्य की बात है। नीचे की ओर फिसलना बहुत सहज होता है, पर

ऊपर चढ़ने के लिए बड़े साहस, परिश्रम, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। उत्तम कुल में जन्म लेकर, विद्या, शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य जरा-सा चूक जाने पर ही सन्मार्ग से पतित होकर चोर, ठग, डाकू बन जाते हैं। व्यापार, नौकरी आदि में भी बेईमानी, धूर्तता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन सबसे बचकर ईमानदारी से अपना निर्वाह करते हुए परोपकार का भी कुछ ध्यान रखना और किसी हद तक निजी स्वार्थ का काम करके परमार्थ के कामों के लिए भी प्रयत्न करना बड़ी प्रशंसा की बात है। जैसा रामायण में कहा गया है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही कठिनता से मिलता है, फिर उसमें विद्या, ज्ञान, शक्ति का मिलना कठिन होता है और वे सब भी मिल जाएँ, तो सत्कर्मों—दया, क्षमा, उदारता, सेवा आदि में प्रवृत्ति होना बहुत ही दुर्लभ होता है। इन्हीं बातों को देखते हुए महापुरुषों ने इस प्रकार के उच्च जीवन को परमात्मा का बड़ा अनुग्रह बतलाया है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास होता है, वह उसे जगत् पिता और अपने निर्माता के रूप में देखता तथा अन्य मनुष्यों तथा प्राणियों को भी उसी का बनाया समझकर उनके साथ भाईचारे का व्यवहार करना अपना कर्तव्य मानता है, तभी वह उच्च जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। ऐसे ही जीवन को हम आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं।

अध्यात्म का निखरा स्वरूप—

पर इस समय एक ऐसी विचारधारा प्रवाहित हो रही है, जिसने आध्यात्मिकता संबंधी विचारों में बड़ा भ्रम उत्पन्न कर दिया है। बहुत-से लोगों ने पूजा-पाठ और मंदिर में जाकर ठाकुर जी के दर्शन कर लेने को ही अध्यात्म समझ लिया है। कुछ लोग तीर्थयात्रा, दान, दक्षिणा, माला जपना आदि को उसका लक्षण मानते हैं। जो इससे भी कुछ आगे बढ़ते हैं, वे ध्यान, धारणा, योगाभ्यास, मौन रहना आदि को अध्यात्म मार्ग की ऊँची मंजिल मानते हैं। इन सब बातों को हम भी अनावश्यक नहीं बतलाते और

यह भी मानते हैं कि इनके द्वारा मनुष्य धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है, पर केवल इतने को ही धर्म और अध्यात्म का लक्ष्य समझ लेना भूल है। जिस प्रकार वीरता के लिए व्यायाम आदि द्वारा शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, फिर तलवार, बंदूक आदि हथियारों के चलाने का अभ्यास करना आवश्यक होता है, पर इतना कर लेने से ही मनुष्य वीर नहीं बन जाता। बहुत-से ऐसे भी व्यक्ति देखने में आते हैं, जो खूब हट्टे-कट्टे होने और हथियार चलाने में पूरे होशियार होने पर भी लड़ाई के मौके पर फौरन ही भाग खड़े होते हैं। वीर तो उसी को कहते हैं जो कि जरूरत पड़ने पर जो कुछ भी साधन मिले, उसी को लेकर दुश्मन का सामना करने को तैयार हो और जीते जी पीठ न दिखाए।

इसी उदाहरण को हम धार्मिक अथवा आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू कर सकते हैं। पूजा-पाठ, मंदिर, तीर्थ, जप-ध्यान आदि सब धर्म अथवा अध्यात्म के साधन हैं, पर इनका उपयोग तभी है, जब हम इनके द्वारा अपनी मनोवृत्तियों तथा भावनाओं का परिष्कार करके समय आने पर परोपकार, सेवा, आत्म-समर्पण के लिए तैयार हों।

अध्यात्म का व्यवहारिक उपयोग—

वास्तव में धर्म या अध्यात्म एक ऐसी चीज है, जिसका परिचय समाज या समुदाय में रहकर ही मिल सकता है। जिन लोगों ने यह समझ रखा है कि दस-दस, पाँच-पाँच घंटे जप, पूजा-पाठ में लगे रहना, भजन-ध्यान करते रहना अथवा बहुत समय के लिए समाधि में लीन हो जाना अध्यात्म है, उन्होंने अभी इसका ठीक अर्थ नहीं समझा है। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में धर्म के जो लक्षण दिये गये हैं, उनमें त्याग, क्षमा, दया, सेवा, उपकार आदि को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। पर त्याग, दया, सेवा, उपकार आदि का आचरण तो समाज में रहकर ही किया जा सकता है। हिमालय पहाड़ की किसी अगम्य गुफा में बैठा हुआ योगी तो किस पर दया

करेगा और किसका उपकार करेगा ? हमारा तो यही विचार है कि लोगों ने पुरानी कथाओं में ऋषि-मुनियों की सैकड़ों वर्षों तक समाधि में बैठने की बातें पढ़कर, जो समाज से दूर भागकर किसी निर्जन स्थान या ध्यान मग्न होकर बैठ जाने को अध्यात्म समझ लिया है, वह एक बड़ा भ्रम ही है। संसार के समस्त कामों को पूर्ण रूप से संपन्न करके और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करके दो-चार महापुरुष अंतिम समय में इस प्रकार का एकांतवास करते हों तो वह दूसरी बात है, अन्यथा आध्यात्मिक जीवन समाज और लोकालय से पृथक् रहकर व्यतीत नहीं किया जा सकता।

जो लोग धर्म और ईश्वर का नाम तो निरंतर लेते रहते हैं, पर आचरण उसके विपरीत करते हैं, उनको न तो धर्मात्मा समझा जा सकता है न आस्तिक। धर्म और आस्तिकता जुबान से कहने की चीजें नहीं हैं, व्यावहारिक रूप में करके दिखाने के कार्य हैं। जो लोग अध्यात्म का तत्त्व समझते हैं और उसके अनुसार आचरण का प्रयत्न करते हैं, उनका जीवन प्रत्यक्षतः संसार में ही लिप्त व्यक्तियों से भिन्न प्रकार का दृष्टिगोचर होता है।

आत्म प्रधान दृष्टिकोण—

अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जहाँ प्रथम आत्मा को प्रधानता देता है, वहाँ दूसरा शरीर को ही सब कुछ समझता है। अध्यात्मवाद यह नहीं कहता कि मनुष्य शरीर रक्षा का प्रयत्न न करे अथवा जीविकोपार्जन का प्रयत्न करके सुख और सुविधा का जीवन न जिए, पर उसका आशय यह है कि अपने समान दूसरों को भी मनुष्य समझा जाए और उनके हित का ध्यान रखा जाए। भौतिकवादी अपने ही भले की चिंता करता है और दूसरों को हानि पहुँचाने में उसे कुछ भी संकोच नहीं होता।

इन दोनों दृष्टिकोणों पर थोड़ी-सी गंभीरता से विचार किया जाए तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अध्यात्मवादी दृष्टिकोण

अपनी, दूसरों की और समस्त संसार की भलाई करने वाला है, जबकि भौतिकवाद के कारण पारस्परिक कलह, अलगाव और कष्ट पूर्ण परिस्थिति की ही वृद्धि होगी। विद्वानों ने इस जगत् को कुँएँ की आवाज की तरह बतलाया है। जैसा अच्छा, बुरा हम बोलेंगे उसी की गूँज हमको सुनाई पड़ेगी। जब हम दूसरों को हानि पहुँचाकर अपने स्वार्थ-साधन की चेष्टा करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इससे दोनों के स्वार्थ परस्पर टकरायेंगे और हमारे लिए अशांति, विग्रह और असुरक्षा का वातावरण बनेगा। इसके विपरीत दूसरों को अपना आत्मीय बंधु मानकर, उनके हित का ख्याल रखने से और आवश्यकता पड़ने पर उनकी यथाशक्ति सेवा, सहायता करने को प्रस्तुत रहने से उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारे साथ अधिक भलाई भी न कर सके, तो कम से कम सहानुभूति तो रखेंगे ही। इससे हमको सहायता प्राप्त होगी और हम अपेक्षाकृत सुख-शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

जीवन में आडंबरहीनता—

अध्यात्मवाद का दूसरा लाभ है—जीवन का सीधा-साधा और आडंबर शून्य बनते चले जाना। वर्तमान समय में संसार में जीवन-निर्वाह के साधनों के अभाव की जो हाय-हाय मची हुई है और लोग जो प्रत्येक चीज की कमी का झींकना सा झींकते रहते हैं, इसके कुछ अन्य कारण भी हैं, पर मुख्य कारण यही है कि भौतिकवाद के प्रभाव से लोगों में फैशन, दिखावट, सजावट का भाव बहुत बढ़ गया है। वे ऊपरी आडंबर बनाकर अपने को दूसरों से बड़ा-चढ़ा प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे मनुष्यों की आवश्यकताएँ कभी पूरी नहीं होतीं और अस्सी की आमदनी नब्बे का खर्च वाला किस्सा ही लगा रहता है। 'सादा जीवन और उच्च विचार' के सिद्धांत को ये लोग भूलते ही जाते हैं और एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए तड़क-भड़क की वेषभूषा, सोफासेट, पंखा, रेडियो, सवारी,

सैर-तमाशा में ही आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उड़ा देते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए उनको बेईमानी, ठगी, असत्य व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है।

इसके विपरीत सादगी को अपनाने से और दूसरों की देखा-देखी, तड़क-भड़क और आडंबर की नकल न करने से जीवन बहुत सुविधायुक्त बन जाता है। इससे निरर्थक व्यय भी घटता है और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने से स्वास्थ्य की उन्नति होकर जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होने लगता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि तरह-तरह की चिंताओं और रात-दिन कमाने की धुन से छुटकारा पा जाने से मनुष्य को अवकाश मिलने लगता है, जिसका उपयोग वह सेवा और लोककल्याण के कामों में कर सकता है। यही मानव जीवन का मुख्य ध्येय है, जिसके पूरा होने से मनुष्य जीवन सफल होने लगता है।

परोपकार और प्रेम—

संसार में अगर कोई वास्तविक धर्म-कर्म है, तो वह परोपकार ही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए भी सब परिश्रम और त्याग करते हैं और नाते-रिश्तेदारों की सहायता भी राजी से या बिना राजी के करनी ही पड़ती है। पर जो व्यक्ति किसी गैर, अनजान व्यक्ति को दुःखी देखकर उसके दुःख को स्वयं भी अनुभव करता है और उसे मिटाने की चेष्टा करते हुए अपने दुःख और आराम को भी भूल जाता है, उसी को परोपकारी कहा जा सकता है। सच पूछा जाए तो यही मानवता का लक्षण है। खाने-पीने और अपनी प्रकृति के अनुकूल सुख-सुविधा प्राप्त करना तो पशु-पक्षियों को भी आता है। मनुष्य की विशेषता तो यही है कि वह अपनी तरह सदैव दूसरों के हित-अनहित पर भी विचार करता रहता है और जब कभी उसका अवसर आता है तो उससे आवश्यक लाभ उठाता है। चाहे वह लाभ धन-संपत्ति, उच्च पद,

यश, कीर्ति के रूप में न हो, पर वह ऐसा होता है कि जिससे आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है।

यदि मनुष्य अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखकर हर तरह से धन-संपत्ति प्राप्त करने और अधिक से अधिक संग्रह करने में ही लगा रहे और अन्य मनुष्यों के सुख-दुःख से सर्वथा उदासीन बन जाए, तो संसार भर का वैभव पाकर भी वह सुखी नहीं हो सकता। उस दशा में वह अन्य सब लोगों को अपना विरोधी अथवा शत्रु ही समझेगा और उसे उनकी तरफ से खटका लगा रहेगा कि अवसर पाते ही वे उसको अपदस्थ करने की चेष्टा करेंगे। ऐसी सशक्त अवस्था में किसी को वास्तविक सुख-शांति मिल सके, यह असंभव बात है। ऐसे स्वार्थी और अन्य लोगों को अपना प्रतिद्वंद्वी अथवा विरोधी ही समझने वाले अपने को सदैव संसार में अकेला ही अनुभव करते हैं। भगवान् का नाम चाहे दिखाने के लिए अथवा अभ्यासवश लेते रहें, पर उनको उस पर भी भरोसा बिल्कुल नहीं होता। पर जिन लोगों के हृदय में आस्तिकता का भाव होता है और जो दूसरे लोगों को भी अपना मानव-बंधु समझकर सबके साथ सद्व्यवहार करने का ध्यान रखते हैं, वे हर प्रकार की विपत्ति और महान् कठिनाइयों में भी निराश नहीं होते।

नास्तिकता का अभिशाप—

यद्यपि विज्ञान की कुछ बातें सुन लेने और उसका अपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर बहुत-से मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करने लगते हैं और आध्यात्मिकता तथा धर्म की हँसी उड़ाने लगते हैं, पर उनकी बातें खोखली और एक फैशन की तरह ही होती हैं। इस प्रकार की नास्तिक विचारधारा व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए नाशकारी ही सिद्ध होती है। इससे मनुष्यों में अनैतिकता और उच्छृंखलता के भावों की वृद्धि होती है। इससे स्वार्थपरता की वृद्धि होने लगती है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना भक्ष्य समझने लगता है।

इससे संसार में भयंकर उथल-पुथल और सर्वनाशी राजनैतिक संकट का जन्म होता है, जिससे मानवता के नष्ट हो जाने का भी डर पैदा हो जाता है। संयोगवश इसका उदाहरण हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। गत सौ-दो सौ वर्षों में योरोप, अमरीका आदि की पश्चिमी जातियों में जो नास्तिकता का भाव पनपा था और उसके फल से भौतिकवाद की वृद्धि हुई थी, वही आज संसार को निगलने के लिए मुँह फाड़कर सामने खड़ी है।

यदि इस विचारधारा को स्वीकार कर लिया जाए, तो मानव जाति की अब तक की प्रगति तथा सभ्यता का अंत हो जाना सुनिश्चित है। यदि मनुष्य को विश्व की नियामक किसी सत्ता का भय न रहे और परलोक के संबंध में उसकी अनास्था हो जाए, तो वह समाज के लिए एक संकट ही सिद्ध होगा। ऐसा मनुष्य धर्म, नीति, सदाचार के किसी नियम को न मानेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में इस संसार में व्यतीत होने वाला सौ-पचास वर्ष का जीवन ही सब कुछ होगा और उसके बाद सब मिट्टी दिखलाई पड़ेगी। इस सिद्धांत के अनुसार तो जीव ही जीव का भोजन है और सबसे बड़ी सफलता अपने स्वार्थ की पूर्ति है। तब त्याग, परोपकार, दया, उदारता आदि का कोई जिक्र ही नहीं होगा और न किसी प्रकार के सदाचार के लिए कोई स्थान होगा। इस प्रकार समाज में बहुत अधिक अनियंत्रण और विशृंखलता फैल जाएगी और उसका दिन पर दिन पतन होने लगेगा। संसार का इतिहास साक्षी है कि आज तक जहाँ-कहीं और जब कभी ऐसे विचारों का प्रचार हुआ है, वहाँ उसका परिणाम पतनकारी और नाशकारी ही सिद्ध हुआ है।

आस्तिकता की आवश्यकता—

ईश्वर को दलीलों से सिद्ध करना अथवा वैज्ञानिक जाँच से उसके स्वरूप का निर्णय करना बुद्धिमत्ता के विपरीत है। ईश्वर कोई देहधारी भौतिक तत्त्व नहीं है, जिससे उसकी जाँच-पड़ताल की जा सके। उनका प्रमाण तो यही है कि जब विश्व का कार्य एक

विशिष्ट नियमानुसार चल रहा है और मनुष्य में चैतन्यता, प्रेम, कर्तव्य की ऐसी भावनाएँ देखने में आती हैं, जिसका जड़-पदार्थों से कोई संबंध नहीं, तो इन सबका संचालन करने वाली कोई केंद्रीय चैतन्य सत्ता होना ही चाहिए। अब कुछ वर्षों से बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस सचाई को समझ लिया है। उनका कहना है कि "अभी विज्ञान जहाँ तक पहुँच सका है, उसके अतिरिक्त भी एक अत्यंत विशाल क्षेत्र खोजने के लिए शेष है। जो कुछ हमको दिखलाई पड़ता है और जिन विषयों की भौतिक विज्ञान से जाँच की जानी संभव है, उनके अतिरिक्त एक ज्ञान और इच्छायुक्त सत्ता का अस्तित्व सर्वथा संभव है।" एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि "विभिन्न धर्मों में ईश्वर का जैसा चित्रण किया गया है, वैसा तो विज्ञान नहीं मानता। पर ऐसी संभावना अवश्य है कि अणु जगत् के पीछे उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति काम कर रही है।"

यह चेतन शक्ति ही ईश्वर है। यद्यपि विभिन्न लोग अपनी सुविधा और बुद्धि के अनुसार उसकी विभिन्न रूपों में कल्पना कर लेते हैं, पर इसके कारण उसे असत्य नहीं ठहराया जा सकता और यदि विभिन्न रूपों में और अलग-अलग विधियों से उसकी उपासना की जाती है, तो इसमें भी कोई भी दोष नहीं। आस्तिकता का परिणाम सदैव यह होना चाहिए कि मनुष्य दूसरों को भी परमात्मा का ही पुत्र समझकर उनके साथ आत्मीयता, सहयोग, प्रेम का व्यवहार करे। यह भावना ही मनुष्य को ऊँचा उठाती है और समाज को संगठित बनाकर उसे प्रगति कर सकने की सामर्थ्य प्रदान करती है। हम सुधार और उन्नति के जितने प्रयत्न करते और हानिकारक प्रवृत्तियों के उन्मूलन की जितनी योजनाएँ बनाते हैं, उन सबकी सफलता के लिए आस्तिकता की भावना भी अनिवार्य है।



आलस्य और गंदगी मनुष्य के बड़े शत्रु हैं

मानव जीवन को भगवान् का सबसे बड़ा अनुदान माना गया है। कहा गया है कि देवता भी इसी पृथ्वी पर जन्म लेने को तरसते हैं, क्योंकि यही कर्मभूमि है। कर्म द्वारा ही मनुष्य को स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म ही ऊँचा उठाने और आगे बढ़ाने की शक्ति रखता है। संसार में जो कुछ प्रशंसनीय और आदरणीय है, उस सबका आधार कर्म ही होता है, वेद में कहा गया है—

देवस्य सवितुः सर्वे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः ।

शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥

(अथर्ववेद-६-२३-३)

अर्थात् “जीवन, प्रेरणा और प्रकाश देने वाले परमात्मा के प्रसाद से हम सदैव अपने नियत कर्म पूरे करते रहें, जिससे अन्न-जल आदि पदार्थों का सुख प्राप्त हो सके।”

असद् भूम्याः समभवत् तद् यामेति महद् व्यचः ।

तद् वै ततो विधूपायत् प्रत्यक् कर्तारमृच्छतु ॥

(अथर्ववेद ४-१६-६)

“दुष्टता और उद्धततापूर्ण कर्म चाहे कैसे भी क्यों न हों, करने वाले को संताप ही देते हैं और उसी पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं।”

मानव जन्म की सफलता और उसे सार्थक बनाने का मार्ग यही है कि मनुष्य कर्ममय जीवन व्यतीत करता रहे। अकर्मण्य जीवन संसार में बहुत बड़ा अभिशाप माना गया है। इस प्रकार कर्मविमुख, आलसी, प्रमादी व्यक्ति को संसारी लोग तो क्या देवता भी अपने अनुग्रह का पात्र नहीं समझते और वह सदा दुर्भाग्य,

भगवान् की प्रतिकूलता का रोना ही रोता रहता है। 'ऋग्वेद' में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—

**इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति ।
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।**

(ऋग्वेद—८, २, १८)

अर्थात् 'देवता लोग भी शुभ कर्म करने वाले पुरुष की कामना करते हैं। आलसी और प्रमादी व्यक्ति को वे अपना उपहार कभी नहीं देते।'

जो व्यक्ति कर्म से विमुख रहकर निकम्मा जीवन व्यतीत करते हैं, वे वास्तव में बड़े अभागे हैं। वे उस मूर्ख की तरह हैं, जो अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं अथवा एक बहुमूल्य रत्न को पाकर भी उसका मूल्य न समझकर गँवा देते हैं। संतों का यह वचन है कि "हीरा जन्म अमोल था, मूर्ख दिया गँवाय।" इसका आशय यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को शुभ कर्म द्वारा सार्थक नहीं बनाता, उसका जन्म लेना वृथा ही हुआ। अन्य रोग तो मनुष्य के किसी एक अंग को ही थोड़े समय के लिए बेकार बनाते हैं, पर आलस्य रूपी रोग समस्त शरीर को सदा के लिए निरर्थक बना देता है। यह धन, संपत्ति, उद्योग-धंधे को ही नष्ट नहीं करता, वरन् मनुष्य के सद्गुणों, यश और सुनाम को भी चौपट कर डालता है। मूर्ख व्यक्ति सुख और आराम की कल्पना करके आलस्य को अपनाता है, सोचता है कि काम का बोझा हट जाने से चैन की जिंदगी व्यतीत करेंगे, पर यह उसे ऐसा जड़ और निकम्मा बना देता है कि दूसरे तो उसकी सर्वथा उपेक्षा करने ही लगते हैं, कुछ समय पश्चात् स्वयं अपने को भी अपना जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने लगता है।

आलस्य का स्वभाव पड़ जाने से मनुष्य काम को टालने का प्रयत्न करने लगता और उसके लिए तरह-तरह के बहाने ढूँढ़ने लगता है। वह उपयोगी कामों को त्यागकर बैठे-ठाले निरर्थक काम करने लगता है, जैसे गप्प हाँकना, लंबी-चौड़ी बातें बकते रहना,

व्यर्थ की कल्पनाओं को ही वास्तविक समझते हुए मन के लड्डू खाया करता है। पर मन के लड्डुओं से किसी की भूख कब मिटी है ? जैसे-जैसे वह कल्पना जगत् में आगे बढ़ता जाता है, वास्तविकता से वंचित होता जाता है। वह अपनी खयाली दुनिया में तो अपने लिए बड़े-बड़े रंगीन स्वप्न देखता है, कभी राजा बनता है, कभी नेता, कभी बड़ा अमीर, पर असली दुनिया में उसे जीवन व्यतीत करने को मामूली साधन भी नहीं मिलते। इसलिये सुख-दुःख की लहरों में डूबता-उतराता रहता है। कभी तो वह भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी सफलता और सुखद कल्पना करके फूलकर कुप्पा हो जाता है और कभी खाने, पहिने, रहने का कोई साधन न देखकर घबड़ा उठता है; कभी रोग, शोक, आपत्ति का भय करके रोने लगता है। इस प्रकार कर्म को छोड़कर, वह हवा में उड़ने वाले तिनके के समान कभी आकाश में उड़ जाता है और कभी गड्ढे में गिर पड़ता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, परिस्थितियाँ जिस तरफ ढकेल देती हैं, उसी तरफ उसे लुढ़क जाना पड़ता है।

इस तरह के जीवन का अधिक समय तक अभ्यस्त रहने से मनुष्य की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। मानसिक दृष्टि से उस पर जड़ता का आक्रमण हो जाता है, जिससे उत्साह और साहस का अभाव हो जाता है, दिमाग कुंद हो जाता है, बुद्धि मंद पड़ जाती है और मानसिक शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। शारीरिक दृष्टि से भी किसी तरह के व्यायाम तथा भरपूर परिश्रम के बिना हाथ-पैर कमजोर पड़ने लगते हैं, पाचन शक्ति घटने लगती है, जिससे रक्त निर्बल पड़ जाता है और संपूर्ण शरीर में निर्बलता की अधिकता दिखाई पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में तरह-तरह के रोगों का आक्रमण होना स्वाभाविक ही है और मानसिक अवसाद के साथ मिलकर उनका स्वरूप और भी भयंकर हो जाता है। आलसी स्वभाव के कारण वह पहले ही कम हिम्मत, डरपोक हो जाता है, रोगों के आक्रमण से घबड़ाकर उसका रोना-धोना, भाग्य

और ईश्वर को कोसना और भी बढ़ जाता है। वह इस प्रकार लोगों की सहानुभूति, सहायता प्राप्त करना चाहता है, पर लोग यह देखकर कि उसने अपनी ऐसी हालत स्वयं ही बनाई है और वह हराम की कमाई की इच्छा रखने वाला है, उसकी उपेक्षा ही करते रहते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऐसे व्यक्ति का पतन होने लगता है, क्योंकि आलस्य तमोगुण का एक प्रधान बिंदु है। अन्य दोषों में मानसिक, नैतिक या चारित्रिक अधःपतन तो होता है; पर काम, क्रोध, लोभ में फिर भी कर्मण्यता तो बनी रहती है। अपनी असद्-प्रवृत्तियों के लिए ही सही, दूषित आचरण वाला व्यक्ति उल्टा-सीधा काम, उखड़-पछाड़ तो करता ही रहता है, पर आलसी तो जड़ बनता जाता है और इससे उसके उद्धार की आशा ही समाप्त होती चली जाती है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद के एक सेवक का किस्सा विशेष शिक्षाप्रद है। वह नौकर उनके बेलूड़ आश्रम में कार्य करता था, पर स्वभाव से बड़ा आलसी था। इस दुर्गुण के कारण आयु का एक बड़ा भाग व्यतीत हो जाने पर भी वह बिल्कुल हीन अवस्था में पड़ा हुआ था। वह कभी-कभी स्वामीजी से कहा करता कि महाराज, आप संसार को उद्धार का, मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, मुझे भी अपनी दशा सुधारने का कोई उपाय बतला दीजिये। स्वामीजी ने उसे उत्तर दिया कि—तुम आलस्य को त्याग दो। अगर कोई अच्छा काम न बन पड़े तो चोरी, बदमाशी, ठगी ही करने लग जाओ, पर आलस्य को छोड़ दो तो तुम्हारा उद्धार हो सकेगा ! इस कथन का तात्पर्य यही था कि दुष्प्रवृत्तियों के पंजे में फँसे व्यक्ति में और कुछ नहीं तो सजीवता तो रहती है जिससे कोई उत्तम संयोग मिल जाने पर वह अपना सुधार करके सत्कर्म भी कर सकता है। जैसे वाल्मीकि, अंगुलिमाल, नामदेव, रसखान आदि अनेक संतों के उदाहरण मिलते हैं, जो आरंभ में कुत्सित जीवन व्यतीत करते थे और बाद में सत्संगति पाकर अनुकरणीय चरित्र वाले बन गये।

और बाद में सत्संगति पाकर अनुकरणीय चरित्र वाले बन गये। परंतु आलसी व्यक्ति, जिसने निकम्मापन अपना लिया है और खयाली दुनिया में रहने से जिसमें कर्तव्यशून्यता ने घर कर लिया है, वह किस प्रकार अपने उद्धार की आशा कर सकता है ?

बेकारी अनेक दोषों की जननी है—

आलस्य की तरह बेकारी भी मनुष्य में दोष उत्पन्न करने वाली है, जिसका दिमाग खाली रहेगा वह कुछ न कुछ खुराफात ही सोचेगा और वैसा ही करेगा। आजकल बेकारी उद्योग-धंधों की अव्यवस्था के कारण भी पैदा होती हैं, पर उनका एक कारण यह भी होता है कि लोग परिश्रम का काम करके हल्का-फुल्का काम करना चाहते हैं। मेहनत-मजदूरी के बजाय कुरसी पर बैठने के ही काम पसंद करते हैं। अगर आदमी किसी प्रकार के छोटे-बड़े काम करने में बेइज्जती या छोटेपन का खयाल न करे और जिस समय जो काम मिल जाए, उसी को पूरी लगन से करे, तो बेकारी की समस्या कभी पैदा ही नहीं हो सकती। कोई बड़ा न सही तो छोटा काम और ज्यादा वेतन का नहीं तो कम तनखाह वाली नौकरी करके भी मनुष्य बेकारी से अपना पीछा छुड़ा सकता है और फिर कुछ समय में मौका आने पर वह उससे अच्छा भी काम पा सकता है। हम जानते हैं कि अनेक एम० ए० पास लोगों ने चपरासी की नौकरी करके तरक्की की है। अगर वे प्रोफेसर या डिप्टी कलेक्टर की नौकरी ही तलाश करते रहते तो शायद उनको आधी आयु तक बेकार ही रहना पड़ता।

गंदगी मनुष्य के लिए एक कलंक है—

आलस्य की तरह गंदगी भी मनुष्य के लिए कलंक स्वरूप और पतनकारी है। यह एक ऐसा दुर्गुण है कि जिससे मनुष्य निंदा का पात्र बनता है और लोग उससे घृणा करने लगते हैं। गंदगी का एक कारण तो आलस्य होता है और दूसरा लापरवाही तथा गंदा रहने का स्वभाव। शरीर की, वस्त्रों की, मकान की

सफाई करने में समय और परिश्रम लगता ही है। जिन लोगों में निकम्मेपन की आदत पड़ जाती है और कामचोर बन जाते हैं, वे आलस्यवश गंदे बने रहते हैं। एक कहावत है कि "कुत्ता भी जहाँ बैठता है, वहाँ पूँछ से झाड़कर बैठता है।" पर मनुष्य कहलाने वाले ऐसे प्राणियों की कमी नहीं जो अपने निजी घर को ही गंदा नहीं रखते, वरन् जहाँ बैठते हैं, उसे भी गंदा करके छोड़ जाते हैं। ऐसे आदमी अगर धर्मशाला में ठहरते हैं, तो उसमें कूड़े का ढेर लगा आते हैं, मुसाफिरखाने में बैठते हैं, तो वहीं पर थूक, पीक, नाक आदि गिरा देते हैं। रेल में जाते हैं तो उसे पानी और छिलकों से दूसरों के बैठने के नाकाबिल बना देते हैं। ऐसे ही लोग नालियों में बच्चों को टट्टी बैठा देते हैं, गली में ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं और अपने घर की नालियों और पाखाने को ऐसा गंदा रखते हैं कि किसी सभ्य व्यक्ति के लिए उनका उपयोग करना भी कठिन होता है। ऐसे लोग गंदगी का अनुभव भी नहीं करते, न उसमें अपने लिए कोई शर्म की बात समझते हैं। इनमें से बहुत-से कपड़े-लत्ते के फैशन और चमक-दमक का तो बहुत शौक रखते हैं, पर जहाँ वे रहते हैं वहाँ उसके आस-पास सफाई रखने का ध्यान उन्हें कभी नहीं आता।

गंदा रहना एक शारीरिक दुर्गुण ही नहीं, मानसिक दृष्टि से भी हीनता का द्योतक है। जिसका शरीर गंदा रहेगा उसका मन भी कदाचित् ही स्वच्छ रह सकेगा। जो अपनी सफाई नहीं रख सकता वह किसी दूसरे की सेवा, सहायता क्या कर सकेगा ? ऐसे व्यक्ति में आलस्य, प्रमाद, अनुत्साह, निराशा, अव्यवस्था, दीर्घसूत्रता, पेट्रूपन आदि दुर्गुण भी प्रायः उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे आदमी से पुरुषार्थ और प्रगति की आशा तो की ही कैसे जा सकती है ? वह जीवन के सच्चे सुख से अपरिचित होता है, केवल जिंदगी के भार को ढोता है। उसके चारों ओर भी परमात्मा के वही अमूल्य वरदान-बिखरे होते हैं, जिनका उपयोग करके अन्य लोग सुखी और

वाली कहावत के अनुसार सदा भूखे-नंगे ही बने रहेंगे। वे अपनी दुरवस्था के लिए दूसरों को दोषी समझते हैं, पर दरअसल उनका आलसी स्वभाव और गंदापन ही उनके पतन और दुर्दशा का कारण होता है।

कुछ लोग गंदगी का संबंध गरीबी से जोड़ा करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा, ऐसे साधन ही नहीं कि हम सफाई से रह सकें। पर इस कथन में वास्तव में कुछ भी सचाई नहीं है। सफाई, स्वच्छता में गरीबी को बाधक कहना एक बहाना मात्र है। आप अपने चारों तरफ ध्यान देकर देखेंगे तो सैकड़ों गरीब लोगों के घरों को सदा लिपा-पुता और झाड़ा-बुहारा पाएँगे, जबकि अनेक अमीर कहलाने वालों के यहाँ घर के पदार्थ अस्त-व्यस्त पड़े रहते हैं और सिगरेटों के टुकड़े, पान की पीक आदि की गंदगी फैली रहती है। शारीरिक दृष्टि से भी बहुसंख्यक गरीब सदा नहा-धोकर स्वच्छ रहते हैं, जबकि अनेक विलासी-धनी लोग चाहे कपड़े भले ही बढ़िया पहिन लें, स्वच्छता की निगाह से बड़े गंदे होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्वच्छता और सफाई मन की स्थिति पर है और जिसकी मनोवृत्ति इस ओर होगी, उसे कम से कम पानी और थोड़ा साबुन तो मिल ही जायेगा। जिसमें आलस्य न होगा, वह चाहे तो प्रत्येक अवस्था में गंदगी से बचकर रह सकता है।

अपने शरीर को सदा कार्यक्षम बनाये रहना मनुष्य का परम कर्तव्य है। ऐसा मनुष्य ही अपना और दूसरों का कुछ उपकार कर सकता है। आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति तो संसार के लिए भार स्वरूप हैं, जो दूसरों के परिश्रम पर चैन करना चाहते हैं।



हिंदू-समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा—ऊँच-नीच की भावना

संसार के सभी देशों के निवासियों में किसी न किसी प्रकार का श्रेणी-विभाजन पाया जाता है। यद्यपि आधुनिक युग के योरोपियन और अमेरिकन जाति-प्रथा जैसी किसी चीज से मुक्त समझे जाते हैं, पर वहाँ के देशों में वेश, आर्थिक स्थिति, रंग-भेद आदि के कारण अनेक श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिनमें परस्पर प्रायः वैमनस्य बना रहता है। इंग्लैंड में अभी तक लॉर्ड (सरदार) और कामन (सामान्य) के नाम से दो श्रेणियाँ पाई जाती थी, तीसरी श्रेणी मजदूरों की भी अब स्पष्टतः अलग गिनी जाने लगी है। अमेरिका में गोरे, काले और लाल (रेड इंडियन्स) स्पष्टतः ऐसे ही एक-दूसरे से पृथक् हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान और ईसाई परस्पर एक-दूसरे को भिन्न मानते हैं। इसी प्रकार संसार के तमाम देशों में मनुष्य तरह-तरह के संप्रदायों, फिर्कों, समुदायों, दलों, वर्गों में बँटे हुए हैं, वे प्रायः आपस में लड़ते-झगड़ते भी रहते हैं और एक-दूसरे से किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखते।

पर वर्तमान समय में हिंदुओं में जात-पाँत के रूप में जो श्रेणी विभाजन पाया जाता है, वह इन सबसे अनोखा है। वह ऐसा विचित्र है कि उसका स्वरूप विदेशियों की समझ में आ सकना कठिन होता है। विदेशों में जो श्रेणियाँ या जातियाँ बनती हैं, उसका कारण उनकी वर्तमान परिस्थितियाँ होती हैं। धन-संपत्ति, विद्या, राजनैतिक अधिकारों के घटने-बढ़ने के साथ उनकी 'जाति' भी बदलती रहती है, पर भारतवर्ष में जाति ने इस समय ऐसा स्थायी रूप धारण कर लिया है कि एक ब्राह्मण मूर्ख, दुराचारी, निर्धन होने पर भी एक सद्गुणी वैश्य व कायस्थ से उच्च समझा जाता है। वह ब्राह्मण भी

ऐसा ही मानता है, दूसरे अन्य जातीय व्यक्ति भी ऐसा ही समझते हैं और वह वैश्य या कायस्थ भी इससे इनकार नहीं करता। वैश्य और कायस्थ उस ब्राह्मण को अपने से ऊँची जाति का समझकर उसके हाथ का भोजन कर लेंगे, उसके पैर छू लेंगे, पर वह ब्राह्मण उनका छुआ हुआ भोजन नहीं करेगा और उनको अपने से छोटी जाति का समझेगा। चाहे ऐसा ब्राह्मण किसी वैश्य सेठ का रसोइया या चौकीदार हो या किसी कायस्थ तहसीलदार अथवा डिप्टी मैजिस्ट्रेट का चपरासी हो, पर तब भी उसका मनोभाव ऐसा ही रहेगा और वह अपने आपको उनसे 'ऊँचा' समझेगा। इस प्रकार एक ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति दिखाई पड़ती है, जिसे विदेशी लोग किसी प्रकार नहीं समझ पाते, यद्यपि हमारे लिए यह बिलकुल स्वाभाविक मालूम पड़ती है। कुछ नव-शिक्षित लोगों में और शहरी वातावरण में रहने वाले अनेक साधारण लोगों में भी ये बातें बदलने लग गई हैं, कम पड़ गई हैं, पर भारतवर्ष के लाखों देहातों में और प्राचीन आचार-विचारों का पालन करने वाले लोगों के लिए यही स्वाभाविक और सनातन मर्यादा है। इन छोटी-बड़ी जातियों का जाल हिंदू-समाज में किस प्रकार फैला हुआ है ? इसका वर्णन करते हुए एक विद्वान् ने लिखा है—

“भारतवर्ष में सबसे ऊँची जाति ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में भी गिन कर बतलाये नहीं जा सकते। इसलिये यह कह सकना असंभव है कि ब्राह्मण की कौन श्रेणी सबसे ऊँची है ? विभिन्न प्रदेशों की अनेक ब्राह्मण श्रेणियाँ सर्वोच्चता का दावा करती हैं। हिंदुओं की सबसे नीची जाति कौन है, यह भी कहना कठिन है। इन उभय कोटियों के बीच मध्यवर्ती स्तरों (तहों) को गिनना सहज नहीं है।”

“ब्राह्मणादि ऊँची जातियाँ जिन जातियों का छुआ जल पी लेती हैं, वे “जल-चल” अर्थात् अच्छी जातियाँ हैं। जिनका छुआ घृत, पक्व खाद्य और मिष्ठान्न ब्राह्मण लोग ग्रहण कर सकते हैं और भी अच्छी जातियाँ हैं। साधारणतः ब्राह्मण लोग अपनी श्रेणी के

बाहर के आदमी के हाथ का भात-दाल और रोटी आदि (कच्ची रसोई) नहीं खाते।”

“दक्षिण भारत में स्पर्श-विचार और भी प्रबल है। यहाँ जिनके स्पर्श से ब्राह्मण लोग अपवित्र नहीं होते और जिनका जल ग्रहणीय होता है, वे ही अच्छी जातियाँ हैं। जिनका छुआ जल ब्राह्मण-स्त्रियाँ ग्रहण कर सकती हैं, वे और भी अच्छी जातियाँ हैं और जिनके स्पर्श एवं जल से ब्राह्मण विधवाओं को स्नान करके पवित्र होने की जरूरत नहीं पड़ती, वे लोग इनसे भी अच्छी जाति के होते हैं।”

ऊपर हिंदुओं को विभिन्न जातियों में छोटे-बड़े समझे जाने का एक मोटा हिसाब बतलाया गया। पर यह तारतम्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता। जिन जातियों का छुआ जल ग्रहण योग्य नहीं होता, वे सब नीच मानी जाती हैं। जिनके छूने से मिट्टी के बर्तन भी अपवित्र हो जाते हैं, वे और भी नीच हैं। उनसे नीचे वे हैं, जिनके छूने से धातु के बर्तन भी अपवित्र मान लिए जाते हैं। इनसे भी नीच जातियों की गणना होती है, जिनके मंदिर के चौक में घुसने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। दक्षिण भारत में कुछ ऐसी भी जातियाँ मौजूद हैं, जिनके गाँव में प्रवेश करने से समूचा गाँव अपवित्र हो जाता है।

छोटी-बड़ी जाति की इन सब कसौटियों में मार्क की बात यह है कि इनका संबंध सिर्फ किसी जाति में जन्म लेने से है। वह व्यक्ति सद्गुणी है या दुर्गुणी, विद्वान् है या मूर्ख, धनी है या निर्धन-इन सब बातों का कोई विचार नहीं किया जाता। एक ब्राह्मण जातीय व्यक्ति अपने शूद्र जातीय अफसर का जूता साफ करने में तनिक भी संकोच न करेगा, पर अपने घर में या जातीय पंचायतों में वह अपने को सबसे ऊँची जाति का, पूज्यनीय ही बतलायेगा।

यह ठीक है कि अब अनेक स्थानों में छुआछूत संबंधी विचार ढीले पड़ गये हैं। बहुसंख्यक ऊँची जाति वाले अब इतनी अधिक खोजबीन नहीं करते और जो लोग नीच कही जाने वाली जातियों

में जन्मे हैं, वे भी अपने को एकदम हीन और पतित मानने को तैयार नहीं होते। इसके साथ ही एक बात यह भी देखने में आती है कि जहाँ ऊँची जाति वालों में संकीर्णता का भाव कम हो रहा है, नीची जाति वाले अपने से नीची जातियों को दबाकर रखने का ही प्रयास करते हैं।

जाति-भेद का उद्गम—

इस महा जटिल और दुर्भेद्य ऊँच-नीच का मूल कहाँ है ? जब इसकी खोज करते हैं, तो अति प्राचीन साहित्य में केवल चार वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय के विद्वान् इसका सबसे बड़ा प्रमाण 'ऋग्वेद' के इस मंत्र को ही समझते हैं—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।।

(ऋग्वेद-१०, ६०, १)

इस मंत्र का सीधा-सा आशय तो यह है कि "समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण मुख स्थानीय हैं, क्षत्रिय भुजाओं के समान हैं, वैश्य मध्य के घड़ की तरह और शूद्र पैरों का उद्देश्य पूरा करते हैं।" पर बाद में एक का दस अर्थ करने को ही विद्वता का लक्षण मानने वाले 'पंडितों' ने यह व्याख्या की कि ब्राह्मण लोग भगवान् के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्यों की उत्पत्ति पेट से हुई है और शूद्र पैरों की पैदायश है। इस प्रकार व्याख्या करने वालों का खयाल शायद यह है कि जिस प्रकार मानव देह में मस्तक का भाग सबसे महत्त्व का माना जाता है और पैरों को भले-बुरे सब तरह के स्थानों के स्पर्श में आना पड़ता है, उसी प्रकार संसार में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और शूद्र उनसे बहुत निकृष्ट हैं। पर ये सब बातें बाल-बुद्धि की परिचायक हैं। भगवान् किसी को बाजीगर की तरह अपने मुँह और पेट से निकालते नहीं फिरते। दर्शनशास्त्र ने तो मनुष्य का परमात्मा से कोई प्रत्यक्ष संबंध भी स्वीकार नहीं किया है। वे तो इस समस्त सांसारिक प्रपंच की

उत्पत्ति प्रकृति से ही बतलाते हैं। आत्मा को अवश्य परमात्मा का अंश माना जाता है, पर उसको सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्रकृति ही देती है। इसलिए उपर्युक्त वेद-मंत्र समाज के कार्य-विभाजन का ही परिचायक है, उसे हजारों जातियों में ऊँच-नीच का आधार मानना अज्ञानता का चिह्न है।

जाति-भेद का कारण—

हिंदुओं में आजकल जो अनगिनत जातियाँ और उपजातियाँ पाई जाती हैं, वे आरंभ में विभिन्न वर्णों में पारस्परिक विवाह संबंध के फलस्वरूप पैदा हुई थीं। फिर जब इन नई पैदा हुई जातियों में भी पारस्परिक संबंध होने लगे, तो और अनेक जातियों का आविर्भाव होने लगा। दूसरा कारण यह हुआ कि अनेक वर्णों के व्यक्तियों ने अपने संस्कारों, जातीय नियमों का त्याग कर दिया, जिससे उनका बहिष्कार कर दिया गया और उनकी एक भिन्न जाति तैयार हो गई। तीसरा कारण यह हुआ कि बाहर से जो शक, हूण आदि कितनी ही विदेशी जातियाँ आईं, वे यहाँ बसकर एक नई जाति के रूप में परिणत हो गईं अथवा यहाँ के लोगों से संबंध करके उन्होंने अन्य प्रकार की जातियों को जन्म दिया। इस प्रकार चार से सोलह और सोलह से चौंसठ जातियाँ बनते-बनते उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि उन सबकी गिनती कर सकना भी कठिन हो गया। पूर्व समय में अंग्रेज अधिकारियों ने जन-गणना की जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें तीन हजार से ऊपर जातियों की संख्या थी। 'भारतीय विश्वकोश' के 'जाति-विभाग' वाले अंश के लेखक सर आथेन्स्टेलवेन्स ने कई उपजातियों को मिलाकर ५०० जातियों की नामावली और संख्या दी है।

यह संख्या निरंतर किस तरह बढ़ती जाती है ? इसका पता इससे चलता है कि वशिष्ठ धर्म-शास्त्र में दस वर्ण संकर जातियों के नाम दिए हैं और गौतम में बारह के, मनुस्मृति में लगभग ६० जातियों के नाम हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सौ से अधिक

जातियों की नामावली देखने में आती है। हमारा अनुमान है कि पिछले एक हजार वर्ष के विदेशी शासन में ही जातियों की संख्या पूर्वापेक्षा दुगुनी हो गई है।

जाति-भेद की हानियाँ—

भारत में जाति-भेद का रूप जिस प्रकार चिरस्थायी और समाज के विभिन्न समुदायों में पृथक्त्व की भावना को पैदा करने वाला बन गया है, उसके कारण मुख्यतया हिंदू-समाज में निर्बलता पैदा हुई है और आज उसकी संख्या संसार की सब जातियों और धर्मों से कम रह गई है। पिछले सौ-डेढ़ सौ वर्षों में जहाँ ईसाई दस गुने, मुसलमान चौगुने हो गये हैं, वहाँ हिंदू शायद ड्यौढ़े या दुगुने ही बढ़ सके हैं। जब तक इस जाति-प्रथा में जड़ता का भाव नहीं आया था, तब तक विदेशों से आने वाले विभिन्न जातियों के व्यक्ति सहज में ही हिंदू-जाति में मिलकर उसकी संख्या और शक्ति को बढ़ाते रहते थे। कनिष्क और हुविष्क यद्यपि विदेशी (तुक) थे, पर उन्होंने भारतीय समाज के अंग बनकर दूर-दूर के देशों में हिंदू-संस्कृति का प्रसार किया। राजपूतों को हिंदू-धर्म का रक्षक माना गया है और देश के अधिकांश मंदिर, मठ, तीर्थ उन्हीं की सहायता से बनाये गए हैं, पर वे भी इन दो हजार वर्षों के भीतर ही विदेश से आये थे और ब्राह्मणों ने आबू पहाड़ पर यज्ञ करके उनको हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। इन्हीं लोगों ने बौद्ध-धर्म वालों को दबाकर पुनः हिंदू-धर्म को आगे बढ़ाया और शक्तिशाली बनाया। पर वर्तमान युग में हिंदुओं की संकीर्णता के कारण सिक्ख-जाति का एक बड़ा भाग, जिसकी स्थापना गुरु नानक ने हिंदू-धर्म की रक्षार्थ ही की थी, हिंदू-धर्म से नाता तोड़ चुका है या तोड़ रहा है। इसी प्रकार पिछले दो-तीन सौ वर्षों में मलकाने, जोगी, मेव, संयोगी, घोसी, किंगरिया, लावाना आदि अनेक जातियाँ हिंदुओं द्वारा बहिष्कृत होकर मुसलमानों में मिल गईं। यदि हिंदू इस संबंध में बुद्धिमानी से काम लेते और पिछड़ी हुई जातियों के साथ

उदारता का बर्ताव करते, तो आज न तो भारतीय मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ सकती और न हिंदू घट जाते। अनेक बार तो इस प्रकार की जातियों के अनुनय-विनय करने पर भी उनको जबर्दस्ती हिंदू-जाति से निकाला गया है। ऐसे लोग धीरे-धीरे कट्टर बन जाते हैं और अपना अपमान करने वालों के साथ पूर्ण शत्रुता का व्यवहार करने लगते हैं।

जाति-भेद के कारण देश-रक्षा में भी बड़ी बाधा पड़ी है और अधिकांश देशवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में कर्तव्यविमुख सिद्ध हुए हैं। जब हम पढ़ते हैं कि अमुक पठान आक्रमणकारी ने १८ सवार लेकर बिहार के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, तो उसका कारण यही था कि वहाँ युद्ध करने वाले क्षत्रियों का अभाव था और अन्य जाति वाले सोचते थे कि हमारा युद्ध से कोई संबंध नहीं।

जाति-भेद की कट्टरता के कारण हिंदू लोगों का विदेश जाना रुक गया और इसलिए वे संसार में होने वाले नये-नये परिवर्तनों से अपरिचित रहकर कूप-मंडूक बन गये। विदेश जाने पर वहाँ के लोगों से खान-पान का कुछ संपर्क होता ही था और अधिक समय निवास करने पर, वहाँ की स्त्रियों से वैवाहिक संबंध भी हो जाता था। पर जाति-भेद की कट्टरता के कारण फिर वहाँ से वापस आकर जाति के अंग बने रहना या अपने स्त्री-बच्चों को साथ लाकर हिंदू-समाज की संख्या बढ़ा सकना संभव न था। इसका नतीजा यह होता था कि यदि हिंदू बाहर जाते भी थे, तो वे फिर हमारे लिए विदेशी और विधर्मी बनकर पराए ही सिद्ध होते थे।

जाति-भेद की वृद्धि से सबसे बड़ी हानि वैवाहिक व्यवस्था में हुई है, इसके कारण अधिकांश जातियों का क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो जाता है, जिससे उनको वर-कन्या का चुनाव करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। अनेक सुयोग्य कन्याओं को अपनी अपेक्षा

अयोग्य वरों को ब्याहनी पड़ती हैं, क्योंकि उस बिरादरी में अधिक योग्य लड़के मिल ही नहीं सकते। इसी प्रकार कितनी ही परिगणित शूद्र जातियों के लड़के सरकारी सहायता से उच्च परीक्षाएँ पास करके अच्छे महकमों में अफसर बन जाते हैं, पर उनको विवश होकर अशिक्षित और सभ्यता के नियमों से अपरिचित निम्न स्तर की युवतियों के साथ ही दांपत्य जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

दहेज की कुरीतियों का कारण भी अधिकांश में यही है कि जिन उपजातियों में विवाह योग्य लड़कों की कमी रहती है, उनमें लोगों को अपनी कन्याओं के उपयुक्त वर निश्चय करने में बड़ी कठिनाई होती है और वे प्रतिस्पर्धा में वर की कीमत बढ़ाते जाते हैं। यदि उनको अपने वर्ण की सभी उपजातियों में वर ढूँढ़ने की स्वाधीनता हो, तो वे सहज में उपयुक्त वर पा सकते हैं।

इसी जाति-भेद का परिणाम है कि अनेक सुयोग्य व्यक्तियों को समाज में उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता और जिन लोगों में आगे बढ़ने की प्रतिभा होती है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। हिंदू-जाति में गत कुछ सौ वर्षों में कबीर, रैदास, दादू, धना, सेन, तुकाराम, नामदेव आदि अनेक भक्त और संत हुए, जो चरित्र और आध्यात्मिकता की दृष्टि से तत्कालीन बड़े से बड़े ब्राह्मण से श्रेष्ठ थे। पर इसी जातीय संकीर्णता के कारण उनका हिंदुओं की उच्च जातियों में जैसा चाहिए वैसा सम्मान प्राप्त न हो सका।

हिंदू-धर्म के परवर्ती धर्म-ग्रंथों में समुद्र यात्रा को निषिद्ध बता दिया गया। इससे यहाँ के व्यक्तियों की योग्यता और इच्छा होने पर भी विदेश जाकर उन्नति करने का मार्ग बंद हो गया। प्राचीन काल के इतिहास का कथन है कि हिंदुओं ने समस्त संसार में जाकर अपनी सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार किया था। बीच के समय में भी उन्होंने सुमात्रा, जावा, श्याम, कंबोडिया आदि में बड़े-बड़े उपनिवेश स्थापित किये, जिनके चिह्न मंदिरों तथा ग्रंथों के रूप में अब भी वहाँ मौजूद हैं। पर वर्तमान संकीर्ण जातीय नियमों

के कारण विदेशों का मार्ग हिंदुओं के लिए बिल्कुल रुक गया। इतना ही नहीं वरन् फिजी, ट्रिनीडाड, मारीशस में जो भारतीय संयोगवश पहुँच गए, वे भी जात-पाँत के नियमों का पालन न कर सकने के कारण वहाँ से देश वापस आ सकने में असमर्थ हो गये। अब ऐसा समय आ गया है कि जनसंख्या की अधिकता से भारत में जमीन और रोजगार की कमी स्पष्टतः अनुभव की जा रही है, पर किसी के मन में यह बात पैदा नहीं होती कि विदेशों में उपनिवेश स्थापित करके भूमि का भार हल्का करें।

अब धीरे-धीरे यहाँ के युवक शिक्षा प्राप्त करने विदेश जाने लगे हैं और अपनी योग्यता से इसी देश में नहीं, विदेशों में भी उद्योग-धंधे में लगकर यश और धन दोनों प्राप्त कर रहे हैं। पर जो लोग जात-पाँत के भय से अपनी चहारदीवारी में ही बंद हो जाते हैं, वे उन्नति और प्रगति से वंचित रहते हैं।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वर्तमान समय में जात-पाँत हिंदू समाज के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो रही हैं और उसके कारण उसमें अनेक दोषों की उत्पत्ति हो रही है। सामाजिक सुधार की जितनी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, उन सबमें यह एक बड़े रोड़े की तरह बाधक होती है। पिछले वर्षों में हिंदू-संगठन की बड़ी-बड़ी कोशिशों की गई, पर जाति-भेद के कारण उनमें कभी ठीक सफलता नहीं मिल सकी। इसके कारण हिंदू-जाति के चरित्र का पतन हो रहा है और बिना चरित्र के किसी का प्रगति-मार्ग पर अग्रसर हो सकना संभव नहीं। समाज हितैषियों को इस समस्या पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और साहसपूर्वक इसके समय विरोधी हानिकारक बंधनों को तोड़ने का निश्चय करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए।



नारी तिरस्कार समाज पर कुठाराघात है

समाज के उत्थान और पतन का आधार अधिकांश में स्त्रियों पर ही है। स्त्रियाँ राष्ट्र की जननी होती हैं और भावी संतान का चरित्र निर्माण तथा शारीरिक और मानसिक विकास उन्हीं पर निर्भर होता है। जिस देश और काल में जैसी नारियाँ होती हैं, उन्हीं के अनुसार वहाँ का समाज बनता या बिगड़ता रहता है। प्राचीन काल की क्षत्राणियों का दूध पीने वाले योद्धा, शत्रु को पीठ दिखाना सबसे बड़ा अपमानजनक कार्य समझते थे। इन्हीं वीर-माताओं की शिक्षा का परिणाम था कि दस-दस, बारह-बारह वर्ष के बालकों ने बड़ी-बड़ी सेनाओं का मुकाबला किया और हँसते-हँसते प्राण दे दिये।

जब उपर्युक्त सिद्धांत को दृष्टिगोचर रखकर हम अपने समाज की वर्तमान दुरवस्था पर विचार करते हैं, तो उसका कारण सहज ही में विदित हो जाता है। यहाँ की स्त्रियों की दशा कई हजार वर्ष से गिरती जा रही है और वर्तमान समय में तो वे केवल गृहस्थी का धंधा करने वाली ही रह गई हैं। समाज पर उनका कोई प्रभाव या अधिकार नहीं माना जाता। मध्यकाल में उनको शिक्षा से सर्वथा वंचित कर दिया गया था, पर्दा-प्रथा प्रचलित करके, उन्हें सांसारिक ज्ञान से भी शून्य बना दिया था, विवाह संबंधी कुरीतियों के कारण उसका सामाजिक-सम्मान घटा दिया गया था और उन्हें पूर्णतया पुरुषों पर आश्रित बना दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि वे सब प्रकार शक्ति, विद्या, बुद्धि आदि से हीन हो गईं और अनेक जातियों में तो वे भी एक प्रकार की संपत्ति समझी जाने लगीं, जैसे—मकान, खेत, पशु आदि को माना जाता है। अनेक अर्थ-पिशाच दस-बारह वर्ष की कन्या को दो-चार हजार रुपये लेकर पचास-साठ वर्ष के बूढ़ों के हाथ बेच देते और समाज उनके

विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाता। अनेक समय विवाहिता पत्नियों को बेच देने के किस्से भी सुनने में आते हैं, यद्यपि वे विशेषतया ऐसे ही प्रदेशों में सीमित हैं, जहाँ स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऐसी दास वृत्ति वाली स्त्रियों की संतान किस प्रकार उन्नत चरित्र, मनस्वी, निडर और स्वाभिमानी हो सकती है ? इस हीन अवस्था के कारणों पर विचार करते हुए एक लेखिका ने कुछ समय पहले लिखा था—

“इस तरह लगभग दो-तीन सौ वर्ष से भारतीय स्त्रियों की दशा गिरती जा रही है और अब वे पूर्ण रूप से पुरुषों के इशारे पर चलने वाली बन गई हैं। इस शोचनीय परिवर्तन का मुख्य कारण ब्राह्मणत्व का अहंकार और धर्म गुरुओं का गलत प्रभाव जान पड़ता है। इन लोगों ने न जाने क्या समझकर शूद्रों के साथ स्त्रियों को भी सब प्रकार के ज्ञान की अनधिकारिणी घोषित कर दिया। फिर जब मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण किया, तो उनके संपर्क में आकर उनको भी पर्दे में रखा जाने लगा और इससे वे उस सामान्य ज्ञान से भी वंचित हो गईं, जो मनुष्य को दुनिया के निरीक्षण से प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार वर्तमान समय में हिंदू-स्त्री की स्वाधीनता पूर्णतः छीन ली गई है और धर्मशास्त्रों ने उनके लिये नियम बना दिया है कि स्त्री जब तक जीवित रहे, उसे किसी के आधीन ही रहना चाहिए। वह अपनी इच्छानुसार कार्य करने को किसी अवस्था में स्वतंत्र नहीं है।”

स्त्रियों की हीनावस्था का दूसरा बड़ा कारण बाल-विवाह हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि जब लड़की कुछ सोच-विचार के लायक हो सके, उसके पहले उसे विवाह-बंधन में जकड़ दिया जाता है। उस समय वह न तो अपना भला-बुरा समझ सकती है और न जिसके साथ उसे जन्म भर के लिये बाँधा जा रहा है, उसकी अनुकूलता-प्रतिकूलता की जाँच कर सकती है। जो अवसर उसके शारीरिक, मानसिक विकास का होता है, उसी समय

उसके ऊपर गृहस्थी के संचालन, संतान उत्पन्न करने तथा पालने का गुरुतर भार रख दिया जाता है। इस प्रकार के विवाहों का एक फल यह भी होता है कि कितनी ही बार बड़े होने पर पति-पत्नी की प्रकृति एक-दूसरे से नहीं मिलती और उनका तमाम जीवन पारस्परिक कलह के कारण कटुतापूर्ण हो जाता है। ऐसे अनमेल दंपति की संतानें भी निकृष्ट होती हैं और उनमें भी माता-पिता के लड़ने-झगड़ने, ईर्ष्या-द्वेष के संस्कार आ जाते हैं।

जो स्त्रियाँ दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती हैं, उनका तिरस्कार तो और भी अधिक बढ़ जाता है। समाज ने एक तरफ तो उनके लिए घर के भीतर रहने, स्वतंत्रतापूर्वक काम न कर सकने और सदा किसी के संरक्षण में रहने का नियम बना दिया और दूसरी तरफ पुनर्विवाह की प्रथा को निंदनीय ठहरा दिया गया है। इसका अर्थ इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि ऐसी स्त्रियाँ घोर कष्टमय जीवन बिताएँ, भूखों मरें या कुपथगामिनी होकर कुल कलंकिनी और व्यभिचारिणी कहलाएँ। उन दो-चार भाग्यशाली स्त्रियों की बात छोड़ दीजिए, जो अनुकूल परिस्थितियों के कारण शांतिमय जीवन व्यतीत करती हैं, अन्यथा घर वाले सभी युवती विधवाओं को भार स्वरूप समझते हैं और उनकी खुले तौर पर निंदा और भर्त्सना की जाती है। उनका दर्शन अशुभ माना जाता है और घर पर जितनी मुसीबतें पड़ती हैं, उनका कारण उन्हीं अभागिनियों को बतलाया जाता है। अगर वह युवती होती है तो आमतौर से उसके चरित्र पर संदेह किया जाता है और वह अपनी परिस्थिति के विषय में किसी से खुलकर बातें भी नहीं कर सकती। उससे घर की नीच-टहल दासी की तरह कराई जाती है और बचा हुआ रूखा-सूखा भोजन करके उसे प्राण-रक्षा करनी पड़ती है।

वर्तमान समय में कई प्रकार की वैवाहिक कुरीतियाँ और विशेषकर दहेज प्रथा का बिगड़ जाना स्त्रियों की स्थिति के गिरने, का मुख्य कारण बना हुआ है। दहेज की प्रथा ने मध्यम श्रेणी के

व्यक्तियों की कमर तोड़ दी है और सामान्य स्थिति के अनेक व्यक्ति उसके भार से इस प्रकार पिस जाते हैं कि अनेक बार तो उनको प्राण देकर उससे पीछा छुड़ाना पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिंदू घरों में कन्या का जन्म महा अशुभ माना जाने लगा है और कन्या के पैदा होने का समाचार सुनकर अनेक परिवारों में शोक की लहर दौड़ जाती है। कितने ही अवसरों पर अधिक कन्याओं के जन्म पर माता-पिता को रोते देखा गया है। ऐसी अवस्था में यह आशा किस प्रकार की जा सकती है कि कन्याओं का उचित रीति से पालन-पोषण किया जाएगा और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की ठीक ढंग से व्यवस्था की जाएगी। उनके वैवाहिक व्यय की कल्पना करके बहुसंख्यक लोग तो उनकी मृत्यु ही मनाया करते हैं, कुछ सचमुच उनके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि वे कष्ट सहकर काल-कवलित हो जाती है। जो लोग ऐसी नृशंसता नहीं भी करते, वे भी उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार तो करते ही हैं। लड़का और लड़की के बीच बहुत अधिक वैषम्य का कारण यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी होता है। जहाँ लड़कों के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, वहाँ लड़कियों को एक निरर्थक भार समझकर लाचारी से पाला जाता है और कोशिश की जाती है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र उनसे पीछा छूटे।

इन सब कारणों से नारियों का मानसिक विकास तो दूर रहा, उनकी शारीरिक अवस्था भी प्रायः शोचनीय बनी रहती है। उनका स्वास्थ्य निर्बल रहता है, कोई न कोई रोग उनको लगा ही रहता है। जिसको निरोग कहा जा सके, ऐसी स्त्री सौ में से एक भी शायद ही मिलेगी। अन्यथा प्रत्येक स्त्री किसी न किसी गुप्त या प्रकट बीमारी में ग्रसित रहती है। मासिक धर्म की खराबी और प्रदर संबंधी शिकायत तो आजकल बिल्कुल मामूली बात हो गई है। आरंभिक अवस्था में तो इनको रोग भी नहीं माना जाता, पर जब इनके कारण अन्य शारीरिक कष्ट होने लगते हैं और शरीर

खोखला होकर बेकार हो जाता है, तब लोगों की आँखें खुलती हैं और साधारण दवा-दारू की जाती है। पर जब तक मूल कारण बना रहता है, अज्ञान और परिस्थितियों के कारण स्त्रियों का रहन-सहन तथा खान-पान त्रुटिपूर्ण बना रहता है, तब तक स्वास्थ्य के लौटने की आशा कैसे की जा सकती है ? इसी अवस्था में अनेक स्त्रियाँ संतानोत्पादन भी करती हैं, जिससे उनके बच्चे भी निर्बल, रुग्ण और अनेक दोषों के शिकार ही निकलते हैं। इस दृष्टि से नारियों की दुरवस्था और उनके प्रति हमारा उपेक्षणीय व्यवहार, राष्ट्र के उत्थान में भी बड़ा बाधक सिद्ध होता है और उससे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विकास में पग-पग पर कठिनाई पड़ती है।

नारी को परिवार की व्यवस्थापिका और नियंत्रण करने वाली माना गया है, पर उचित शिक्षा-दीक्षा के अभाव से वह अपने इस कर्तव्य पालन में भी सुयोग्य नहीं बन पाती। वह बच्चों के पालन और घर के आय-व्यय की व्यवस्था में अनुभवहीन होने के कारण गलतियाँ करती रहती हैं, जिससे परिवार की प्रगति में बड़ी बाधा पड़ती है। यदि स्त्रियाँ योग्य हों, तो वे अपने घर का सब तरह से सुधार कर उसे सुख और कल्याण का आगार बना सकती हैं। प्राचीन समय में स्त्रियों के कर्तव्य यही समझे जाते थे और शास्त्रों में उनकी महिमा संबंधी जो वाक्य पाये जाते हैं, उनमें घर की उन्नति और परिवार की प्रगति का मुख्य आधार नारियों को ही माना जाता था। इस संबंध में 'विष्णु पुराण' का वचन है—

पत्नीमूलं गृहं पुंसां यदिच्छन्दानुवर्तिनी ।

तया धर्मार्थकामानां त्रिवर्ग फलमश्नुते ॥

अर्थात् "गृहस्थ आश्रम की सफलता का मूल स्त्री ही है। उसका निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ है। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों की प्रगति पत्नी के द्वारा ही होती है।"

एकचक्रो रथो यद्वदेकपक्षो यथा खगः ।

अभार्योऽपि नरस्तद्वदयोग्यः सर्वकर्मसु ॥

अर्थात् "जैसे एक पहिये का रथ अथवा एक पंख का पक्षी बेकार है, उसी प्रकार बिना पत्नी के पुरुष भी सब कामों में अयोग्य होता है।"

पर ये बातें उसी समय सार्थक होती हैं, जब स्त्रियों को अपने कर्तव्य पालन के योग्य बनाया जाए और समर्थ बन जाने पर ही वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। आजकल की तरह अपने सर से बोझा हटाने के लिए गुड्डे-गुड़ियों के से विवाह कर देना या फैशन और बनाव-सिंगार को देखकर विवाह का निर्णय करना नारी को पतन के मार्ग पर ले जाता है। ऐसी स्त्रियाँ न स्वयं अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सकती हैं और न अपनी संतान तथा पति को विशेष लाभ पहुँचा सकती हैं। उनके साथ आरंभ ही से जो पक्षपात और उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है और बचपन से ही नारी-समाज की पराश्रित स्थिति देखकर, उनके ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, उससे वे अपने कर्तव्यपालन की दृष्टि से अयोग्य ही रह जाती है और अच्छा करने पर भी आदर्श गृहिणी नहीं बन पाती।

वर्तमान समय में हम एक नये युग में निवास कर रहे हैं और यह खयाल करना कि प्राचीन शास्त्रों के लिखने वालों ने स्त्रियों के जो कर्तव्य और आदर्श बतला दिये हैं, उनके सिवाय अन्य क्षेत्रों में नारी का प्रवेश निषिद्ध है, एक असामयिक विचार है। प्राचीन काल के जितने भी कथन हमको मिलते हैं, उनमें स्त्रियों के गृहिणी रूप का ही वर्णन किया गया है तथा पति और पुत्रों की सेवा ही उनका परम धर्म बतलाया है, पर अब पिछले सौ-दो सौ वर्षों से संसार में जो अनेकों क्रांतियाँ हुई हैं, उनके प्रभाव से पुराने आदर्श का यथातथ्य बने रहना सर्वथा असंभव है। हम पुरानी बातों का चाहे जैसा गुणगान करें, हमको विवश होकर मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अब यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि स्त्री का कार्य क्षेत्र केवल घर के भीतर आबद्ध नहीं रह सकता वरन् उनको सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी घुसकर

पुरुषों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा होने से वर्तमान समय की अनेक जटिल समस्याएँ सुलझा सकेंगी और तभी मानव-समाज प्रगति-पथ पर अग्रसर हो सकेगा। इस संबंध में श्रीमती सरलाबाई नायक नाम की विदुषी महिला ने एक लेख में कहा है—

“प्रचलित युग को कलियुग कहने के बजाय क्रांति-युग कहना अधिक उपयुक्त होगा। जो बातें पहले नहीं हुई थीं, वे ही आज मनुष्य को चकित कर रही हैं। ऐसी संसारव्यापी क्रांति से स्त्रियों का अलग रह सकना कदापि संभव नहीं है, या यों कहना बेहतर होगा कि स्त्रियाँ इस क्रांति से बची नहीं हैं। बल्कि यह क्रांति नया युग पैदा करेगी, इस बात के चिह्न दिन-प्रतिदिन अधिक परिमाण में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अभी तक पश्चिमीय (ईसाई) धार्मिक मान्यता के अनुसार ईश्वर ने स्त्री को केवल पुरुष के सुख-साधन के लिए और पुरुष की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पैदा किया है। यद्यपि पूर्वीय (भारतीय) कल्पना इस प्रकार की एक पक्षीय नहीं, है, उसमें पुरुष और स्त्री एक ही परब्रह्म के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं, इनमें कोई मुख्य नहीं। पर पूर्व की इन उदात्त कल्पनाओं के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्वीय स्त्रियों की स्थिति अधिक अच्छी है, यह समझना गलत होगा। हमारे शास्त्र कितने ही उदार विचारों से परिपूर्ण क्यों न हों, परंतु वास्तविक स्थिति बिल्कुल विपरीत है और हम उनसे हीन और अवनत दिखलाई देते हैं। अब यह स्थिति नहीं टिक सकती, कालप्रभाव से स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रविष्ट होकर अपना आवश्यक स्थान ग्रहण करना ही होगा।”

यद्यपि पिछले दस-बीस वर्षों में हमारे देश की नारियों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है और आज हम कह सकते हैं कि भारत में नारियाँ प्रधानमंत्री, गर्वनर और राजदूत जैसे ऊँचे पदों पर पहुँच चुकी हैं, जैसा अभी अन्य बहुत-से देशों में नहीं हो सका है। पर भारतवर्ष की समस्त जनसंख्या की दृष्टि से अभी ऐसी

स्त्रियाँ नगण्य ही हैं और वास्तविक तथ्य यह है कि अभी तक ७० प्रतिशत स्त्रियाँ लगभग उसी हीन दशा में पड़ी हैं, जो पिछले सौ- दो सौ वर्षों से चली आ रही है। हमारा कहना यह नहीं कि अधिकांश स्त्रियों को ऊँची परीक्षाएँ पास करना और नौकरियों का करना आवश्यक है। पुरुष और स्त्रियों के कार्य-क्षेत्र का बँटा रहना ही सामाजिक-कल्याण की दृष्टि से अधिक उपयोगी है और भारतीय स्त्री इस आदर्श को त्याग सके, इसकी आशा निकट भविष्य में नहीं की जा सकती, तो भी सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियों को सम्मानित स्थान मिलना और समय-समय पर उनकी सहमति और सहयोग लेना आवश्यक और हितकारी है। कम से कम, वर्तमान समय में पुरुष की सामाजिक और राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है और नाश की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में स्त्रियों का सहयोग इस परिस्थिति को सुधारने में विशेष लाभदायक होगा, क्योंकि उनमें सहृदयता की भावना अधिक होती है और वे अपने पतियों, पुत्रों और भाइयों के कल्याण के लिए जिस प्रकार स्वार्थ त्याग कर सकती हैं, वह पुरुषों के लिए संभव नहीं है।

इस सबके लिए यह अनिवार्य है कि हम नारी-निर्यातन की नीति को त्यागें और स्त्रियों को उनके न्याययुक्त अधिकार देने में आना-कानी न करें। हमारे शास्त्रों ने जैसा कहा है कि स्त्री और पुरुष समाजरूपी रथ के दो पहिये हैं, तो ऐसा मूर्ख कौन होगा ? जो उनमें विषमता पैदा करके समाज की प्रगति में अव्यवस्था पैदा करना पसंद करें। अभी तक अज्ञानता, पराधीनता और शक्तिहीनता के कारण जो पतन हुआ वह हो चुका, पर अब आगे के लिए सावधान होना, सँभल जाना हमारा कर्तव्य है। जब तक स्त्रियाँ हीन-स्थिति में पड़ी रहेंगी, उनको अज्ञानांधकार में रखकर हम उनसे गुलामी कराना ही पसंद करेंगे, तब तक निश्चय जान लीजिये कि लाखों बार "उन्नति-उन्नति"—"सुधार-सुधार" चिल्लाने पर भी कोई वास्तविक कल्याण न हो सकेगा। हम देश के

सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सुधारों की बहुसंख्यक योजनाएँ बनाते रहते हैं, पर वे इसी कारण बहुत कम अंशों में सफल हो पाती हैं कि हमारी स्त्रियाँ अभी तक आवश्यक योग्यता से वंचित हैं और वे हमारे कार्यक्रमों में सहायता पहुँचाने के बजाय उल्टी बाधक सिद्ध होती हैं।

फिर भी हम जानते हैं कि भारतीय स्त्री सदा से ऐसी नहीं है। उसकी पराधीनता तो पिछले एक हजार वर्ष के विदेशी शासन में ही बाल-विवाह के प्रचलन से इतनी अधिक बढ़ गई है। प्राचीनकाल में तो अनेक ऐसी वीरांगनाओं, नीतिशास्त्र की ज्ञाताओं और धर्म-शास्त्र में पारंगत नारियों का वर्णन मिलता है, जिनका नाम अभी तक स्मरणीय है और जिनके चरित्र अनुकरणीय माने जाते हैं। यद्यपि प्राचीन समय का कोई प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नहीं है तो भी जब हम देखते हैं कि भारतवासी ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में सरस्वती की और शक्ति देवी के रूप में दुर्गा की पूजा करते हैं तो हम यही अनुभव करते हैं कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी ऊँची थी और किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने में उनके मार्ग में रुकावट न थी। यद्यपि उस समय भी अधिकांश स्त्रियाँ गृहस्थ का संचालन ही अपना प्रधान धर्म मानती थीं और संतान-पालन पर सबसे अधिक ध्यान देती थीं, पर वे सभी तरह की योग्यता प्राप्त करती थीं और समय पर समाज और देश की रक्षार्थ, प्रगति के लिए उसका उपयोग करती थीं। अब भी यदि हम उस ऊँची स्थिति को पाना चाहते हैं और अपने कार्यक्रमों को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमको अपनी स्त्रियों को साथ लेकर उस मार्ग पर बढ़ना चाहिए।



अंधविश्वास समाज का घोर पतन कर रहा है

हमारे देश की एक बड़ी विचित्रता है कि एक ओर तो यहाँ ऊँचे से ऊँचे दार्शनिक और बौद्धिक सिद्धांतों की चर्चा सुनने में आती है और दूसरी ओर मूढ़ से मूढ़ अंधविश्वासों के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। संसार के विद्वान् इस देश को ज्ञान की भूमि मानते हैं और उपनिषद्-दर्शनों के सिद्धांतों को पढ़कर मुग्ध होते हैं, पर यहाँ के बड़े-बड़े पंडित एक छींक हो जाने या कुत्ता के कान फटफटा देने पर भी ठिठक जाते हैं और आवश्यक काम को भी स्थगित कर देते हैं। यहाँ के स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध सब श्रेणी और वर्गों के लोग अंधविश्वासों पर इतनी अधिक श्रद्धा रखते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार का वातावरण यहाँ इतना व्यापक है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त और नये विचारों के कहे जाने वाले लोग भी उससे सर्वथा मुक्त नहीं रह सकते और घर के पुराने संस्कारों के वश या दूसरों की देखा-देखी अंधविश्वासों को मान्यता देते ही हैं।

उदाहरण के लिए आप मुहूर्त संबंधी विचारों को लीजिए। छोटा-बड़ा कोई कार्य करना हो; ऐसे लोग सबसे पहले उसके लिए 'शुभ मुहूर्त' पूछने को पंडित जी के पास दौड़े जाते हैं। जन्म से मरण तक की जितनी सामाजिक क्रियाएँ और संस्कार हैं, उनके लिए तो मुहूर्त देखा ही जाता है, पर किसी काम के लिए दस-बीस कोस की यात्रा करने, नई दुकान खोलने, नये मकान में रहने के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है। यहाँ तक कि अनेक व्यक्ति नये कपड़े पहिनने तथा स्त्रियाँ चूड़ी पहिनने के लिए भी शुभ और अशुभ दिन का ख्याल रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि

अनेक आवश्यक कामों में विलंब होने से हानि हो जाती है और बहुत-से कार्य सुविधाजनक समय को छोड़कर असुविधापूर्वक करने पड़ते हैं। आप अपने जन्मोत्सव संस्कार करने के लिए दस-बीस मित्रों को बुलाकर जलपान कराना चाहते हैं। गर्मी की ऋतु में सुबह दस बजे तक सबको सुविधा और आराम रहता है। पर यदि पंडित जी ने शाम के तीन-चार बजे का मुहूर्त बतला दिया तो कोई लू और गर्द-गुबार के समय आना या ज्यादा ठहरना पसंद न करेगा और आपका उत्सव फीका हो जायेगा।

शकुन के संबंध में भी ऐसी ही बात देखने में आती है। छींक आने, बिल्ली के रास्ता काट जाने, भरा या खाली पानी का घड़ा सामने से आते देखकर लोग कार्य की सफलता-असफलता की भावना पहले से ही कर लेते हैं और अकारण ही कार्य को स्थगित कर अपनी हानि करते हैं। ऐसे लोग तेली, चर्मकार, चांडाल आदि जातियों के व्यक्तियों का दर्शन भी अशुभ मानते हैं और किसी काम के लिए जाते समय सामने ही ये मिल जाए तो बुरा मानते हैं। अगर काना आदमी दिखलाई दे, तो वह भी अपशकुन करने वाला बन जाता है। ऐसे लोग यदि किसी बीमारी के लिए वैद्य को बुलाने जाते हों और रास्ते में कोई अपशकुन हो जाए, तो पहले से ही बीमार के मरने का निश्चय कर लेते हैं।

छोटी श्रेणी के लोगों में और विशेषतः स्त्रियों में जादू-टोना, मंत्र-तंत्र, झाड़-फूँक, नजर-गुजर का बड़ा दौर-दौरा है और इनके बड़े कुपरिणाम समय-समय पर देखने में आते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ अपने छोटे बच्चों के बीमार हो जाने पर, उनकी चिकित्सा कराने के बजाय नजर लग जाने का ही संदेह करती हैं और वैद्य या डॉक्टर से दवा लाने के बजाय ओझा और सयानों से झाड़-फूँक कराती हैं। वे लाल मिर्च की धूनी देकर भी नजर का पता लगाती हैं, जिससे सबको खौसी आने लगती है। इस प्रकार की मूढ़ता के कारण बहुत कम उम्र के कमजोर बच्चे तो मर भी जाते हैं। अनेक

स्त्रियाँ एक दौने या मिट्टी के बर्तन में फूल, बताशा, सिंदूर आदि कई चीजें रखकर चौराहे पर रख आती हैं और समझती हैं कि ऐसा करने से बच्चे की बीमारी किसी और व्यक्ति के पास चली जायेगी। इस प्रकार की मूढ़ताओं का परिणाम यह होता है कि बीमारी बढ़ जाती है और फिर इलाज करने से भी कोई नतीजा नहीं निकलता।

भूत, पलीत, जिन्न, प्रेत आदि के विषय में जितने किस्से यहाँ सुनने में आते हैं, उतने संसार के किसी देश में नहीं सुने जाते। खेद है कि आज निराकार परमात्मा की उपासना करने वाली जाति, भूतों (मुर्दों) की पूजा कर रही है और उनको अपने सुख-दुःख, सौभाग्य—दुर्भाग्य का निर्णायक मान बैठी है। भूतों का भय यहाँ के पचास प्रतिशत लोगों में समायुक्त हुआ है और इस काल्पनिक भय से लोग बड़ी हानि उठाते रहते हैं। जब लोग यह समझ लेते हैं कि अमुक बीमारी भूत-प्रेत के कारण उत्पन्न हुई है, तो वे लाख इलाज करने पर भी स्वस्थ नहीं होते, जब तक कि कोई सयाना-ओझा उनको भूत के हटा देने का विश्वास न करा दे। स्त्रियों के सिर पर भूत आने की जो घटनाएँ गाँवों में प्रायः होती रहती हैं, उनसे उनके स्वास्थ्य, मन और चरित्र का बड़ा अधःपतन हो जाता है।

यहाँ की जनता में इस प्रकार के अंधविश्वासों ने इतना अधिक जोर पकड़ रखा है कि उसके कारण सदा तरह-तरह की भयंकर घटनाएँ घटित होती रहती हैं। कुछ समय पहले एक विद्यार्थी ने रावण के सिर काटने और पुनर्जीवित हो जाने की कथा पढ़कर महादेव जी के सामने अपना सर चढ़ाने की चेष्टा की, पर गर्दन का कुछ भाग कटते ही यह यंत्रणा से बेहोश होकर गिर गया। बाद में चिकित्सा करके उसे बचाया गया। इसी तरह कानपुर में तपेश्वरी देवी पर एक व्यक्ति ने अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। ज्यादा खून निकल जाने से उसके प्राण संकट में पड़ गए और भी कई लोग इसी प्रकार अपना बलिदान

करते हुए देखे गए हैं, जो या तो अधिक घायल होकर मर गए या पुलिस द्वारा आत्महत्या के अपराध में गिरफ्तार होकर जेल की सजा पाते हैं। ऐसे लोग किसी से यह सुन चुके होते हैं कि पृथ्वीराज के कवि चंद ने देवी के आगे अपनी जिद्धा काटकर वरदान पाया था और "पृथ्वीराज रासो" जैसा मशहूर ग्रंथ लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में यह किस्सा मशहूर है कि वे शौच से बचा हुआ जल एक बबूल के पेड़ पर डाल दिया करते थे। इससे उस पर रहने वाला एक प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया और उसकी सहायता से उनको हनुमान् जी के और फिर रामचंद्र के दर्शन हो गये। इस पर विश्वास करके अनेक लोग शौच जाते समय अपनी पूरी सफाई न करके भी पेड़ों की जड़ों में पानी डालते देखे गए हैं। इस प्रकार की मूढ़ताओं का अंत नहीं है और उनके कारण अनेक अनर्थों की सृष्टि होती रहती है।

हिंदू धर्म में ३३ करोड़ देवता माने गये हैं और सौ-पचास देवता तो मंदिर बनाकर पूजे जाते हैं, पर इस अंधविश्वास की बलिहारी है कि इतने से भी इनका पेट नहीं भरता, नये-नये देवताओं का आविष्कार करके, उनकी पूजा भी आरंभ की जाती है। कुएँ वाला, चौराहे का देवता आदि की भी बड़े जोरों से पूजा की जाती है। इतना ही नहीं मुसलमानों के पीरमर्द, जखैया, सैयद आदि मुसलमानी देवताओं की पूजा भी लाखों हिंदू स्त्री-पुरुष करते रहते हैं। हिंदू-संस्कृति की दृष्टि से यह पतन भी पराकाष्ठा है। एक तरफ, मुसलमानों को गौ-भक्षक, यवन, म्लेच्छ कहना, दूसरी तरफ उनके ऐसे देवताओं को पूजना, जिनको असली मुसलमान भी स्वीकार नहीं करते। इसका कारण यही है कि हिंदुओं में अंधविश्वास की इतनी अधिक प्रबलता है कि धर्म के संबंध में उन्होंने बुद्धि को गिरवी रख दिया है और जो कोई जैसे बहका देता है, वैसे ही ईंट-पत्थरों के सामने नाक रगड़ने को तैयार हो जाते हैं। हमने सुना है कि एक देहाती मेले

में एक भिखारी और कुछ साधन न पाकर एक मील के पत्थर पर सिंदूर लगाकर, उसकी पूजा करने लगा। उसे देखकर बहुत-से ग्रामीण उसी पर भेंट चढ़ाने लग गए और उसने दस-पाँच रुपये कमा ही लिए।

ये अंधविश्वास व्यक्तिगत दृष्टि से ही हानिकारक नहीं होते, समस्त समाज का इससे पतन होता है और प्रगति के मार्ग में बाधा पड़ती है। जो लोग किसी के चींकने को बुरी बात समझकर लड़ने- मरने को तैयार हो जाते हैं, वे मिल-जुलकर किसी बड़े काम को संपन्न करने में कब समर्थ हो सकते हैं ? जो अपनी भलाई के लिए दूसरों के घरों में आग लगाने में संकोच नहीं करते, वे समाज के साथ शत्रुता का कार्य करने से कैसे रुक सकते हैं ? जो लोग बनावटी देवी-देवताओं पर हजारों रुपये भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद और वरदान पाने के लालच में रहते हैं, वे परोपकार के कामों में कब आर्थिक सहायता कर सकते हैं ? इस तरह के महास्वार्थी और मतिहीन लोगों से जो समाज भरा हुआ है, वह सर्वहितकारी किसी कार्यक्रम पर कब आगे कदम बढ़ा सकता है ? वास्तव में अंधविश्वास व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रगति में एक बड़ी बाधा के समान है। जब तक करोड़ों व्यक्तियों का धन, समय और परिश्रम इस प्रकार के उल्टे, उन्नति विरोधी कामों में लगता रहेगा, तब तक हितकारी और कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति की आशा नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से देश भर की एक बहुत बड़ी जनसंख्या में फैले हुए ये तरह-तरह के अंधविश्वास उपेक्षा के विषय नहीं हैं और इनको मिटाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते रहना सब समाज हितैषियों का कर्तव्य है।



धर्म के नाम पर ठगी का व्यापार बंद किया जाए

जीवन-निर्वाह के लिए लोग तरह-तरह के धंधे, रोजगार, व्यापार, नौकरी आदि किया करते हैं। किसी को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और आमदनी कम होती है और कोई थोड़ी मेहनत में ही ज्यादा कमाई कर लेता है, कोई व्यवसाय सहज, सफाई का और सम्मानित समझा जाता है और किसी में मैला-कुचैला रहकर काम करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अपने काम में सचाई, ईमानदारी का भी यथाशक्ति ध्यान रखते हैं और बहुत-से तिकड़म, चालाकी, बेईमानी को ही नोट पैदा करने का असली मार्ग मानते हैं।

इस तरह दुनिया में सैकड़ों तरह के पेशे और सैकड़ों मनोवृत्तियों के व्यक्ति पाए जाते हैं। किसी को अपने मनोनुकूल रोजगार मिल जाता है, तो वह संतुष्ट जीवन बिताता है और दूसरे को अपनी रुचि के प्रतिकूल कार्य परिस्थितिबश करना पड़ता है। पर एक बात सबमें अनिवार्य रूप से पाई जाती है कि प्रत्येक पेशे में कम या अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अगर कोई व्यवसाय हुआ तो साथ में पूँजी भी लगानी पड़ती है और नफा के साथ नुकसान के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। यह भी कहा जा सकता है कि जिस काम में जितने सहज में अधिक कमाई हो सकती है, उसमें उतना अधिक खतरा भी उठाना होता है।

पर भारतवर्ष में आजकल धर्म-व्यवसाय ने ऐसा रूप धारण कर लिया है, जिसके लिए 'हर्र लगै न फिटकरी और रंग चोखा आवे' वाली कहावत चरितार्थ होती है। एक समय था, जब धर्म का प्रधान लक्षण त्याग और तपस्या माना जाता था और जो संसार के हित के लिए, समाज के कल्याणार्थ अपने सुख-संपत्ति को त्यागकर

पर-सेवा और परोपकार के मार्ग को अपनाता था, उसी को धर्मात्मा माना जाता था। पर जबसे प्राचीन अध्यात्म विद्या का लोप होकर सर्वसाधारण में अंधश्रद्धा ने घर कर लिया है तब से त्यागी और तपस्वियों के बजाय धर्म का आडंबर करने वाले मंदिर, मठ, तीर्थों के कर्ता-धर्ता बन बैठे। ये लोग सामान्य पूजा-पाठ के सिवाय धर्म की रक्षा और उसके प्रचार का कोई कार्य नहीं करते, तो भी अपने को सबसे बड़ा धार्मिक ही नहीं वरन् धर्म का प्रधान ज्ञाता और निर्णायक मानते हैं। इन लोगों में से अनेक का चरित्र प्रत्यक्षतः दूषित होता है, उनका रहन-सहन अमीराना और विलासी रहता है, वे सिवाय चेलों को बहकाने और भेंट-पूजा लेकर उसे अपने शौक-मौज में खर्च करने के दूसरा कोई कहने लायक काम नहीं करते। फिर भी वे अपने को धर्मध्वजी प्रकट करते हैं और दूसरों से भी ऐसा ही कहलाना पसंद करते हैं। अन्य प्रकार की ठगी, धूर्तता करके कमाई करने में सरकारी कानून का भी भय रहता है, कितने ही 'सोना बनाने वाले' और 'नोटों को दूना' करने वाले दंड भी पाते रहते हैं। पर इस 'गुरु' या 'भगवान्' बनने वाले व्यवसाय में ऐसा कोई खटका नहीं रहता और सहज में चेलों की भेंट-पूजा प्राप्त होकर सुख से समय व्यतीत होता रहता है।

अब कुछ धर्म-व्यवसायी इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। अब तक तो वे अपने को संत, महंत, महात्मा, गद्दीधारी, धर्मधुरीण ही कहते थे, पर अब वे स्वयं ईश्वर होने का दावा करने लगे हैं। खासकर पिछले २५-३० वर्षों से जब से देश में एक नए युग के आगमन और अवतार के प्रकट होने की चर्चा छिड़ी है, एक नहीं अनेक व्यक्ति इस सर्वोच्च पदवी के दावेदार बनकर सामने आने लगे हैं। पं० राजनारायण षट्शास्त्री ने इधर-उधर की गर्भे इकट्ठी करके 'चेतावनी' नामक ट्रैक्ट छापकर जनता की अवतार संबंधी अंधश्रद्धा को भड़का दिया, जिससे वे शीघ्र ही बल्कि अवतार के प्रकट होने की राह देखने लगे। इस सुअवसर को देखकर अनेक चलते-पुर्जे और महत्त्वाकांक्षी लोगों के हृदय में भगवान् बनने की

इच्छा जाग्रत् हो उठी और वे स्वयं अथवा अपने संगी-साथियों द्वारा अपने को 'अवतार' घोषित करने लगे।

किसी समय इन अवतारों की संख्या कई सौ तक जा पहुँची थी। केवल प्रभावशाली और कुछ अध्यात्म संबंधी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही ईश्वरीय वाणी में नहीं बोल रहे थे वरन् तेली, तमौली, पंसारी, ड्राइवर, मजदूर, क्लर्क, मास्टर जैसे छोटे-मोटे काम करने वाले और प्रायः अशिक्षित व्यक्ति भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अवतार की गद्दी की तरफ ललचाई आँखों से देख रहे थे। उनमें से कुछ तो उस 'बरसाती मौसम' के बीत जाने पर ठंडे पड़ गये, पर फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की बच रही, जिन्होंने सौ-पचास या हजार-पाँच-सौ अनुयायी बनाकर जीवन-निर्वाह का एक साधन बना लिया था। पिलुखना (मेरठ) निवासी प्रसिद्ध सनातनधर्मी कार्यकर्ता रामशरण दास जी ने समाचार-पत्रों में छपाया था कि 'अब तक मैं ऐसे २०० अवतार नामधारियों से मिल चुका हूँ और किसी में कोई तत्त्व की बात देखने में नहीं आई। इनमें से कई तो कृष्णजी का नाम लेकर मुकुट बाँधते हैं, बंशी बजाते हैं और रास भी रचते हैं।' पर कृष्ण जी ने किस प्रकार धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश किया था, इससे उनको कोई मतलब नहीं। ये लोग केवल प्रदर्शन और जबानी जमा-खर्च के बल पर ही 'भगवान्' बन जाना चाहते हैं।

'अवतारों' में संभवतः सबसे पुराने मेहरबाबा रहे हैं, जो लगभग चालीस वर्ष से अधिक भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी धूम मचाते रहे और सब जगह अपने कितने ही शिष्य भी बनाए। वे जन्म से पारसी थे और लगभग ४० वर्षों तक मौन रहकर लेखों और पर्चों द्वारा ही अपना प्रचार करते रहे। सन् १९५८ में उन्होंने एक पर्चे में लिखा था—

'मैं फिर दुहराता हूँ कि मुझे इस बार कोई कानून नहीं बनाना है। जब मैं सत्य की जीवन धारा बहाऊँगा, जिसको बहाने

के लिए ही मैं आया हूँ, तब मनुष्य का दैनिक जीवन खुद ही उपदेश बन जायेगा। मैं अपने आपको मनुष्यों से उनके खुद के अज्ञान के पर्दे में छिपाये रखता हूँ और कुछ थोड़े लोगों पर ही अपना जमाल-प्रकाशित करता हूँ। मेरा अवतारी स्वरूप काल के इस दौर (युग) का अंतिम अवतार है, इसलिए मेरा प्रकटीकरण अपूर्व होगा। जब मैं अपना मौन तोड़ूँगा, तो मेरे प्रेम की तरंग ब्रह्मांड भर में व्याप्त होगी। मैं वह दैवी प्रियतम हूँ, जो तुम्हें इतना अधिक प्यार करता है, जितना तुम खुद भी अपने आप से नहीं कर सकते। मेरा मौन तोड़ना तुम्हारी ऐसी सहायता करेगा कि तुम खुद अपनी खुदी को जानने में अपनी मदद कर सकोगे।” खेद है कि बाबा बिना मौन तोड़े ही चल बसे।

भारतवर्ष में एक और भी प्रख्यात संस्था है। सन् १९२१-२२ में उनके संचालक के ऊपर कराँची में ‘ओम राधे’ नाम की विवाहित महिला को बहकाकर अपनी चेली बना लेने का मुकदमा चला था। वह तो किसी तरह खत्म हुआ, पर संचालक बराबर अपने को ‘त्रिमूर्ति गऊपाल गुरु ब्रह्मा’ के नाम से प्रसिद्ध करने और अपनी चेलियों का दल बनाने में संलग्न रहे। लगातार प्रयत्न करते रहने से उनको कई सौ शिष्य मिल गये। जब पाकिस्तान बनने से कराँची से हटना पड़ा, तो उन्होंने अपना हेडक्वाटर आबू पहाड़ पर बनाया। आजकल देश के अनेक बड़े-बड़े नगरों में उनकी शाखाएँ स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें दो-चार चेलियाँ, उनका प्रचार करती-रहती हैं। इस संस्था की तरफ से प्रकाशित एक पुस्तिका में ‘गुरु ब्रह्मा’ का परिचय बड़े विस्तार और रहस्यमय ढंग से दिया गया था। उसमें उन्होंने एक जगह अटपटी भाषा में लिखा है—

“वास्तव में श्री श्री १०८ जगत् गुरु की उपमा भी सिर्फ एक ही निराकार परमात्मा के साकार ज्ञानेश्वर त्रिमूर्ति गऊपाल गुरु ब्रह्मा और ज्ञानेश्वरी श्री सरस्वती (संस्था की अध्यक्षा) को ही दी जा सकती है और कोई भी वेद-शास्त्रवादी विद्वान्, आचार्य, पंडित,

संन्यासी, उदासी वगैरह को यह उपमा देना मूर्खता है, क्योंकि निराकार और साकार परमात्मा के नाम, रूप, देश और व्यवसाय को वे नहीं जानते। बल्कि वे अपने को गुरु कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं न तो जीवन-मुक्त पद प्राप्त कर सकते हैं और न किसी को प्राप्त करा सकते हैं। वास्तव में "श्रीकृष्णं वंदे जगत् गुरुम्" कहना यथार्थ नहीं, "ब्रह्म वंदे जगत् गुरुम्" कहना ही यथार्थ है। श्रीकृष्ण ने जगत्गुरु बन किसको परमात्म-ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाया ? पिता श्री त्रिमूर्ति गुरु ब्रह्मा महा ज्ञानी हैं, तो महादानी भी है, जो अपने वारिसों को परमात्म-ज्ञान पढ़ाकर महाज्ञानी और महादानी भी बनाते हैं।"

लाहौर में एक अध्यात्मवादी सज्जन रहते थे। अनेक लोग उनके भक्त थे और उनको एक महापुरुष के तरीके से मानते थे। उनके पुत्र को उन भक्तों ने अवतार कहना आरंभ किया और कुछ समय में उनको हजार-पाँच-सौ अनुयायी भी मिल गए, जो उनको हार्दिक रूप से भगवान् का रूप ही समझते थे और अपनी भावना के अनुसार दर्शन भी पाते रहते थे। एक महिला भक्त ने उनका दर्शन करके लिखा था—

"महाप्रभु चैतन्य की तरह आपके शरीर में भी द्विविध भाव दृष्टिगोचर होते हैं। वैसे तो साधारण स्थिति में मनुष्यों के लिए प्रभु एक आदर्श महापुरुष अथवा साधक के भाव में रहते हैं। परंतु कभी-कभी अपने प्रेमियों की मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपने असली स्वरूप भगवत् आवेश में हो जाते हैं। उस समय आपकी सभी चेष्टाएँ तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय हुआ करते हैं और भक्तों को अपनी-अपनी रुचि के अनुसार आपके श्रीविग्रह में अपने इष्टदेव के दर्शन होते हैं। जिन्होंने इस भाव को प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है, वे ही इसका मर्म समझते हैं, परंतु दूसरे मनुष्य इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वे इस अलौकिक दिव्य अनुभव से बहुत दूर हैं।"

हिंदुओं के इस अंधविश्वास को देखकर अन्य लोगों का भी जी ललचाया कि इनकी मूर्खता का लाभ उठाया जाए। कादियाँ (पंजाब) के एक "मिर्जा गुलाम अहमद" भी भगवान् कृष्ण के अवतार होने का दावा करने लगे, उनको मुसलमानों ने तो अधिक नहीं माना पर गुजरात, अफ्रीका आदि में उनको भी कई हजार हिंदू अनुयायी मिल गए। इनकी तरफ से कुंभ के अवसर पर एक पर्चा बाँटा गया था, जिसका शीर्षक था—“वही हमारा कृष्ण” और जिसमें हिंदू-धर्म के अवतारवाद का प्रतिपादन करते हुए मूर्ति पूजा का खंडन किया और बतलाया कि “आप जरा गौर से ध्यान तो दो कि एक ईश्वर के मुकाबले में आपमें कितने देव और देवता निकल आये। अपनी पुस्तकों को जरा विचारपूर्वक देखो कि क्या श्रीकृष्ण और रामचंद्र ने भी किसी मूर्ति के आगे मस्तक झुकाया था ? पर क्या ईश्वर श्रीकृष्ण और श्रीरामचंद्र की संतान और सेवकों को सदा के लिए छोड़ सकता है ? कदापि नहीं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए, तो उसने हिंदुओं की उन्नति तथा उद्धार के लिए निष्कलंक अवतार को भेज दिया है और वह उसी समय आए हैं, जिसके प्रति योगराज श्रीकृष्ण जी पहले ही बता गए हैं। अब प्रत्येक मनुष्य जो ईश्वर से प्रेम करता है, वह इसी के द्वारा ईश्वर से मिल सकता है। इस अवतार का नाम श्री मिर्जा गुलाम अहमद है, जो कादियाँ जिला गुरुदासपुर (पंजाब) में प्रकट हुए हैं।”

इस तरह न मालूम कितने छोटे-बड़े व्यक्ति बिना किसी प्रमाण, आधार के धूल में लट्ट मारने के लिए अवतार बन बैठे। बहराइच के एक अनपढ़ व्यक्ति ने अपने घर में ही 'विश्व-शासन सभा' कायम कर दी और अपने कई सदस्यों को एशिया, योरोप, आस्ट्रेलिया आदि का भागी शासक घोषित कर दिया ! उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक देवी जो 'बुलंद महाराज' के नाम से अवतार होने का दावा करने लगीं। कोटपुतली (जयपुर) में एक पत्थर तोड़ने का काम करने वाले ने अपने चित्र में चार हाथ बनवाकर उसका फोटो छपा दिया और अपने को विष्णु का अवतार

बतलाया। करीमुद्दीनपुर (गाजीपुर) के एक छोटे दुकानदार ने अपने को शिव का अवतार कहकर इस संबंध में एक पुस्तिका बँटवाई। बंगाल में दयानंद, जगद्बन्धु आदि कीर्तन द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले कुछ वर्ष पहले हुए थे और वे मरने के बाद अब भी अवतार के रूप में पूजे जा रहे हैं। खानदेश (बंबई) में एक भील 'रामदास जी महाराज' अपनी जाति द्वारा अवतार घोषित कर दिये गए। इनके अतिरिक्त सच्चा बाबा, बुद्धावतार, आनंदमार्गी आदि-विष्णु-महेश में से किसी न किसी के अवतार बन गये। इस तरह सैकड़ों व्यक्ति पिछले वर्षों में जनता के सामने आकर अवतार होने का दावा कर चुके हैं और कुछ दिन तक उछल-कूद मचाने के पश्चात् इस जगत् के कोलाहल में लुप्त हो चुके हैं। समय-समय पर सामयिक पत्रों में उनकी चर्चा होकर साधारण पाठकों की उत्सुकता अथवा मनोरंजन का साधन-मात्र बन जाती है।

हमारे कथन का आशय यह नहीं है कि संसार में कभी महान् आत्माओं का आविर्भाव नहीं होता अथवा वे कुपथ में जाते हुए जनसमूह का मार्गदर्शन नहीं करते। पिछले ऐतिहासिक काल में ही भगवान् बुद्ध और महात्मा ईसा जैसी दैवी हस्तियाँ मानवता को एक नया मोड़ दे चुकी हैं। उनके पश्चात् भी भारतवर्ष में शंकराचार्य, चैतन्य, कबीर आदि और योरोप में लूथर, रूसो, कार्लमाक्स आदि ने जो कार्य किये हैं, उनसे उनको अतिमानव ही कहना पड़ता है। अगर आप इतनी दूर भी जाना न चाहें तो हमारी आँखों के सामने महात्मा गाँधी, स्वामी दयानंद और विवेकानंद ने देश की जिस प्रकार काया पलट की है, उसे दैवी-कार्य मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें से किसी ने कभी अवतार होने का दावा नहीं किया, अपने को संसार का सेवक ही कहते रहे, पर आजकल के ये सैकड़ों अवतार नामधारी अपनी प्रशंसा की पुस्तकें छपाकर विज्ञापन करने के सिवाय एक साधारण महत्त्व का कार्य भी नहीं कर सके, यह क्या एक आश्चर्य नहीं है ?

हम अवतार के सिद्धांत का खंडन नहीं करना चाहते। भगवान् राम, कृष्ण आदि की जो कथाएँ रामायण, महाभारत आदि में दी गई हैं, उनके मूल स्वरूप पर विचार करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानव जाति चलते-चलते जब किसी बीहड़ और अनुल्लंघनीय बाधाओं के स्थान पर पहुँच जाती है और आगे बढ़ सकना उसकी सामर्थ्य से बाहर जाना पड़ता है, तो दैवी विधान के अनुसार कोई महापुरुष उसके मार्गदर्शन और उद्धार का संकल्प कर लेता है और अपूर्व तेजस्विता तथा आत्मत्याग का उदाहरण उपस्थित करके विरोध और प्रतिरोधों को पार करके प्रगति के रुद्धमार्ग को खोल देता है। यह कोई महत्त्व की बात नहीं कि वह कोई चमत्कारी काम करके दिखलाता है या नहीं, क्योंकि अच्छे योगी भी बहुत-से काम ऐसे कर सकते हैं, जो हमको निश्चित रूप से चमत्कार ही प्रतीत होते हैं। अवतार का कार्य सोती हुई और मार्गच्युत दुनिया को दोष और दुर्गुणों से छुड़ाकर सही रास्ते पर ला देना है। सांसारिक जीव जब असंभव समझे जाने वाले कार्य की इस प्रकार पूर्ति होते देखते हैं, तो उसे परमात्मा की लीला ही मानते हैं और इसमें संदेह नहीं कि ऐसे महामानवों में उस अवसर पर किसी दैवी-सत्ता की झलक-सी दिखाई पड़ने लगती है।

धन्य है वह भूमि, जिसे कोई उच्च लोक की महान् आत्मा अपनी चरण-रज द्वारा पवित्र करती है और सौभाग्य है उन व्यक्तियों का, जो उसके दर्शन करते और उपदेशों को श्रवण करते हैं। ऐसी दिव्य आत्माओं का आविर्भाव भगवान् कृष्ण के कथनानुसार तब होता है, जब संसार में अन्याय और अशुभ कार्यों की वृद्धि मानव को पतन के गहरे गड्ढे में गिराने लगती है। चाहे उस समय लोग उनकी महानता को न समझें, फिर भी बाद में उनके कार्य के फल को देखकर उनको अपना परित्राणकर्ता समझकर पूजा करने लगते हैं। पर इस समय जो सज्जन अवतार बन रहे हैं, वे तो एक अंधविश्वास फैलाकर अपना पेट भरने का धंधा करते ही दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग तो कल्कि अवतार के

प्रकट होने की घोषणा करते रहना ही अपना रोजगार बना लिया है। ऐसे लोगों से श्री रामशरण दास जी ने पत्र लिखकर प्रार्थना की है कि 'यदि वे सचमुच अवतार हैं, तो इस संकटकाल में मुकुट और बाँसुरी छोड़कर सुदर्शन चक्र ग्रहण करें और देश पर आक्रमण करने वाले दुष्टों का विध्वंस करने में योग दें। हमारी भी उनसे यही विनय है कि "प्रभो ! अपनी लीला का संवरण करो और इस देश की पहले से ही अंधविश्वासों में ग्रस्त जनता को और भी गुमराह करने की कृपा मत करो।"



नागरिकता के नियमों का पालन सभ्यता का चिह्न है

जगत् विख्यात दार्शनिक और पश्चिमी राजनीति शास्त्र के प्रणेता अरस्तू ने लिखा है कि "नागरिकता के नियमों और सामाजिक न्याय के बिना मनुष्य सभी जीवों से अधिक खतरनाक है।" इसका आशय यही है कि यदि कोई सामाजिक व्यवस्था न हो और मनुष्य उसके नियंत्रण में न रहे, तो वह जंगली जीवों से भी भयंकर सिद्ध होगा। मनुष्य ने जो कुछ उन्नति की है, वह समाज में रहकर की है। इसलिए जो मनुष्य समाज-हितकारी नियमों का स्वयं पालन नहीं करता और उनकी उन्नति में सहयोग देना अपना कर्तव्य नहीं समझता, वह समाज में रहने के अयोग्य है। इसी सामाजिक कर्तव्य पालन को नागरिकता की भावना कहते हैं और यही मानवीय सभ्यता का आदि स्रोत है। सभ्यता का लक्षण यह है कि उसके अंदर व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता तथा शांति हो। अभी तक संसार का जो इतिहास विदित हो सका है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य में नागरिकता की भावना दिन

पर दिन बढ़ रही है, वह सामाजिक जीव बनता जाता है और इससे सभ्यता की भी उन्नति होती जाती है। यह हो सकता है कि कुछ गुण पहले जमाने में अधिक विकसित हुए हों अथवा किसी भू-खंड में सभ्यता का विशेष उत्कर्ष हो गया हो, पर समग्र मानव जाति की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि अब मानव मात्र की एकता की भावना बहुत अधिक विकसित हो चुकी है और सदैव नहीं तो समय-समय पर, अवसर आने पर उसका प्रदर्शन भी हो जाता है। यद्यपि अब से कई हजार वर्ष पहले हमारे ऋषि-महर्षि 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की घोषणा कर चुके थे, पर वह एक सिद्धांत के रूप में ही थी। इसको व्यवहार में लाने वाले संत-महात्मा सदा दस-बीस या सौ-पचास की संख्या में रहते आए हैं। पर अब इस तथ्य को पृथ्वी के समग्र देशों ने सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया है और सौ या हजार में से एक इसके अनुसार चलने का प्रयत्न भी करते हैं। इससे सभ्यता का काफी प्रचार हुआ है और मनुष्य अधिकांश क्षेत्रों में पूर्वापेक्षा प्रगति भी करता जाता है।

पर इन दिनों एक हजार वर्ष की पराधीनता के परिणाम स्वरूप हमारे देशवासियों में नागरिकता की भावना का बहुत हास हुआ है और वे सामाजिक हित के बजाय व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्त्व देने लगे हैं। नागरिक जीवन की छोटी-छोटी बातों की तरफ से भी वे उपेक्षा बरतते हैं। वे दूसरों के हित-अनहित का विचार नहीं रखते और अपने लाभ या प्रसन्नता के लिए कैसे भी स्वार्थपरता का समाज-द्रोही व्यवहार करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक हित का अर्थ ही नहीं समझते और 'आप मरे तो जग डूबा' के महामंत्र को रटते रहते हैं। उन अभागों को यह मालूम नहीं कि आज भी हम जितने पुराने और नये महापुरुषों, परोपकारी व्यक्तियों के नाम उच्चारण किया करते हैं, जिनको देवता की तरह समझकर मस्तक नवाते रहते हैं या जिनका गुणगान करना कल्याणकारी समझते हैं; वे राम, कृष्ण, महावीर,

अशोक आदि सभी ऐसे व्यक्ति थे, जो दूसरे व्यक्तियों-समाज के हित के लिए अपने हित को उत्सर्ग कर देते थे।

हम यह नहीं कहते कि सब लोगों को अपना हित छोड़कर समाज का हित करना चाहिए, क्योंकि वैसी महान् आत्माएँ तो करोड़ों में एक कभी प्रकट होती है। पर इतनी आशा तो साधारण स्तर के व्यक्ति से भी की जा सकती है कि वह अपने हित के साथ अन्य मनुष्यों के हित का भी ध्यान रखे। कम से कम ऐसे कार्यों से बचा रहे, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए असुविधाजनक अथवा हानिकारक सिद्ध होते हैं। पर आजकल बहुत-से व्यक्ति तो इतने अधिक स्वार्थी अथवा असामाजिक सिद्ध होते हैं कि उन पर रेवडी के लिए मसजिद ढहाने की कहावत चरितार्थ होती है। वे अपने छोटे से छोटे लाभ के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा अहित करते हुए बुराई नहीं समझते। यह प्रवृत्ति बहुत ही नीचता की है और अन्य देशों में ऐसे ही व्यक्ति समाज बहिष्कृत का-सा जीवन व्यतीत करते हैं। पर हमारे यहाँ आजकल अधिकांश व्यक्ति इसी प्रवृत्ति के पाये जाते हैं, जिससे समाजद्रोही कार्य करते हुए भी उनको किसी बाधा या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, तो भी यह निश्चय है कि यह अवस्था अधिक दिन तक कायम नहीं रह सकती।

अनागरिकता के कार्यों में जो चीज सबसे अधिक खटकने वाली दिखाई पड़ती है, वह लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने की आदत है। आप हाट, बाजार, गली-कूचा, मंदिर, आश्रम, मुसाफिरखाना, प्लेटफार्म, रेल के डिब्बे, मोटर-बस, धर्मशाला, होटल, पार्क अथवा मनोरंजन के अन्य स्थान कहीं भी देखें, आपको इस प्रकार की गंदगी के दर्शन सहज ही में हो जायेंगे। लोग आते या बैठते समय तो अपने लिए साफ जगह ढूँढ़ेंगे, पर चलते समय इस बात की जरा भी चिंता न करेंगे कि हम दूसरों के लिए इस कितनी गंदी हालत में छोड़े जा रहे हैं ? वे छिलके, जूठे दोने, कुल्हड़, फटे कागज आदि ही नहीं, यदि उन्हें थूकना-खखारना पड़े

या उनके बच्चे वहाँ पेशाब कर दें, तो भी उनको किसी प्रकार के संकोच या शर्म का अनुभव नहीं होगा कि यहाँ आकर अन्य लोग कैसे बैठेंगे या ठहरेंगे और हमारे बारे में वे क्या सोचेंगे ? रेल के डिब्बों में बैठे हुए अनेक लोग तो गाड़ी के फर्श पर हाथ धोकर, थूककर सब तरह के छिलके और जूठन फैलाकर इतनी ज्यादा गंदगी कर देते हैं कि पास बैठने वाले को वहाँ टिकना कठिन हो जाता है। वे बेचारे संभव हो तो वहाँ से हटकर अन्यत्र बैठने की कोशिश करते हैं अथवा उन्हीं का-सा कोई पक्का आदमी मिल जाता है, तो काफी कहा-सुनी और झगड़ा-फसाद हो जाता है। इसी प्रकार धर्मशालाओं की कोठरियों और होटल के अंदर कमरों की लोग ऐसी बुरी हालत कर देते हैं कि जब तक वहाँ का नौकर झाड़ू लगाकर और धोकर उन्हें साफ नहीं कर देता, तब तक किसी भले आदमी का मन उनमें भीतर घुसने को नहीं करता। स्टेशनों के मुसाफिरखानों और प्लेटफार्मों को लोग कूड़ाखाना ही समझ लेते हैं, जिससे वहाँ तीन-तीन, चार-चार बार झाड़ू लगने पर भी सफाई का अभाव ही दृष्टिगोचर होता है। यह सब काम नागरिकता की दृष्टि से बहुत निंदनीय है और आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए वहाँ निरीक्षक रखा जाए। इसके सिवाय यदि ऐसे स्थानों पर जगह-जगह मोटे अक्षरों में सफाई की हिदायतें लिख दी जाएँ तो उससे भी कुछ परिवर्तन हो सकता है।

चलने-फिरने के नियमों की भी यहाँ बड़ी अवहेलना की जाती है। पुराने-जमाने में सवारियों का रिवाज बहुत कम था। केवल बड़े लोग ही उन पर चलते थे। इसलिये शहरों के मार्गों में कभी-कभी घोड़ा-गाड़ी या इक्के ही दृष्टिगोचर होते थे। पर अब परिस्थितियाँ बदल जाने से मोटर गाड़ियों की बहुतायत हो गई है और सामान्य जनता के उपयोग के लिए इतनी बड़ी 'बसें' चलने लगी हैं, जिनको बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश लोग और खासकर ग्रामीण जनता इस परिवर्तन पर ध्यान न देकर इस प्रकार चलते हैं, जिससे दूसरे व्यक्तियों और खासकर सवारियों को बड़ी

कठिनाई पड़ती है। वे अक्सर बीच सड़क पर चलने लग जाते हैं या इस प्रकार झुंड बनाकर चलते हैं कि मार्ग रुक जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रायः छोटी-बड़ी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। कभी किसी व्यक्ति को चोट-चपेट लग जाती है और कभी कोई गाड़ी किसी मकान या पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। अनेक सवारी चलाने वाले भी अंधाधुंध चलाते हैं और भीड़ के स्थानों में भी ऐसी तेजी से साइकिल, स्कूटर, कार आदि चलाते हैं कि लोगों को बचने के लिए भागना पड़ता है। ये सब आदतें 'सड़क के नियम' न जानने या उनका पालन न करने की सूचक हैं। अगर मार्ग में चलते समय मनुष्य दूसरों की सुविधा का ध्यान रखकर नियम से चले-फिरे तो अनेक दुर्घटनाएँ बच सकती हैं।

इतना ही नहीं, अधिकांश शहरों और कस्बों में तो बीच बाजार में पशु भी इस तरह चलते या बैठे रहते हैं कि उनके कारण सवारियों के चलने में बड़ी बाधा उपस्थित होती रहती है और दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। लोग दूध के लिए गाय तो पाल लेते हैं, पर उनके खर्च से बचने के लिए उनको खुला छोड़ देते हैं। इनका सबसे बुरा दृश्य सब्जीमंडी में देखने को मिलता है, जहाँ ये मौका पाते ही साग-भाजी में मुँह डाल देती और दूसरी ओर दुकान वाले, जो पहले ही डंडा लेकर बैठते हैं, उनको मारने लगते हैं। ऐसी गायें अनाज, आटा, दाल आदि की दुकानों में नुकसान कर देती हैं, सब्जी खरीदकर ले जाने वालों की टोकरियों में से भी पीछे आकर खा जाती है। इनके और आवारा कुत्तों के कारण बाजारों में प्रायः बड़ी अव्यवस्था हो जाती है और लोग ऐसे पशु पालने वालों को बुरी-बुरी गालियाँ देते रहते हैं।

सार्वजनिक मार्गों पर कूड़ा फेंक देने की बहुत बुरी आदत अधिकांश लोगों में पाई जाती है। यद्यपि आजकल अनेक नगरों में नगरपालिकाओं की तरफ से टीन के बड़े-बड़े डोल रखा दिये जाते हैं, जिनमें कूड़ा डाल दिया जाए और मेहतरों की गाड़ियाँ उनको

इकट्ठा एक जगह से उठाकर ले जाएँ। पर लोग इस नियम की परवाह न करके हर जगह कूड़ा फेंकते रहते हैं। ऊपर की मंजिलों में रहने वाले आमतौर से वहीं से कूड़ा, गंदा पानी और फलों के छिलके आदि फेंक देते हैं, जो अनेक बार राह चलते लोगों पर पड़ जाते हैं और लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। छोटे शहरों में ही नहीं बंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में लोग चौथी-पाँचवीं मंजिलों से चाहे जो चीज फेंक देते हैं और इस बात की जरा भी फिकर नहीं करते कि वह किसी के ऊपर पड़ जायेगी या उनके कपड़ों को खराब कर देगी। सड़कों पर पड़े इन फलों के छिलकों पर पैर फिसलकर अनेक लोग गिरते रहते हैं, जिससे कभी-कभी भयंकर दुर्घटना हो जाती है। ये सब सभ्य जातियों के नहीं, असभ्य लोगों के लक्षण हैं। यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से हमारे नगरवासियों या पड़ोसियों का अनहित हो सकता है, उस तरफ ध्यान न देना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों में नागरिकता के भाव की बड़ी कमी है और अधिकांश लोग समाज में रहते हुए भी समाज-तत्त्व से अनभिज्ञ हैं। वे शायद समाज-संगठन का अर्थ जात-पाँत की रस्में, लेन-देन और शादी-मौत आदि के व्यवहारों को ही मानते हैं। नगर की स्वच्छता, व्यवस्था आदि को वे किसी और का उत्तरदायित्व समझते हैं, तभी तो बीच सड़क पर कूड़े और मलवे के ऐसे ढेर लगा देते हैं कि जिनसे अंधेरे के समय किसी को चोट लग सकती है। वे नालियों में दस-दस साल तक के बच्चे को टट्टी बैठाकर ऐसी गंदगी फैला देते हैं कि वहाँ से निकलने वालों को नाक कपड़े से दबानी पड़ती है। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे काम अनपढ़ और गरीब नहीं करते, अमीर, रईस और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के घरों में ही यह सर्वत्र देखने को मिलते हैं।

ऐसे लोगों के तीर्थ-स्थानों की दशा का यदि निरीक्षण किया जाए तो उनकी शुद्धता और धार्मिकता का (जो कि सभ्यता का ही एक अंग है) पूरा नक्शा आ जाता है। एक ओर तो वे उनको परम

पवित्र और मुक्ति देने वाले पुण्य-स्थल कहते हैं और दूसरी ओर उनके आस-पास ही खुले तौर पर टट्टी, पेशाब आदि करके ऐसी गंदगी फैलाते हैं कि दर्शन को वहाँ खड़े होने में भी कठिनाई होती है। वे लोग चाहे जहाँ कुल्ला करके, थूककर उस स्थान को और भी अपवित्र कर देते हैं। फिर यह तमाम गंदगी उन्हीं लोगों के नंगे पैरों में लगकर मंदिर के भीतर, भगवान् की मूर्ति के निकट तक पहुँच जाती है। फिर भी अपने को भगवान् का भक्त समझते हैं और उससे अपने लिये "दूध, पूत, धन, संपत्ति, निरोगिता" पाने की प्रार्थना करते हैं। इस विडबना को देखकर उनकी बुद्धि पर तरस आता है और कहना पड़ता है कि वे लोग धर्म-कर्म की लंबी-चौड़ी बातें बनाने के बजाय नागरिकता के साधारण नियमों को सीखें और उनका पालन करें, तो कहीं अधिक अच्छा हो।

आजकल की बढ़ी हुई आबादी और बड़े-बड़े नगरों की वृद्धि के कारण नागरिकता की व्याख्या पहले से बहुत बदल गई है, जबकि ज्यादातर व्यक्ति छोटे गाँवों में रहते थे और अधिकतर खुले स्थानों में समय व्यतीत करते थे। पर बड़े शहरों में जहाँ अधिकांश गलियाँ दो-डेढ़ गज चौड़ी ही होती हैं, यदि स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए, आस-पास के लोगों की सुविधा-परेशानी का खयाल करके व्यवहार न किया जाए, तो सबको कष्ट और हानि होना अनिवार्य है। यदि हम नागरिकता के नियमों का व्यापक रूप से प्रचार करें और आग्रहपूर्वक स्वयं उनका पालन करें और दूसरों से कराएँ तो बहुत-सी हानि से सहज ही बचा जा सकता है।



अपव्यय हमारी मूर्खता का परिचायक है

मानव-जीवन की सफलता के लिए जहाँ अनेक अन्य साधनों और गुणों की आवश्यकता है, वहाँ आर्थिक सुव्यवस्था भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। धन की शक्ति सदा से बहुत अधिक मानी गई है, जिसमें वर्तमान समय को तो अर्थ-युग ही कहा जाता है। यद्यपि मानव-जीवन में सबसे बड़ी चीज सदाचार है, पर वर्तमान समय के अधिकांश मनुष्यों ने उसका स्थान धन को दे दिया है और वे 'जग में सबसे बड़ा रुपैया' के सिद्धांत को मानने लग गये हैं। यद्यपि हम उस श्रेणी में सम्मिलित होने को तैयार नहीं हैं, तो भी इस समय रुपए की शक्ति बहुत बढ़ गई है और उसके द्वारा मनुष्य चाहे तो बहुत-से उत्तम कर्म करके, अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है। अपनी सुख-सुविधा और शांतिपूर्वक जिंदगी व्यतीत करने के लिए भी आर्थिक व्यवस्था का संतोषजनक होना अनिवार्य है। यद्यपि आत्मदर्शी और ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक दशा में अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख सकते हैं और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं, तो भी सामान्य लोगों पर यह नियम लागू नहीं हो सकता। आर्थिक कठिनाइयों के बीच वे शांतिपूर्वक रह सकें, इसकी आशा बहुत ही कम है। इसलिए सर्व-साधारण के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयत्न करना और खर्च को इस प्रकार एक सीमा के भीतर रखना, जिससे अपनी आय में आसानी से गुजारा हो सके, अत्यावश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो खर्च कभी पूरा नहीं पड़ेगा और मानसिक व्यस्तता बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन ही संतोष और शांति से व्यतीत नहीं कर सकते, सामाजिक हित और परोपकार के कार्यों की आशा तो उनसे की ही कैसे जा सकती है ?

इस समस्या के मूल कारण पर जब हम विचार करते हैं, तो एक खास बात यह जान पड़ती है कि इस समय लोगों की कृत्रिम

आवश्यकताएँ और लालसाएँ बहुत बढ़ गई हैं और उनकी पूर्ति न होने से ही वे असंतोष का अनुभव किया करते हैं। हमारे पूर्वजों की आय हमारी अपेक्षा बहुत कम थी, उनको एक सीमित दायरे में ही काम करने का मौका मिलता था और उस समय धंधे-रोजगार भी इतने अधिक विस्तृत नहीं थे, तो भी इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन हमारी अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट और सुखी था। यह बात नहीं कि वे हमारी अपेक्षा ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाते थे या हमसे अच्छे कपड़े पहिनते थे या हमसे अच्छे मकानों में रहते थे, पर वे हमारी अपेक्षा असंतोष और अशांति के आक्रमण से अधिक बचे रहते थे। कारण यह था कि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को झूठमूठ नहीं बढ़ाया था। जीवन-निर्वाह के लिए तो सादा भोजन, मोटा कपड़ा और लिपा-पुता स्वच्छ छोटा-सा घर चाहिए, उतनी ही उनकी अभिलाषा रहती थी और इसलिए बहुत सामान्य आय में भी वे सुखी और संतुष्ट रह सकते थे।

अब हालत कुछ और ही हो गई है। आमदनी बढ़ाने के नये-नये स्रोत निकल आने और अनेक तरह के कल-कारखानों की सृष्टि हो जाने से लोगों के आर्थिक स्तर में बड़ा अंतर पड़ गया है। पहले जहाँ हजार में से दस-बीस को छोड़कर शेष सबकी आय और रहन-सहन का स्तर एक-सा होता था, वहाँ अब आमदनी की कमी या ज्यादाती के हिसाब से लोगों के रहन-सहन, खान-पान, कपड़े-लत्ते, घर की साज-सज्जा में बहुत अधिक फर्क दिखलाई पड़ता है। कम दर्जेवाला भी ऊँचे दर्जे वाले के रहन-सहन की नकल करने की चेष्टा करता है और आमदनी कम होने पर भी असली नहीं तो नकली चीजों से ही अपने को वैसा ही दिखाना चाहता है। इसके फलस्वरूप अधिकांश लोगों की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं, पर आमदनी का उसी अनुपात से बढ़ना संभव नहीं है। इतना ही क्यों, इन दिनों तो जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने से लाखों व्यक्तियों को बेकार भी रहना पड़ता है। यह आमदनी की कमी और आवश्यकताओं की अधिकता ही असंतोष,

अशांति और अनुचित संघर्ष का कारण है। आधुनिक फैशनेबल सभ्यता के प्रभाव से अधिकांश मनुष्यों की रुचि विलासिता और आडंबर की ओर होती जा रही है और वे यह मानने लगे हैं कि जिसके पास जितनी अधिक उपभोग की वस्तुएँ, कीमती सामग्री होगी, वह उतना ही बड़ा, सम्मानित और सुखी व्यक्ति है। ऐसे लोग बड़े लोगों को बिजली, पंखा, रेडियो, घड़ी, बरसाती, टार्च, थर्मस आदि जो भी व्यवहार में लाते देखते हैं, स्वयं भी नकल करके वैसा बनने की इच्छा करते हैं, चाहे उनको वास्तव में उनकी कोई विशेष उपयोगिता न भी हो। इस प्रकार के आडंबर और दिखावे का कोई अंत नहीं हो सकता और कम आमदनी वाले का धन जब ऐसी शौक की वस्तुओं में खर्च हो जाता है, तो जीवन-निर्वाह की अनिवार्य आवश्यकता के पदार्थों में कमी पड़ने लगती है और वह कष्ट और असंतोष का अनुभव करने लगता है।

वर्तमान समय में भी जो व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार आवश्यकताओं को सीमित रखकर हिसाब से खर्च करते हैं, वे प्रायः संतोष का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिन लोगों को चटोरेपन की आदत नहीं है और जिन्हें हलके और सादे वस्त्र पहनने में संकोच नहीं होता, उनका काम अब भी थोड़ी-सी आमदनी में राजी-खुशी चल जाता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए, तो ऐसे लोग दूसरी तरह के लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी भी रहते हैं। मिठाई, पकवान, चाट, महँगे और गरिष्ठ भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सादा कुर्ता, बंडी आदि की जगह कोट, पैंट आदि इस देश के मौसम से प्रतिकूल पड़ते हैं। सिगरेट, पान, चाय आदि में खर्च करना तो स्पष्ट ही अपने पीछे एक दुर्व्यसन लगाना और पैसा खर्च करके बीमारी मोल लेने की तरह होता है। सिनेमा का व्यसन भी ऐसा घातक है कि वह अनेक लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है और बदले में तरह-तरह के चरित्र-दोष, आँखों की कमजोरी और अनिद्रा आदि रोग पैदा करता है। इसी प्रकार खुशबू की चीजें, इत्र, सेंट, क्रीम, स्नो, बहुत कीमती साबुन आदि का प्रयोग भी शौक या

दिखावट के लिए होता है, क्योंकि उनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, वरन् कितनी ही शृंगार की वस्तुओं में हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिले रहते हैं। इन सब फिजूल की चीजों में खर्च करते रहने से जरूरी कामों में पैसे की तंगी अनुभव होने लगती है और लोग गरीबी और कम आमदनी का रोना रोने लगते हैं।

भारतवर्ष और योरोप के भी बड़े-बड़े विद्वान् तथा विचारक मानव-जीवन की सार्थकता के लिए 'सादा-जीवन और उच्च विचार' का उपदेश देते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि तरह-तरह के फैशन, सजावट, दिखावट द्वारा अपने को अमीर या बड़ा आदमी प्रकट करने की चेष्टा बचकानापन है। ऐसे लोग सम्मान पाने के बजाय लोगों की हँसी और व्यंग-विनोद के ही पात्र बनते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है कि वह अपना रहन-सहन, वेष-भूषा सादा रखे और विचारों तथा कार्यों में उच्चता का परिचय दें। इसका कारण यही है कि जब मनुष्य का ध्यान बनावट, सजावट आदि ऊपरी बातों में लगा रहेगा और वह इन्हीं को बड़प्पन का चिह्न मान लेगा, तो उसके विचार अन्य श्रेष्ठ गुणों, सज्जनता की तरफ प्रेरित ही कैसे होंगे ? यदि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना है, तो इन दिखावटी बातों की तरफ से ध्यान हटाकर सद्गुणों के पालन में शक्ति और सामर्थ्य लगानी होगी।

अन्य व्यक्ति भी इस अंतर को समझते रहते हैं और वे व्यक्ति को उसके गुणों और कार्यों के अनुसार ही आदर-सम्मान देते हैं। बने-ठने और ज्यादा टीम-टिमाक दिखाने वाले व्यक्तियों के मुँह पर चाहे कोई कुछ न कहे, पर पीछे से सब हँसी ही उड़ाते हैं। जो लोग शिक्षित न होने पर भी पोशाक, घड़ी, चश्मा, फाउंटेनपेन आदि लगाकर आजकल के शिक्षितों का-सा भेष बनाते हैं, उनको सब पूरा उल्लू समझते हैं। इस तरह के लोग अपना पैसा निरर्थक बातों में व्यय करके अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को खराब बनाते हैं और लोगों की निगाह में भी 'दिखाऊ' या आवारा ठहरते हैं, इससे बढ़कर मूर्खता क्या होगी ?

मनुष्य की बुद्धिमानी की जाँच की कसौटी यही है कि उसके खर्च करने के ढंग को देखा जाए। यों अनेक लोगों को बाप-दादे की कमाई बहुत-सी संपत्ति मिल जाती है और बहुत-से लोग किसी के सहारे अनाप-शनाप आमदनी का साधन भी पा जाते हैं, पर यदि वे ठीक ढंग से खर्च करना नहीं जानते तो सदा तंग हाल ही बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जिन्होंने उत्तराधिकार में दस-पाँच लाख की संपत्ति प्राप्त कर ली पर अपव्यय करके उसे दो-चार साल में फूंक दिया। स्वयं कुछ पुरुषार्थ और परिश्रम करके कुछ कमाने के बजाय उन्होंने मोटर, सिनेमा, शराब और अन्य मनोरंजन में उस पैसे को इस तरह बर्बाद किया कि कुछ ही समय पश्चात् खाने के भी लाले पड़ गए और उनको बदनामी और लांछन सहकर ही अपने जीवन का दुर्दशा में अंत करना पड़ा।

इस प्रकार अपव्यय के बहुत-से रास्ते हैं। आपकी आमदनी कितनी ही अधिक हो, पर यदि आप उसे नियम और कायदे से खर्च करना नहीं जानते, तो सदा खर्च की कमी का रोना बना ही रहेगा। पाँच सौ रुपया वेतन वाले अफसर साहब कर्ज में डूबे रहते हैं और उन्हीं का पचास-साठ की तनख्वाह वाला चपरासी शांति और सुख का जीवन बिताता है, ऐसे दृश्य इस युग में भी असंभव नहीं है। बात यह होती है कि अफसर साहब को कॉलेज के जमाने से ही फिजूलखर्ची की आदत पड़ी रहती है और यहाँ सब अफसरों को खूब खर्च करते और शान-शौकत से रहते देखकर, उनकी असंयम की भावना और भी भड़क उठती है। वे बिना हिसाब के खर्च करके, अपने को कर्जदार बना लेते हैं। इसके विपरीत चपरासी पुराने तरीके में पला होता है, उसने अपने बाप को महीने में दस-पंद्रह रुपया कमाकर उसी में परिवार का भरण-पोषण करते देखा होता है, अतः वह इस महँगाई के जमाने में भी पचास-साठ या सौ रुपया में अपना निर्वाह सादगी से करके भविष्य के लिए दस-पाँच रुपया जमा भी कर लेता है।

आजकल हमारे समाज में सबसे अधिक अपव्यय विवाह के संबंध में देखने में आता है। कुछ लोग तो उस अवसर पर सामर्थ्य न होते हुए भी इस तरह पैसे की होली करते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। उस अवसर पर बाजे-गाजे, नाच-गाने, रोशनी, आतिशबाजी, फूलपट्टी, महफिल और मोटर की सजावट, नेग-जोग, दावत आदि में इतना धन बर्बाद किया जाता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। दहेज में जो तरह-तरह के सामान, फर्नीचर, रेशमी, कामदानी-पोशाकें दी जाती हैं, उनमें से भी बहुत-सी चीजें बेकार जाती हैं। उस समय तो लोग दूसरों के जोश दिलाने या अन्य व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा में यह फिजूलखर्ची कर डालते हैं, पर बाद में इसके कारण उनकी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे वर्षों तक उनको परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ लोगों की तो इससे जड़ ही हिल जाती है और फिर वे कभी सँभलने नहीं पाते।

जेवरों में जो रकम विवाह के अवसर पर या बाद में भी लगाई जाती है, उसका एक बड़ा हिस्सा घाटे में जाता है, अर्थात् अगर एक हजार का जेवर बनवाया जाए और बाद में जरूरत पड़ने पर यदि उसे बेचा जाए, तो मुश्किल से ५००-६०० ही खड़े होते हैं। सोने-चाँदी में मिलावट होने के सिवाय गढ़ाई, टाँका, नग-जड़ाई आदि तो बट्टे खाते ही जाते हैं। अगर दो-चार साल लगातार पहना जाए तो घिसाई भी काफी निकल जाती है। हमारे एक मित्र कहा करते थे कि दस साल में सौ रुपया का सोना तो मसाले में खप गये। उनकी स्त्री सोने के पत्तर के कड़े पहिने थीं, जिनमें दो तोला सोना लगा था। वह हर रोज सिल पर पानी डालकर मसाला पीसकर साग-तरकारी में डालती थी। हर रोज कड़े में कुछ न कुछ रगड़ लगती ही थी और दस साल बाद जब वे टूट-फूट जाने से दोबारा बनवाये गए, तो सुनार के यहाँ तोलने पर मालूम हुआ कि दो तोले में से एक तोला सोना ही शेष बचा है; शेष एक तोला सिल की रगड़ लगने से धीरे-धीरे मसाले में मिल गया। इस तरह जेवर का शौक एक बड़ा अपव्यय है, जिसमें बड़े लोगों के यहाँ तो लाख-पचास हजार की और साधारण श्रेणी

वालों में दस-पाँच हजार या दो-चार हजार की रकम फँसी ही रहती है और अंत में वह प्रायः बर्बाद हो जाती है।

विवाह की तरह मृत्यु-भोज की विशाल दावतें भी पैसे की घोर बर्बादी के साथ ही हमारी हृदयहीनता की भी परिचायक हैं। ऐसे समय जबकि मृत व्यक्ति के संबंधी उसके वियोग में शोकग्रस्त होते हैं अथवा निर्वाह का साधन छिन जाने से भविष्य की आपत्तियों की कल्पना से चिंतित होते हैं, उनके सिर पर बड़ी-बड़ी दावतों का भार रखना और हजारों रुपया व्यर्थ में व्यय कर देना कहाँ की बुद्धिमत्ता या जाति हितैषिता है ? मृत्यु होने पर तो शास्त्रानुकूल विधि से मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करने की क्रिया करना ही पर्याप्त है। उस अवसर पर अधिक खर्च करना और सैकड़ों, हजारों व्यक्तियों को भोज देना अपव्यय और मूर्खता का ही चिह्न है। इसी प्रकार वर्तमान समय में सब पदार्थों की अत्यंत महँगी होते हुए पुरानी रूढ़ियों या परंपरा के नाम पर बड़ी-बड़ी दावतें करना और उनसे अपनी प्रशंसा या नामवरी मान लेना एक बड़ी भूल है।

सच तो यह है कि जो धन कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ करके पैदा किया जाता है, वह फलता-फूलता है और संतोष तथा शांति प्रदान करता है। हराम का धन, वह चाहे किसी प्रकार उत्तराधिकार में मिला हो या जुआ, लाटरी, सट्टा आदि जैसे काम से प्राप्त हो गया हो या रिश्वत, भ्रष्टाचार, बेईमानी द्वारा कमाया गया हो, प्रायः अपव्यय द्वारा बर्बाद ही होता है। ऐसे व्यक्ति अपना तो सर्वनाश करते ही हैं और लोक-परलोक में दुःखी संतप्त होते ही हैं, पर दूसरों के लिए भी वे एक बुरा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिससे अनेक कच्ची बुद्धि वाले उनका अनुकरण करने की चेष्टा में अपनी हानि कर लेते हैं।

इस दुरवस्था से बचने का वास्तविक उपाय अपनी आवश्यकताओं को कम करना ही है। भारत के अध्यात्मवादियों ने मानव-जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो पाँच महाव्रत बतलाए हैं, उनमें से एक अपरिग्रह भी है। इसका आशय यही है कि हम अपनी

आवश्यकताओं को उतना ही रखें, जितनी जीवन को पवित्रता तथा श्रेष्ठता के साथ व्यतीत करने के लिए अनिवार्य हो। आवश्यकताओं के बढ़ाने से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए प्रायः अनुचित साधनों का ही आश्रय लेना पड़ता है। इससे सद्गुणों का नाश होता है और मनुष्य पतन के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। इस लोक में तो उसे दूसरों का आश्रित, कर्जदार या बेईमान बनना ही पड़ता है, साथ ही तरह-तरह के पाप-कर्मों की अधिकता हो जाने से परलोक में भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो व्यक्ति अपना जीवन इस तरह आर्थिक दृष्टि से असंतुलित करेगा और धन प्राप्त करने के लिए बुरे-भले उपायों का ध्यान न रखेगा, उसमें मानसिक विकार अवश्य बढ़ेंगे, उसकी आत्मा भी पतित और क्लुषित बनेगी और वह अंतकाल में अशांति और पश्चात्ताप की स्थिति में ही परलोक को प्रयाण करेगा।

इस सिद्धांत को दृष्टिगोचर रखते हुए सादगी को भारतीय संस्कृति का एक अंग मान लिया गया है। हमारे पूर्वज आर्य-जाति के व्यक्ति तो बिना सिले हुए सादा और स्वच्छ वस्त्रों से ही काम चला लेते थे। उसके बाद बड़े-बड़े राजा भी उत्सव या संस्कारों को छोड़कर सादी वेषभूषा में रहते थे और अपना निजी काम भी बहुत कुछ अपने हाथ से कर लेते थे। विक्रम संवत् की स्थापना करने वाले महाराज विक्रमादित्य के लिए लिखा है, कि वे चटाई बिछाकर जमीन पर सोते थे और अपने पीने के लिए क्षिप्रा नदी से एक तूँबा जल भर लाते थे। ये सब दृष्टांत इसी बात की प्रेरणा करते हैं कि मनुष्य को जहाँ तक संभव हो, अधिक परिग्रह और कृत्रिम आवश्यकताओं से बचे रहना चाहिए, जिससे उसका व्यय संतुलित रहे और अपव्यय के कारण अनुचित मार्ग पर चलने की नौबत न आए। अपनी आमदनी से अधिक व्यय करना और वह भी झूठी शान-शौकत या हानिकारक व्यसनों के लिए, निःसंदेह एक बहुत बड़ी मूर्खता ही है।



नशेबाजी एक भयंकर खतरा है

नशेबाजी वर्तमान समय में एक संक्रामक रोग की तरह संसार भर में व्याप्त है। सब प्रकार के नशों से बचकर रहने वाले मनुष्यों की संख्या इस समय शायद सौ में से दस भी कठिनता से होगी। यह एक आश्चर्य की ही बात है कि सब प्रकार से चतुर अथवा सुशिक्षित समझे जाने वाले व्यक्ति भी एक ऐसे व्यसन में फँस जाते हैं, जिसमें हानि के सिवा किसी प्रकार का लाभ नहीं। शराब, तंबाकू, भाँग, गाँजा, अफीम, कोकीन आदि जितने भी नशे प्रसिद्ध हैं, उनमें न तो पौष्टिक तत्त्व पाया जाता है और न वे किसी भी प्रकार स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। उल्टा शराब में 'अल्कोहल', तंबाकू में, 'निकोटिन' अफीम में 'मार्फिया' आदि ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान में तीव्र विष माने गये हैं और जिनको यदि शुद्ध मात्रा में थोड़ा-सा भी ग्रहण कर लिया जाए, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अन्य तत्त्वों के साथ मिल जाने पर, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कई बार लेने पर और अभ्यास हो जाने पर यद्यपि उनका घातकपन कम पड़ जाता है, तो भी ये शरीर के भीतरी अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को जो व्यक्ति अपना पैसा खर्च करके लाते हैं और उनका सेवन करके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक हानि उठाते हैं, उनकी बुद्धिमानी में संदेह किया जाए तो इसमें अनुचित क्या है ?

नशे के प्रचार का एक कारण मनुष्य की अनुकरणप्रियता है। कुछ लोग तो स्वभाव से पतित विचारों और प्रकृति के होते हैं और वे जघन्य कृत्यों को करने के लिए नशे का सेवन करके अपनी विवेक बुद्धि को कुंठित कर डालते हैं, जिससे उनकी अंतरात्मा पाप कर्मों को करते समय कचोटे नहीं। अन्य लोग किसी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए नशा द्वारा अपने को जड़ बनाकर

थोड़े समय के लिए 'चिंता रहित' अथवा 'मस्त' बनने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार नशे से कृत्रिम उत्तेजना अथवा मस्ती को पैदा होते देखकर अन्य लोग उसे 'मजा' हासिल करने या मनोरंजन की वस्तु समझकर प्रयोग करने लगते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सौ में नब्बे आदमी तंबाकू शराब आदि की आदत इस प्रकार दूसरों की देखा-देखी ही सीखते हैं। छोटे लड़के अपने घर के वयस्क व्यक्तियों को सिगरेट, बीड़ी या हुक्का पीते देखकर चोरी से उनकी नकल करने लगते हैं और कुछ बड़े होने पर उनको भी उसका व्यसन लग जाता है। इस प्रकार कुछ लोग बड़े होने पर अपने मित्रों को इन चीजों का प्रयोग करते देखकर शौक से या उनके आग्रह से इन लतों में फँस जाते हैं। किसी प्रकार की आवश्यकता समझकर या सोच-विचार कर इनको करने वाले सौ में से शायद दो-चार व्यक्ति ही निकलेंगे।

नशे से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी हानि प्रत्यक्ष है। तंबाकू से करोड़ों लोगों को श्वास नली के रोग और कैंसर आदि बीमारियाँ होती रहती हैं, जिनके लिए वर्षों डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। शराब के कारण न जाने कितने करोड़ व्यक्ति अपने शरीर और दिमाग को नष्ट करके अपनी तथा अपने स्त्री-बच्चों की बर्बादी कर चुके हैं और करते हैं। भाँग का सेवन करने वाले अधिक खाकर आलसी बन जाते हैं और अफीमची श्वास के-से मरीज दिखलाई पड़ते हैं। नशे के ये कुपरिणाम इतने प्रत्यक्ष और सर्वविदित हैं कि लोग दूसरों को इनसे बचने के लिए समझाया करते हैं। पर स्वयं इनके ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि बुराई को समझते हुए और हानि अनुभव करते हुए भी 'तलब' लगने पर फिर उसी को मुँह से लगा लेते हैं।

नशे से स्वास्थ्य की बर्बादी—

सिगरेट का प्रचार इस समय इतना अधिक बढ़ गया है कि उसका खर्च और हानियाँ शराब से भी बाजी मार ले गये हैं।

अमेरिका में तो कई खरब सिगरेटें प्रतिवर्ष पी जाती हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपये होती है। इस बड़े-चढ़े धूम्रपान के कारण वहाँ कैंसर के रोग की भयानक रूप से वृद्धि हो रही है। सन् १९६२ में केवल हृदय के कैंसर से ४१ हजार अमेरिकी मरे। तंबाकू के कारण पैदा होने वाले अन्य अंगों के कैंसर तथा दूसरे रोगों से मरने वालों की संख्या इससे अलग है। बंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर का विशेष रूप से इलाज होता है, वहाँ भी प्रतिवर्ष ३ हजार के लगभग इसके रोगी आ जाते हैं। इतना अंतर अवश्य है कि जहाँ अमेरिका में सिगरेट का प्रचार अधिक होने से हृदय का कैंसर ज्यादा है, वहाँ भारत में तंबाकू-चूना आदि खाने से मुँह के कैंसर की अधिकता रहती है। तंबाकू-चूना खाने वालों के सामने के दाँत भी कमजोर होकर जल्दी गिर जाते हैं और नीचे का होंठ बड़ा होकर लटक पड़ता है।

भारत की भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्राणी डॉ० सुशीला नायर ने एक बार में कहा था—“एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कह सकती हूँ कि तमाम तरह के कैंसर तंबाकू की वजह से ही होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से तंबाकू घातक और हानिकर है। तंबाकू की दाहकता बम की तरह है, अतः यह सबके लिए हानिकर है। तंबाकू का धुआँ गले की नसों में जाकर उनकी कोमलता तथा चिकनाई को नष्ट करके उनको गलाता रहता है, जिससे उनमें आगे चलकर छोटे-छोटे घाव पड़ जाते हैं। इनसे खॉंसी का रोग पीछे पड़ जाता है, जो तब तक कभी अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि तंबाकू का सेवन जारी रहे। मस्तिष्क पर खराब असर पड़ने से ज्ञान-तंतुओं में कड़ापन आने लगता है और स्मरण शक्ति का नाश, स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना, पागलपन, उन्माद आदि रोगों की वृद्धि होती है। पागलखानों में जो लाखों पागल बंद हैं, उनमें से अधिकांश किसी नशे की ज्यादाती के कारण ही इस दशा को प्राप्त होते हैं।

तंबाकू, शराब आदि का विष खून में मिलकर मनुष्य के अंग-प्रत्यंग में समा जाता है और तब उसका असर मनुष्य के वीर्य पर भी पड़ता है, जिसके कारण ये दुर्गुण भावी संतान में भी आ जाते हैं। ऐसे बालकों में जन्म से धूम्रपान के कुसंस्कार सूक्ष्म रूप में रहते हैं और जब वे अपने बाप आदि को सिगरेट-बीड़ी पीते देखते हैं, तो तुरंत उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे बालक आठ-दस वर्ष की आयु में भी चोरी से सिगरेट बीड़ी पीने लग जाते हैं, जिसके कारण उनको और भी अनेक गंदी आदतें लग जाती हैं। ऐसे लड़के पहले घर से पैसे चुराकर इस शौक को पूरा करते हैं और फिर उससे काम न चलने पर छोटी-मोटी चोरी की आदतें भी सीख लेते हैं।

अनैतिकता और चरित्रहीनता की वृद्धि—

मनुष्य के विकास और उन्नति का मूल आधार सद्विवेक ही है। जब तक विवेक ठीक काम करता है, मनुष्य गलत रास्ते पर चलने से बचा रहता है और इससे उसका पतन नहीं होने पाता। पर जब कुसंगति अथवा निकृष्ट वातावरण के कारण उसका विवेक धूमिल पड़ने लगता है और मन बुरे कर्मों की ओर दौड़ता है तो वह एक आंतरिक द्वंद्व में फँस जाता है। उसकी अंतरात्मा तो उस काम को बुरा बतलाती है और समझाती है कि इसको करने से तुम उन्नति के बजाय नीचे गिरने लगोगे और अंत में हानि उठानी पड़ेगी, पर निकृष्ट भावनाएँ उभाड़ती रहती हैं कि यही दिन मौज-मजा करने के हैं। झूठे धर्मोपदेशकों के फेर में न पड़कर जीवन का आनंद उठाओ ! इस आंतरिक द्वंद्व से बचने को भी बहुसंख्यक मनुष्य नशे का सहारा लेते हैं और अपने नशा द्वारा अंतःकरण की आवाज को दबाकर पाप-मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। महात्मा गाँधी इसी कारण नशों को शैतान का हथियार बतलाया करते थे, जिसके द्वारा वह मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेता है और उनसे अपनी बुरी से बुरी आज्ञाओं का पालन करा लेता है।

नशे के कारण कामोद्दीपन होता है और अश्लील भावनाओं की वृद्धि होने लगती है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही भ्रष्ट आचरण की तरफ झुक जाते हैं और अन्य लोगों की बहू-बेटियों के प्रति गंदी भावना रखने में उनको कुछ भी संकोच नहीं होता है। इससे उनको बदनामी, निंदा, अपमान का लज्जाजनक तिरस्कार सहन करना पड़ता है, पर विवेक के कुंठित हो जाने से वे कुमार्ग से छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसी बात नहीं है कि नशे के पदार्थों से कामशक्ति वास्तव में बढ़ती है या उससे बलवीर्य की वृद्धि होती है। उससे कामुकता की भावना केवल भड़कती है और आरंभ में उत्तेजना भी अधिक जान पड़ती है। पर दरअसल तंबाकू और शराब का प्रभाव वीर्य वाहिनी नाड़ियों पर हानिकर ही पड़ता है, जिससे कुछ समय बाद उन लोगों को हालत नपुंसकों की-सी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का वीर्य पतला पड़ जाता है और उसकी स्तंभन शक्ति जाती रहती है। इससे वे लोग काम-शक्ति से दिन पर दिन वंचित हो जाते हैं। वे इधर-उधर की औषधियों का सेवन करके काम चलाना चाहते हैं, पर मूल कारण-तंबाकू के उपयोग को जब तक नहीं छोड़ा जाता, तब तक कोई इलाज काम नहीं देता और उनके हाथ सिवाय पछताने के और कुछ नहीं लगता।

तमोगुण की वृद्धि—

अधिक दिनों तक तंबाकू का सेवन करने से या शराब का प्रयोग अधिक बढ़ जाने से मनुष्य की मानसिक शक्ति को भी बहुत हानि पहुँचती है। मनुष्य का चरित्र दृढ़ता, धैर्य, साहस आदि बहुत कुछ मनोबल पर निर्भर होता है। जब उनकी कोमलता और लचक कम पड़ जाती है, तो इसका कुप्रभाव मनुष्य की मेधा, बुद्धि, प्रतिभा पर पड़ता है और उसका स्वभाव दूषित होता जाता है। शास्त्रों में प्रत्येक नशे को तमोगुण का वृद्धिकर्ता और पाप का उत्पादक बतलाया है। उसका कारण यही है कि नशे के प्रभाव से मन की हीन प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ती हैं और मनुष्य अधर्म की तरफ झुकने

लगता है। वासना की अधिकता के साथ ही उसका क्रोध भड़कने लगता है और दया, कोमलता, करुणा की वृत्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। इस प्रकार नशेबाज लोगों का स्वभाव ऐसा रूखा और स्वार्थी हो जाता है कि अनेक बार वे छोटे-मोटे कारणों पर मरने-मारने को उतारू हो जाते हैं। समाचार-पत्रों में प्रायः ऐसी घटनाएँ पढ़ने में आया करती हैं कि नशे के वशीभूत होकर लोगों ने अपने स्त्री-बच्चों की ही हत्या कर डाली या किसी जान-पहचान वाले से जरा-सी बात पर बिगड़कर खून-खच्चर कर बैठे। इस तरह नशा मनुष्य को मानवीय गुणों से गिराकर एक हिंसक पशु के समकक्ष पहुँचा देता है। उससे किसी की भलाई या समाज के हित की कोई आशा नहीं रहती। अपने व्यसन की पूर्ति के लिए वह बुरे से बुरा काम करने में भी संकोच नहीं करता।

नशा से होने वाले नैतिक चारित्रिक, मानसिक पतन को दृष्टिगत रखकर धर्म-शास्त्रों ने भी उनकी बड़ी निंदा की है और जगह-जगह यही कहा है कि नशा करना एक बड़ा दुष्कर्म है, जिसके फल से मनुष्य को अवश्य ही नर्क जाना पड़ता है। धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता मनु भगवान् का आदेश है—

**सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते।
तस्मात्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्॥**

(मनु० ११, ६)

अर्थात्—“मदिरा अन्न का मल है और पाप को भी मल कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी भले लोगों को इसका व्यवहार न करना चाहिए।”

**अज्ञानाद्धारुणी पीत्वा संस्कारेणैव शुद्ध्यति।
मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः॥**

(मनु०—११, १४६)

अर्थात्—“यदि मूल से, धोखे से मदिरा पी ली जाए तो उसका प्रायश्चित्त करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है, पर जो

जानबूझ कर उसका उपयोग करता है, उसका प्रायश्चित प्राण त्याग के सिवा और कुछ नहीं है।”

पद्म पुराण में लिखा है—

धूम्रपानरते विप्रे दानं कुर्वन्ति ये नराः।

दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकरः।।

अर्थात्—“जो व्यक्ति धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान करता है, तो वह देने वाला नरक को जाता है और ब्राह्मण ग्राम में शूकर का जन्म लेता है।”

जब हम शास्त्रों के इन वचनों को पढ़ते हैं और उसके साथ ही हिंदू समाज में धर्म के नाम पर जीवन निर्वाह करने वाले 'साधु' और 'बाबा' नामधारी व्यक्तियों के आचरणों को देखते हैं, तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। शास्त्र जिस चीज को पाप का मूल बतलाकर रोकते हैं, उसी काम को ये धर्म के रक्षक बनने वाले बाबा जी खुल्लम-खुल्ला करते हैं। वे स्वयं ही ऐसा नहीं करते वरन् उनके पास जो गृहस्थ, युवक, प्रौढ़ व्यक्ति आते हैं, उनको भी नशा की प्रेरणा देते हैं। वे नशे को भी धर्म का एक अंग बताकर सीधे-साधे लोगों में उसका प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ प्रायः गाँजा की दम लगा करती है और सर्व-साधारण को इसकी लत वहीं से लगती है। इसी प्रकार पंडा, पुजारी भी लोगों में भाँग का व्यसन फैलाते हैं। ये दोनों बड़े भयंकर नशा हैं और मनुष्यों को आलसी और निकम्मा बनाकर, उनमें तरह-तरह के दुर्गुणों की वृद्धि करते हैं। गाँजा से दिमाग में खराबी आती है और कितने ही लोग इसके कारण अपनी सुखी गृहस्थी को नष्ट करके भिखारी बन गए। ऐसे लोग अपनी स्त्री-बच्चों की भी परवाह नहीं करते कि जब हम अपनी आमदनी को नशे में उड़ा देंगे, तो इनका भरण-पोषण कहाँ से होगा ? इसी प्रकार भाँग का असर मनुष्य को काहिल और सुस्त बनाता है। वह सदा बढ़िया माल खाने को मन चलाता रहता

है और अक्सर आवश्यकता से अधिक भोजन करके बीमार पड़ जाता है।

देवी के भक्त शक्ति के नाम पर शराब का प्रचार बढ़ाते रहते हैं। उन्होंने मदिरा-पान को धर्म का एक मुख्य अंग बतलाकर करोड़ों व्यक्तियों का जीवन नष्ट किया है। जो लोग सामान्यतः इससे पृथक् रहते हैं, वे भी देवी के प्रसाद के नाम पर इसे ग्रहण करके धीरे-धीरे इसके अभ्यस्त बन जाते हैं। यह स्वार्थी लोगों की लीला है अन्यथा शिव, दुर्गा, अंबिका आदि जैसे मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाले देवतत्त्वों के साथ ऐसी हानिकारक, पतनकारी प्रवृत्तियों का संयोग करने का क्या तुक था ? देवता तो उसी को कहते हैं, जिसमें दैवी अंश की अधिकता हो और जो अन्य प्राणियों के लिए कल्याणदाता सिद्ध हो। अब एक मामूली बुद्धि का व्यक्ति भी सोच सकता है कि तंबाकू, गाँजा, भाँग, शराब आदि से किसका क्या फायदा हो सकता है ? ये वस्तुएँ तो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को किसी न किसी हद तक हानि ही पहुँचाएगी और उनको ऊँची स्थिति से नीचे की ओर गिराएगी। आज तक नशे के कारण कष्ट उठाते, बदनाम होते, दंड सहन करते तो लाखों, करोड़ों मनुष्य देखने में आए हैं, पर नशा करके किसी ने कोई लाभ उठाया हो, नीची स्थिति से ऊँचे दर्जे पर पहुँच गया हो, ऐसा उदाहरण एक भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इस दशा में इन दूषित वस्तुओं का संबंध देवतत्त्वों से बतलाना परम मूर्खता का चिह्न है और इन देवताओं को भी कलंकित करना है।

प्रत्येक प्रकार का नशा मानवता का घोर शत्रु है और उसके कारण आज तक संसार जितनी हानि उठा चुका है, उसका हिसाब लगा सकना असंभव है। आज भी संसार में सब तरह के नशों पर जितना रुपया खर्च किया जा रहा है, वह यदि बंद कर दिया जाए तो इतनी बड़ी धनराशि एकत्रित हो सकती है कि संसार का प्रत्येक गरीब और छोटे से छोटा व्यक्ति भी सामान्य दर्जे का उत्तम

भोजन, वस्त्र प्राप्त कर सकता है और दुनिया में भूखों मरने तथा नंगे रहने का नाम निशान मिट सकता है। भारतवर्ष में सबसे अधिक प्रचार तंबाकू का है और उसके बाद शराब और भाँग, गोंजा का नंबर आता है। अगर इन वस्तुओं का प्रयोग और प्रचार समझाने-बुझाने के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया जाए और यदि हम लोगों की चेष्टा और परिश्रम से प्रति वर्ष लाख-दो लाख व्यक्ति भी बीड़ी, सिगरेट, मदिरा आदि का त्याग करते रहें, तो कुछ ही वर्षों में इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने में आ सकता है। एक लाख आदमियों के नशे की बचत का यदि ४०-५० लाख रुपया भी उन लोगों की शिक्षा, स्वाध्याय, स्वास्थ्य-संवर्धन में लगेगा तो कुछ वर्षों में वहाँ पर एक नई ही दुनिया दिखलाई देने लगेगी और दुर्दशा का अंत होकर उत्थान तथा प्रगति के दृश्य दिखलाई पड़ने लगेंगे।



अश्लीलता से जातीय चरित्र की अवनति

मनुष्य को शारीरिक, नैतिक सब दृष्टियों से पतित बनाकर अपमानित और लांछित कराने का जितना बड़ा कारण अश्लीलता है, इतना शायद ही कोई दूसरा होगा। यह प्रकट में बड़ा मनमोहक दीखता है और कुछ लोग इस पर सभ्यता का रोगन बढ़ाकर इसे निर्दोष प्रकट करने की चेष्टा भी करते हैं, पर यह भीतर अपना घातक प्रभाव डालता रहता है और एक दिन अकस्मात् मनुष्य को घोर कलंकित रूप में परिणत कर देता है। यह समाज में चरित्रहीनता, कामुकता, विलासिता, व्यभिचार जैसे दुर्गुणों की वृद्धि करता है और मानसिक बल तथा आत्मिक पवित्रता को नष्ट करके मनुष्य को वासनाओं का एक तुच्छ कीड़ा बना देता है। इससे उच्च भावों का लोप होने लगता है और किसी भी तरह इंद्रियजन्य विषयों

की पूर्ति होना ही सबसे बड़ी चीज प्रतीत होने लगती है। ऐसे व्यक्ति चाहे प्रकट में सभ्य, शिष्ट और मधुरभाषी जान पड़ें, पर उनका हृदय बड़ा अस्वच्छ और स्वार्थी होता है और उनकी मीठी तथा चिकनी-चुपड़ी बातों का उद्देश्य अन्य लोगों को अपने फंदे में फँसाना ही होता है।

यह अश्लीलता का दुर्गुण जिन-जिन बातों से फैलता है और बढ़ता जाता है, उनमें आजकल सबसे प्रधान सिनेमा है। उसके साथ गंदे चित्र और गंदी पुस्तकें भी इस दुष्प्रवृत्ति की प्रेरणा देने में सहायक बन जाती हैं। कुछ ओछे और विशिष्ट व्यक्तियों को अश्लील गालियाँ देने की आदत भी पड़ जाती है, जिसे सुनकर आय लोगों को लज्जा का अनुभव होता है। गाने-नाचने का शौक और विलासिता की चर्चा सुनते रहने से भी चित्त में विकार पैदा होते हैं और अश्लीलता के भावों को प्रोत्साहन मिलता है।

वासना को भड़काने वाली फिल्में—

सिनेमा एक ऐसा प्रभावशाली साधन है कि यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो लोक-शिक्षण, स्त्री-पुरुषों की मनोवृत्तियों को सद्गुणों और सदाचार की तरफ मोड़ने का कार्य बड़ी सफलता पूर्वक किया जा सकता है। रूस ने शिक्षा प्रसार का कार्यक्रम शीघ्र पूरा करने के लिए सिनेमा का ही सहारा लिया था और कुछ ही वर्षों में अपने देश से निरक्षरता का चिह्न मिटा दिया था। इसी प्रकार देश पर कोई संकट आने पर सिनेमा द्वारा लोगों में सेवा, सहयोग और देशभक्ति के भावों को उत्तेजित करने में बहुत कुछ सहायता और साधन प्राप्त किए जा सकते हैं। पर हमारे देश में इस प्रकार के लाभों के स्थान पर इसका दुरुपयोग ही देखने में आ रहा है। यहाँ सिनेमा-उद्योग कुछ धन-लोलुप और चरित्र, नीति, धर्म आदि की तरफ उपेक्षा भाव रखने वाले व्यक्तियों के हाथ में आ गया है। उन्होंने लोगों की हीन वृत्तियों को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ही मुख्य उद्देश्य बना लिया है, इससे लोगों का

बड़ी ही तेजी से पतन होता है और विशेष रूप से लड़कों और युवकों में तरह-तरह के दोष घर करते चले जाते हैं। सिनेमा भारत की तरुण पीढ़ी में किस हद तक अश्लीलता की वृद्धि कर रहा है, इस संबंध में एक अभियोग का फैसला करते हुए मद्रास के चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट ने लिखा था—

“सिनेमा वर्तमान युग का एक अभिशाप है, उसने माननीय कुलों की हजारों कुमारियों को नाचने वाली वेश्या और लड़कों को भौंड बना दिया है और उन्हें लाज, शर्म तथा सम्मान के गुणों से रहित कर दिया है। इन दिनों सिनेमा में शिक्षा और नीति की जो कुछ चर्चा की जाती है, वह इसके दोषों को ढकने के लिए है। उनका लक्ष्य तो केवल रुपया कमाना है।”

कुछ फिल्में धार्मिक कथानकों पर बनायी जाती हैं और कुछ का उद्देश्य नैतिक आदर्शों की स्थापना करना बतलाया जाता है, पर वे भी अभिनय को ‘आकर्षक’ बनाने के लिए बिगाड़ दी जाती हैं। सिनेमा संचालक जानते हैं कि जब तक सुंदर अभिनेत्रियों के हाव-भाव और उत्तेजक गाने नहीं होंगे, तब तक साधारण दर्शक फिल्म देखने को न टूटेंगे। यदि कोई एकाध खेल को शिक्षाप्रद बनाने की चेष्टा भी करता है, तो उसे अन्य शृंगार और विलास की भावनाओं से पूर्ण फिल्मों की अपेक्षा कम सफलता मिलती है और तब वह भी किसी बहाने पतनकारी प्रणाली में ही चलने लगता है। इसका विवेचन करते हुए एक लेखक ने ठीक ही लिखा है—

“प्रत्येक चित्र में ऐंद्रिक तत्त्वों को गुदगुदाने वाली, उद्दाम वासना को प्रदीप्त करने वाली सामग्री भरपूर रहती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव दर्शकों के मन पर पड़ता है। इसे ‘मनोरंजन’ कहना स्वयं को धोखा देना है। यह असंयमित वासना ही समस्त दुःखों और क्रोध के मूल में काम करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कलाकारों का अत्यंत परिश्रम से तैयार किया हुआ चित्र अधिकांश दर्शकों के लिए वासनामय सिद्ध होता है। जनता इतनी

तो समझदार—सूक्ष्मदर्शी होती नहीं कि वह चित्र का सार-भाग ग्रहण करे और निरर्थक को छोड़ दे। उसे तो जहाँ उत्तेजक और भड़कीले चित्र दिखाई दिए, उन पर लट्टू हो जाती है। अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोगों का यही हाल है। कथाकार का सारा परिणाम दर्शकों की वासना उद्दीप्त करने का एक खिलवाड़ मात्र बन जाता है।”

सिनेमा ने केवल टिकट खरीदकर सिनेमाहाल के भीतर जाने वाले दर्शकों का ही पतन नहीं किया है, वरन् समस्त देश के वातावरण को गंदा और विषाक्त बना दिया है। आज प्रत्येक शहर की मुख्य सड़कों पर अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के अश्लीलतापूर्ण भावभंगिमा वाले बड़े-बड़े पोस्टर चिपके दिखाई पड़ते हैं, वे भी लोगों में दूषित मनोविकार उत्पन्न करने के साधन बनते हैं। गली-गली में बड़े लड़के ही नहीं, छोटे-छोटे बच्चे भी सिनेमा के गंदे गाने बड़ी लय और अदा से गाते-फिरते हैं। स्त्रियों ने प्राचीन घर-गृहस्थी की बातों से संबंधित गीतों को छोड़ सिनेमा की तर्ज पर बने निकृष्ट गीतों को अपना लिया है। विवाह-शादियों और साधारण उत्सवों में भी सिनेमा के प्रसिद्ध शृंगार रस पूर्ण गानों का धड़ल्ले के साथ प्रचार और प्रसार किया जाता है। इस प्रकार सर्वसाधारण में अश्लीलता की वृद्धि और नैतिक भावों का पतन हो रहा है। एक प्रकार से इस समय समस्त देश सिनेमा के दूषित संगीत से गूँज रहा है और लोकहितैषी मनीषी इस भयंकर बाढ़ को देखकर ठगे से खड़े हैं। परिस्थिति को देखकर भूदान यज्ञ के संचालक विनोद्भा भावे ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था—

“मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि करीब २० लाख लोग हर शाम सिनेमा देखते हैं। मुझे पता नहीं यह अंदाज किस प्रकार लगाया है, लेकिन अगर यह सही है, तो यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के तरुणों की मनोवृत्ति पर उनका देशव्यापी परिणाम होता है। मैंने हिसाब लगाया है कि मैं एक साल से घूम रहा हूँ, रोजाना व्याख्यान देता था। इसके अलावा चर्चाएँ भी होती थीं, तो भी शायद ही बीस लाख

लोगों के कानों में मेरा संदेश पहुँच पाया हो। अगर जितना प्रचार मेरे इतने परिश्रम से एक साल में हुआ, उतना तो हर रोज शाम को इस प्रकार होता रहता है, तो वह कोई मामूली बात नहीं है। उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

“चर्चा में मैंने सुना है कि सिनेमा नियंत्रण के विरुद्ध यह विचार प्रकट किया जाता है कि ‘उससे हमारे विचार-स्वातंत्र्य पर आक्रमण होता है।’ यह सोचने का ढंग बिल्कुल गलत है। विचार-प्रकाशन के स्वातंत्र्य पर आक्रमण तो तब माना जा सकता है, जब एक विचार या पंथ वाले, दूसरे विचार या पंथ वालों के मंतव्यों को दबाते। लेकिन सर्वसामान्य के शील-संवर्धन और तरुणों के पुरुषार्थ के हित में यदि सोचा जाए, तो इसको स्वातंत्र्य में बाधा पहुँचाने वाला मानना गलत होगा। यदि कोई आदमी खुले आम हिंसा, व्यभिचार, शराबखोरी का प्रचार का प्रसार चाहे, तो क्या हम उस पर डाले हुए नियंत्रण को विचार-प्रकाशन के स्वातंत्र्य पर आक्रमण मानेंगे ? अगर हम ऐसे नियंत्रणों को न मानेंगे तो हमारी आजादी बर्बादी का पर्यायवाची शब्द बन जाएगी।”

सिनेमा द्वारा होने वाले धन नाश के संबंध में मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है—

“सिनेमा निर्माता गरीबों की कठिन कमाई का शोषण कर रहे हैं। वे मनुष्यों की कमजोरियों को जानते हैं और गंदे चित्र निर्माण कर, लोगों की नीच प्रवृत्तियों की उत्तेजित कर, उन्हें दुर्भाग्य की ओर प्रेरित करते हैं। सिनेमा के चित्र लोगों के दिमागों को सड़ा देते हैं, जिससे वे इस प्रकार की बात सोचने लगते हैं, जो उनको हर तरह से नीचे गिराती है।”

गंदी तस्वीरें—

गंदी तस्वीरों का प्रचलन भी अश्लीलता की वृद्धि में एक साधन का काम करता है। किसी जमाने में फ्रांस से आने वाली नंगी तस्वीरें किसी शौकीन को मिल जाती थीं या कोई कहीं से

आसनों के चित्र ले आता था, तो यह एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब इसी देश के कुछ प्रकाशकों ने इस धंधे को अपनाकर इन गंदी तस्वीरों को गली-गली में पहुँचा दिया है। ये चित्र अत्यंत निर्लज्जतापूर्ण होते हैं और उनमें अश्लीलता की हद कर दी जाती है। कानून के अनुसार इन तस्वीरों को छापना एवं बेचना दंडनीय है और पुलिस समय-समय पर ऐसे प्रकाशकों की तलाशी लेकर उनको पकड़ती रहती है। पर इस काम में इतना अधिक मुनाफा मिलता है कि वे लोग फिर भी इस काम को नहीं छोड़ते और नई-नई योजनाएँ बनाकर इनका प्रचार करते ही रहते हैं। कामी प्रकृति के लोग इन चित्रों को देखकर अपनी वासनाओं को भड़काया करते हैं और अंत में बुरा परिणाम उठाते हैं।

सिनेमा ने इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया है। सिनेमा-गृहों के बाहर खेल का परिचय देने के लिए जो बहुत-से फोटोग्राफ काँच के भीतर लगाकर प्रदर्शित किये जाते हैं, वे भी प्रायः कामोत्तेजक और हीन प्रवृत्तियों के उत्तेजक होते हैं। बहुत-से लोग घंटों तक उन्हें बड़े ध्यान से देखा करते हैं। यह नियम है कि जिस चीज को हम बार-बार और आग्रह के साथ देखेंगे, उसके गुण-कर्मों का प्रभाव भी हम पर अवश्य पड़ेगा। सिनेमा की चर्चा के साथ-साथ इन चित्रों से लोगों को इन बातों की याद ताजा होती रहती है और वे कभी पापमय वातावरण से निकल नहीं पाते। अब यह मनोवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई है कि पैसे के लालची लोगों ने इसी विषय के स्वतंत्र अखबार निकालने आरंभ कर दिये हैं, जिनमें सिनेमा के नट और नटियों के खूब बने-ठने और भावपूर्ण चित्रों के अलावा उनके जीवन की प्रत्येक बात इतने विस्तार और महत्त्वशाली ढंग से प्रकाशित की जाती है, मानो वे कोई देवी-देवता हों और उनका गुणगान करना तथा उसे पढ़ना धर्म-पुराणों के समान ही पुण्य दायक हो।

अश्लील पुस्तकें—

इन दो साधनों के अलावा गंदे उपन्यासों, कविता-पुस्तकों और यौन-विज्ञान पर प्रकाशित होने वाली कितनी ही अनधिकारपूर्ण पुस्तकों से भी अश्लीलता के प्रसार में सहायता मिलती है। कुछ दिन पूर्व बनारस आदि शहरों में कई लेखकों ने कामुकता और शृंगार विषयक सैकड़ों उपन्यास लिख मारे थे, जिनसे लोगों में कुरुचि का बहुत अधिक प्रसार होता था। कितने ही कहानियों के मासिक पत्र भी बिक्री के लोभ से ऐसे ही अश्लील भावों को प्रोत्साहन देने वाली रचनाएँ प्रकाशित करते हैं। बाजारू पाठक पसंद भी ऐसे ही सस्ती और गंदे प्रेम के गीत सुनाने वाली चीजों को करते हैं। ऐसी रचनाओं से पाठकों के विचार दूषित होते हैं और उनका मन ऐसी ही निकृष्ट चर्चा में लगने लगता है। इन पुस्तकों में नारी के रूप और विभिन्न अंग-प्रत्यंगों का वर्णन ऐसे आकर्षक ढंग से किया जाता है कि कच्चे विचारों के लोग उन पर मुग्ध हो जाते हैं और मन में अपने को नायक समझकर उसी तरह की कल्पनाएँ करने लगते हैं। इनमें से बहुत-से ऐसे मूर्ख होते हैं, जो कल्पना और वास्तविकता के अंतर को भी नहीं समझते और जो कुछ उन भ्रष्ट उपन्यासों में पढ़ते हैं, उसे यथार्थ समझकर अपने मन को उसी रंग में रंगते चले जाते हैं, जिससे उनका घोर मानसिक पतन हो जाता है।

अश्लीलता की इस वृद्धि ने हमारे नारी-समाज का बड़ा अपमान किया है और पुरुष उसे देवी और माता के पवित्र पद से घसीटकर कामुकता के भाव दिखलाने वाली नर्तकी या वेश्या बना देने की भावना करने लगा है। यह ऐसा जघन्य पाप है, जिससे व्यक्ति के साथ समाज का अधःपतन भी अवश्यंभावी है। जो लोग इस प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, वे चाहे सिनेमा निर्माता हों, चाहे शृंगारी कवि हों या गंदे उपन्यासों के लेखक हों, एक अक्षम्य अपराध करते हैं, क्योंकि इनके प्रभाव से लोगों में अश्लीलता की उत्पत्ति होकर उनका चरित्र भ्रष्ट होता है, जो कि राष्ट्रोन्नति की दृष्टि से एक बड़ा शोचनीय तथ्य है।



इस युग के दो बड़े अभिशाप मिलावट और भ्रष्टाचार

स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् हमने आशा की थी कि पराधीनता से छुटकारा पाकर इच्छानुसार आत्म-निर्माण का अवसर मिलेगा और एक हजार वर्ष के विदेशी-शासन के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति में जो दोष, दुर्गुण घुस गये हैं, उनका निराकरण करके हम पुनः आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होंगे। संसार भौतिकता के मोह में फँसा रहे, पर शास्त्रों के उपदेशों और आदर्श चरित्र का उदाहरण उपस्थित करने वाले पूर्वजों के प्रभाव से हम आध्यात्मिकता के महत्त्व को नहीं भूले हैं और धन-बल तथा शरीर-बल से आत्मबल को सदैव बढ़कर मानते रहे हैं। वर्तमान समय में भी महात्मा गाँधी ने हमारे सम्मुख सत्य और अहिंसा का जो अनुपम उदाहरण कार्यान्वित करके दिखलाया था और हम सबसे भी न्यूनाधिक अंशों में उसका अभ्यास कराया था, उससे भी आशा थी कि अब हमारे देशवासी अवश्य ही भौतिकता प्रधान सभ्यता के पतनशील आकर्षण से मुक्त होकर, अपनी आत्म-ज्योति की एक झलक संसार को दिखायेंगे।

पर आज जब हम भ्रष्टाचार की भयंकर बाढ़ को देखते हैं और व्यापारिक, सार्वजनिक सेवा, सरकारी नौकरी, राजनीति, धर्मनीति आदि प्रत्येक क्षेत्र में मिलावट, घूसखोरी, चोरबाजारी, पक्षपात, असत्य व्यवहार, धोखेबाजी और ठगी के नये-नये तरीकों को देखते हैं, तो हमारी हालत वही हो जाती है, जैसे—कोई चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न करते-करते रसातल में गिर जाए। हम जितने ही आत्मिक, नैतिक, चारित्रिक उत्थान के सपने देख रहे थे, वे एकदम भंग हो गए और उनके स्थान पर पहले समय की अपेक्षा

भी बड़ी-चढ़ी बेईमानी, रिश्वत प्रत्येक चीज में नकलीपन के दृश्य दिखाई पड़ने लगे। खाद्य-पदार्थों की मिलावट ने तो एक विकट समस्या ही जनता के सामने खड़ी कर दी है। आटा, चीनी, घी, तेल, पिसे हुए मसाले, दूध, दही आदि पदार्थ खरीदे बिना तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता। अब इन सब पदार्थों में इस प्रकार मिलावट की जाने लगी है, जिसका पता साधारण तौर से आँखों से देखने पर नहीं चल पाता, पर व्यवहार में जो स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुँचाती है। अब तो यह नीचता यहाँ तक बढ़ चली है कि जिन दवाओं को लोग प्राण-रक्षा के लिए खरीदते हैं, वे भी नकली बनाकर और झूठे लेबिल लगाकर बेच दी जाती हैं। इस प्रकार से मिलावट करने वाले अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कुछ धन कमाने के उद्देश्य से कितने निर्दोष स्त्री-पुरुष और बच्चों की जान लेते होंगे इसका पता कौन लगा सकता है ?

सरकार की तरफ से इस प्रकार की मिलावट को गैर कानूनी मानकर इस जुर्म के करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है और आजकल उनको कड़ा दंड भी दिया जाने लगा है। पर एक तो सरकारी कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे बहुत से अपराधियों को वे कुछ रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं और दूसरे इन कामों में इतना अधिक लाभ होता है कि कुछ सौ रुपया जुर्माना दे देने पर भी लोग फिर किसी और जगह में तथा नई तरकीबों के साथ उसी काम को करने लगते हैं और यदि दो-चार भय के कारण रुक भी जाते हैं, तो दस नये मिलावट करने वाले उत्पन्न हो जाते हैं।

यह बड़ा खेद का विषय है कि मनुष्य का जो ज्ञान, जानकारी, प्रतिभा लोक-कल्याण के लिए लगनी चाहिए थी, वही समाज में झूठ, फरेब, ठगी के कामों को फैलाने और सार्वजनिक अहित के कामों में प्रयुक्त की जा रही है। अब लोगों को इस प्रकार के कार्यों द्वारा कम मेहनत में अधिक धन कमाने का ऐसा

चस्का पड़ गया है कि वे मिलावट की नित नई-नई तदवीरें निकालते रहते हैं, जिनका जल्दी पता चलना भी कठिन होता है। ऐसे लोगों को नीति, धर्म, पाप-गुण्य और मानवता का कुछ खयाल नहीं होता और वे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि—'चाहे दूल्हा मरे चाहे दुल्हन, पंडित को अपनी दक्षिणा से मतलब।' मिलावटी चीजों को खाकर लोग बीमार पड़ते रहें और मरते रहें तो उनका क्या जाता है ? वे तो दो सौ की जगह चार सौ की कमाई करके, अपने ऐश-आराम और व्यसनों की पूर्ति कर लेते हैं। मनमाने गुलछरें उड़ाते हैं, यही उनके विचार में जीवन की सफलता है। उनके मन में कभी यह खयाल भी नहीं आता कि हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं। आजकल तो ऐसे लोगों ने इसे अपनी चतुराई अथवा कुशलता समझ लिया है।

यही बात रिश्वत और घूसखोरी के विषय में है। आजकल सरकारी नौकरों का वेतन पहले की अपेक्षा काफी बढ़ा हुआ है, पर घूसखोरी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। पहले जमाने में विदेशी हाकिमों से लोग कुछ भय करते थे और मौका देखकर कभी-कभी ही ऐसा कार्य करने का साहस करते थे। पर अब यह समझकर कि छोटे-बड़े अफसर सभी अपने परिचित हैं अथवा किसी के जरिये उन तक पहुँच हो सकती है, वे पूर्वापेक्षा बहुत अधिक परिमाण में धड़ल्ले से यह कार्य करने लग गये हैं। इन लोगों ने अपनी शान-शौकत, फैशन, सजावट इतनी बढ़ा ली है कि नियमित तनख्वाह में उनका काम ही नहीं चल सकता। चाय, सिगरेट, होटल, सिनेमा आदि के इतने लंबे-चौड़े, पर अनावश्यक खर्च उन्होंने अपने ऊपर लाद दिए हैं कि ईमानदारी से उनका गुजारा हो सकना असंभव हो गया है। इससे उन्होंने बेईमानी की कमाई को भी अपनी आय का एक आवश्यक अंग मान लिया है और वे इसे अपना 'हक' कहने लगे हैं।

इनमें बहुत-से लोगों को फिजूलखर्ची की आदत पड़ जाती है। यदि वे सादगी से जीवन बिताना चाहें तो अपने वेतन में सुख-संतोष की जिंदगी पूरी कर सकते हैं, पर उन्होंने अपनी कामनाओं, वासनाओं, व्यसनों को इस प्रकार अनियंत्रित छोड़ रखा है कि वेतन से दुगना मिल जाने पर भी उनका काम नहीं चलता और वे उल्टे कर्जदार बने रहते हैं। यही कारण है कि इस समय पढ़े-लिखे नवयुवकों में चोरी, डाका, ठगी की प्रवृत्ति बढ़ रही है और पुलिस ने अनेक ऐसे अभियोगों में कॉलेज के विद्यार्थियों को दोषी पाया है। कानपुर, इटावा, लखनऊ आदि में कई डाकू दल केवल विद्यार्थियों के ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन लोगों का लक्ष्य यही होता है कि इस प्रकार के कार्य करके एक ही दिन में अमीर बन जाएँ और दूसरों की तरह शान-शौकत से रहने लगे। ऐसे लोग सट्टा, जुआ तथा अन्य ठगने के रोजगारों के द्वारा भी हराम की कमाई प्राप्त करने का उद्योग करते हैं। इस सब का कारण झूठे शौक और फैशन का रोग ही समझा जा सकता है, जिसके कारण जितनी भी आमदनी हो जाए वह कम ही प्रतीत होती है।

अब तस्कर व्यापार का एक नया मार्ग धन कमाने का ढूँढ़ा गया है। यह तब से चला जब सरकार ने सोना, घड़ी और अन्य कई पदार्थों पर बाहर से लाने पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया। इस स्थिति को देखकर अनेक दुस्साहसी लोग सरकारी कस्टम विभाग की आँखों में धूल झाँककर विदेशों से ऐसी चीजें बिना टैक्स दिये लाने की कोशिश करते हैं। गत तीन-चार वर्ष में कम से कम चालीस-पचास करोड़ का माल इस तरह चोरी से लाता हुआ पकड़ा गया है और जब्त कर लिया गया है। उसे देखकर अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रति वर्ष कम से कम एक अरब के लगभग का माल चोरी से लाया जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये लोग माल को छिपाकर लाने के ऐसे नये-नये और गुप्त तरीके इस्तेमाल करते हैं कि जिनको सुनकर दंग रह जाना पड़ता है। ऐसे कामों में साधारण व्यक्तियों का भी नैतिक स्तर गिरता है,

क्योंकि जब वे देखते हैं कि लखपति और करोड़पति मोटर और हवाई जहाज वाले व्यक्ति ऐसी चोरी की कमाई को बुरा नहीं समझते, तो उनकी चित्तवृत्ति भी इस ओर झुकती है और समस्त समाज में यह भावना व्याप्त होती चली जाती है।

काला बाजार अथवा ब्लैक मार्केट का नाम तो आजकल बच्चे-बच्चे की जबान पर है। जो चीज बाजार में खुले आम प्राप्त होती हो, उसे जानकार लोग अधिक दाम देकर किसी गुप्त स्थान से ले आते हैं, यही काला बाजार है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप जनता की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं और उनको प्रायः अनेक पदार्थों का उचित से कहीं अधिक मूल्य देना पड़ता है। खासकर जिन पदार्थों का सरकार कंट्रोल कर देती है कि जनता से उनका अधिक मूल्य नहीं लिया जाए, उसको ब्लैक करने वाले व्यापारी चोरी से संग्रह कर लेते हैं और बड़े-चढ़े दामों में छुपकर बेचते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग, जिन्होंने बेईमानी से अनाप-शनाप रुपया कमा लिया है, चाहे जिस चीज को इकट्ठा खरीदकर गोदाम में भर लेते हैं, और जब सामान की कमी से उसके दाम बढ़ जाते हैं, तब उसे मनमाने दामों में बेचते हैं। ये लोग प्रत्यक्ष ही समाजद्रोही हैं, जो अपने साधनों के बल पर जनता के लिए कठिन परिस्थिति पैदा करते हैं और उसका लाभ उठाकर धन कमाते हैं। जागृत समाज में ऐसे नीच लोगों का कठोरतापूर्वक बहिष्कार किया जाता है और समाजवादी शासन वाले देशों में तो अक्सर उनको गोली मार दी जाती है। पर खेद है कि हमारे देश में ऐसे लोग समाज में 'बड़े' माने जाते हैं, उनकी धन-संपत्ति को देखकर सभी लोग उनका आदर करते हैं।

प्रश्न यह है कि इस स्थिति का उत्तरदायित्व किस पर है और इसका निराकरण किस प्रकार किया जाए ? इसमें तो संदेह नहीं कि जो व्यक्ति मिथ्या आडंबर में विश्वास रखते हैं और बाहरी टीम-टाम दिखाकर अन्य लोगों से अपने को बड़ा प्रकट

करने की कोशिश करते रहते हैं, वे प्रायः इस मार्ग को अधिक अपनाते हैं। सत्य प्रेमी और सादगी को पसंद करने वाले इस रास्ते पर कदाचित् ही कदम रखते हैं। इस दृष्टि से ऐसे व्यक्ति ही अधिक दोषी जान पड़ते हैं। पर गंभीरतापूर्वक इसके कारणों की जाँच की जाए, तो हमारा समाज भी इस निंदनीय अवस्था के लिए कम दोषी सिद्ध न होगा। समाज के वातावरण और रस्मों का व्यक्तियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और वे उस तरफ अनिवार्य रूप से खिंचते चले जाते हैं। जब सर्वसाधारण धनवान् और ठाट-बाट से रहने वाले व्यक्तियों का समाज में सम्मान होते देखते हैं, तो उनकी भी यही इच्छा होती है कि हम भी किसी उपाय से धनी बनकर ऐसी ही इज्जत प्राप्त कर लें। यदि वे सीधे उपायों से इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, तो फिर अनैतिक और असत् उपायों से काम लेने लगते हैं। फिर जब वे देखते हैं कि छोटे-मोटे व्यक्ति ही नहीं, बड़े-बड़े नेता, समाज के संचालक और धर्म गुरु भी इसी नीति पर चलते हैं और बाहर से त्याग, सेवा, परोपकार, निस्पृहता की बातें करते हुए भी वे अप्रत्यक्ष उपायों से धन की पूजा करते हैं और उसके लिए तरह-तरह की चालाकियों और बेईमानियों से काम लेने में भी संकोच नहीं करते, तो वे भी इन कामों में कोई बुराई नहीं मानते। लोगों में यह दूषित मनोवृत्ति अधिकाधिक फैलती जाती है और सच्चे समाज हितैषी लोगों के बार-बार चेतावनी देने पर भी वे इस नाशकारी मार्ग पर तेजी से अग्रसर होते जाते हैं।

यदि इस स्थिति को बदलना है और लोगों में से इस रोग को दूर करना है, तो इसका उपाय यही है कि समाज में से सब प्रकार के मिथ्या प्रदर्शन, आडंबर—दिखावा को सम्मान मिलना बंद होकर सदाचार, सत्य व्यवहार और निष्काम सेवा को उँचा दर्जा दिया जाने लगे। जो लोग किन्हीं असद् उपायों से धन बटोरकर मालदार बन बैठे हैं, उनको सम्मानित करने के बजाय विद्वानों, जन-सेवकों की, परोपकारी व्यक्तियों की इज्जत की जाए।

सार्वजनिक उत्सवों और समारोहों में बड़े धनवान् या नेताओं को प्रमुखता देने के बजाय, उन सदाचारी और सेवा-भाव को अपनाने वाले व्यक्तियों को आगे लाया जाए और उन्हीं के हाथों कार्यक्रम संचालित कराये जाएँ। विपरीत प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए। ऐसे ही तथाकथित बड़े लोग विवाह और उत्सवों में अंधाधुंध खर्च करके अपनी शान दिखलाते हैं और इस प्रकार साधारण हैसियत वाले लोगों के मन में असंतोष पैदा करके अप्रत्यक्ष रूप में उनको भी अनैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये लोग भी दंडनीय समझे जाने चाहिए।

इसी प्रकार फैशन आदि का भी कुप्रभाव लोगों पर पड़ता है और वे दूसरों की तरह शानदार तथा प्रभावशाली बनने के खयाल से सामर्थ्य न होने पर भी इन हानिकारक साधनों का सहारा लेकर अपने जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करते हैं। इस तरह नकल करने से कोई व्यक्ति, सम्मान प्राप्त कर सकता है, न वास्तविक सुख भोग सकता है। इसके बजाय ऐसे व्यक्ति समाज के स्तर को नीचा करते हैं और सर्वसाधारण में ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे सबका जीवन अनिश्चित और कष्टपूर्ण बनता है। सामाजिक सुख-शांति प्राप्त करने के लिए मिलावट, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरबाजारी जैसे दुर्गुणों का उन्मूलन अत्यावश्यक है। इसके बिना किसी श्रेष्ठ युग की कल्पना निरर्थक ही समझनी चाहिए।



मांसाहार और हिंसा के कुपरिणाम

वर्तमान समय में शिक्षा का प्रचार निरंतर बढ़ रहा है और यह मान्यता दृढ़ होती जाती है कि जिस देश में शिक्षा का जितना अधिक प्रचार होगा, वह प्रगति के मार्ग पर उतना ही अधिक अग्रसर हो सकेगा। यह सिद्धांत तो यथार्थ है, पर अनेक लोग इसमें बड़ी भूल कर बैठते हैं। इन लोगों ने शिक्षा का यही अर्थ समझ लिया है कि बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़कर, कॉलेज की ऊँची परीक्षाएँ पास कर ली जाएँ या डॉक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग जैसी व्यावहारिक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की जाए या साहित्य, काव्य, चित्रकारी, मूर्ति-निर्माण जैसी कलाओं में योग्य बन जाएँ। पर ये सब विद्या, शिक्षा, मन और मस्तिष्क से संबंध रखती हैं, हृदय की श्रेष्ठता का इनमें कोई स्थान नहीं है। दुनिया में ऐसे हजारों नहीं लाखों व्यक्ति पाये जाते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की विद्या में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली है, बहुत अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जानने योग्य बहुत पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर ली है, पर तो भी उस तमाम शिक्षा का उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है और वे उसके द्वारा संसार का कोई हित साधन न करके उल्टा अहित ही कर रहे हैं। इसका आशय यही है कि जब बुद्धि और मन की शिक्षा के साथ, हृदय की शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, तभी मनुष्य अपनी शिक्षा को सच्चे अर्थों में उपयोगी और कल्याणकारी बना सकेगा।

जिन व्यक्तियों को बाल्यावस्था से ही इस दृष्टि से दया, प्रेम, उदारता, सदाचार आदि श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा दी जाती है, वे बड़े होने पर भी सबके साथ प्रेम, सहानुभूति रखने वाले और न्यायमार्ग पर चलने वाले निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा आदर सम्मान के पात्र होते हैं और समाज के हितकारी सदस्य सिद्ध होते हैं। इसके

विपरीत जिन लोगों को बचपन में निर्दयता, कठोरता, स्वार्थपरता, असद् आचरणों की शिक्षा मिलती है, वे बड़े होने पर प्रायः सामाजिक, राजनैतिक नियमों का विरुद्धाचरण करते हैं, छोटे-बड़े अपराध करते हैं और तरह-तरह से समाज के लिए कंटक स्वरूप सिद्ध होते हैं। ऐसे लोग जब मनुष्यों पर अन्याय, अत्याचार में संकोच नहीं करते, तो मनुष्य से नीचे दर्जे के अन्य पशु-पक्षियों के प्रति निर्दय व्यवहार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।

ऐसे ही लोग मांस-भक्षण का पक्ष लेते हैं और उसे एक उत्तम, लाभदायक भोजन बतलाया करते हैं। वे उसे शक्ति और वीरता प्राप्त करने का साधन भी मानते हैं। हमारे देश में अनेक लोगों को हमने यह कहते सुना है कि हिंदू लोग मांस नहीं खाते, इसी से वे निर्बल हो गए और अन्य जातियों के मुकाबले में उनको हारना पड़ा। पर ये सब निस्सार तर्क हैं और उन्हीं लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्होंने इस विषय में किसी तरह का विचार और खोजबीन नहीं की है। मनुष्य के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए वही खुराक सर्वोत्तम है, जो जल्दी से पचकर रस और रक्त के रूप में परिवर्तित होकर शरीर का पोषण कर सके। इस कसौटी पर वनस्पति, फल, अन्न आदि ही मनुष्य का स्वाभाविक और शक्ति प्रदायक भोजन सिद्ध होते हैं। कुछ लोग इस दृष्टि से मांस को शीघ्र पचने वाला बतलाते हैं, पर इस संबंध में जाँच करने से विदित हुआ कि आरंभ में मांस प्राण-वायु (ऑक्सीजन) के साथ शीघ्र मिलकर एक प्रकार की शक्ति पैदा करता है। यह शक्ति बहुत अंशों में शराब के झूठे जोश की तरह ही होती है। लोग भ्रम से उसे पोषण करने वाला और शक्ति प्रदायक मानते हैं, पर उससे शरीर हृष्ट-पुष्ट नहीं बनता, केवल शराब की तरह थोड़ी देर के लिए शरीर को उत्तेजना मिलकर बाद में उल्टी हानि ही पहुँचती है।

मांस का भोजन इंद्रियों के विकारों को जागृत करता है और समस्त शरीर में एक तरह की सनसनी पैदा कर देता है। इस तरह

जाग्रत हुए विकारों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य को दूसरे उत्तेजक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, इससे मांस भक्षण करने वाले प्रायः शराब का भी प्रयोग किया करते हैं। अनेक डॉक्टरों ने इस विषय में बहुत कुछ जाँच करके यह मत प्रकट किया है कि जब तक मांसाहार बंद नहीं किया जाएगा तब तक द्विस्की और बियर जैसी मदिरा भी नहीं रुक सकती और जब तक शराब का प्रचलन रहेगा, तब तक उसके नशे में तरह-तरह के अपराधों का होना भी बंद नहीं हो सकता।

मांस खाने से स्वभाव क्रोधी बनता है, बुद्धि मंद होती है और स्थिरता की भावना पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्रोध से मनुष्य का खाया हुआ अंग में नहीं लगता और उसके प्रभाव से शरीर में एक प्रकार का विष व्याप्त हो जाता है। पशुओं में भी क्रोध की वृत्ति होती है और जिस समय उनको मारा जाता है, उस समय वे गुस्से से भर जाते हैं, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और उनके शरीर में भी इस प्रकार का विष व्याप्त हो जाता है। ऐसे मांस को जो कोई खाएगा उस पर उसका खराब असर होना असंदिग्ध है।

मांस खाने में रोग होने का भी भय रहता है। मांस विक्रेता अनेक बार रोगी पशुओं का अथवा सड़ा हुआ मांस बेच डालते हैं। जो लोग उसका प्रयोग करते हैं, उनको इन रोगों के होने की संभावना होती है। इन्हीं दिनों कई बार अखबारों में ऐसी खबरें आई हैं कि विषैले मांस खाने से अनेक मनुष्य एक साथ बीमार हो गये। जो पशु रोग से मर जाते हैं, उनका मांस भी बहुत-से कसाई छुपाकर बेच देते हैं, जिन पर भेद खुलने पर मुकदमे भी चलाए जाते हैं। ऐसे अवस्था में यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक मांस रोगी पशु का नहीं है और उससे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी।

बहुत-से लोग यह सवाल करते हैं कि क्या मांसाहार स्वाभाविक नहीं है ? क्या मनुष्य जंगली अवस्था में मांस नहीं खाते

थे ? क्या पशु एक-दूसरे को खाकर अपना उदर निर्वाह नहीं करते ? हम थोड़ी देर के लिए इस कथन को सही मान लते हैं, पर अब तो हम जंगली नहीं हैं और पशु भी नहीं हैं, वरन् बुद्धि और विवेक के स्वामी मनुष्य हैं। हम जंगली अवस्था में जो मूढ़ताएँ और अनाचार करते थे, उनको मिटाना और श्रेष्ठ जनों के मार्ग पर चलना ही तो हमारा कर्तव्य है। अब संसार में उद्योग-धंधों तथा कृषि-विज्ञान की भी इतनी उन्नति हो गई है कि मनुष्य फल, शाक, अन्न द्वारा अपना निर्वाह सहज में कर सकता है और ये ही वास्तव में उसके स्वाभाविक आहार हैं। मनुष्य के दाँतों और आमाशय का निरीक्षण करने से भी यही विदित होता है कि प्रकृति ने उनकी रचना वानस्पतिक आहार के लिए ही की है, मांसाहार उसके लिए अस्वाभाविक है।

कितने ही मांसाहारी कहते हैं कि हम इसका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से निर्बलता आएगी। यह तर्क बिल्कुल निकम्मा है। जिन लोगों ने पहले मांस का उपयोग करके बाद में उसे त्याग दिया, उनका अनुभव इससे बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं कि मांस को त्यागकर अन्य प्रकार का पौष्टिक वानस्पतिक आहार लेने से शरीर खूब पुष्ट होता है और कुछ समय पश्चात् भूलकर भी मांस की रुचि नहीं होती। अमरीका के एक शिक्षक ने अठारह वर्ष से मांस छोड़ रखा था, फिर भी उसका शरीर इतना बलवान् और सहनशक्ति वाला था कि अच्छे-अच्छे मांसाहारी परिश्रम करने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जिन प्राकृतिक जीवन के अनुयायियों ने मांस कभी नहीं खाया, वे आदर्श स्वास्थ्य का उपभोग कर रहे हैं और बहुत बड़ी आयु तक भी मजबूत और नीरोग बने रहते हैं। इन सब उदाहरणों को देखकर अब अमेरिका, योरोप में भी निरामिष भोजन का प्रचार हो रहा है और वहाँ सैकड़ों होटल ऐसे खुल गये हैं, जिनमें मांस का कतई व्यवहार नहीं किया जाता। इस संबंध में भारतवर्ष के एक खाद्य-वैज्ञानिक ने निम्न सम्मति प्रकट की है—

“प्राणियों और वनस्पतियों में भी ‘फाइब्रीन’ नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो स्नायु और नाडियों के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होता है। पशुओं में वह अधिक परिणाम में होता है और वह शरीर के भीतर पहुँचकर गरमी पैदा करता है। उस गर्मी के कारण अस्वाभाविक चंचलता और व्याकुलता उत्पन्न होती है, जिससे बहुत-से मांसाहारियों की देह निर्बल हो जाती है। मांस के पचने में ज्यादा देर लगती है और उसका लगातार भोजन करने से आमाशय को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मानव-शरीर की रचना का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने दाँत, पेट, पोषक नाड़ियाँ, रक्त में रहने वाले सूक्ष्म कण और पाचन-क्रिया की परीक्षा करके, यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य, मांसाहारियों की अपेक्षा फल, फूल, वनस्पति आदि पर निर्वाह करने वाले प्राणियों से अधिक मिलता है।”

तरह-तरह की वनस्पति, अनाज, फल, तरकारी और विभिन्न प्राणियों के मांस का रासायनिक विश्लेषण करने और वनस्पति में रहने वाले तत्त्वों का, मांस में पाये जाने वाले तत्त्वों से मुकाबला करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि स्नायुओं की वृद्धि के लिए, ज्ञान-तंतुओं के पोषण के लिए और समस्त शरीर को बलवान् बनाने के लिए जिन तत्त्वों की आवश्यकता है, वे तमाम तत्त्व वानस्पतिक भोजन में सहज में मिल जाते हैं। जब ऐसी बात है तो मनुष्य मांस का भोजन क्यों करता है ? क्या वह उसे शरीर के पोषण के निमित्त ग्रहण करता है ? नहीं, क्योंकि उस तरह का पोषण अनाज, फल, दाल में से पूर्णतया मिल सकता है। तब क्या वह तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए मांस खाता है ? यह भी गलत है, क्योंकि मांस न खाने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रायः मांसाहार वालों से अच्छा रहता है और उन पर रोगों का आक्रमण भी कम होता है। तब वे किसलिए मांस खाते हैं ? इसका कारण खास तौर पर बाप-दादा से चली आई आदत, स्वाद, भ्रम, दुराग्रह और वास्तविकता से अनजान होना ही है।

मांसाहार में सबसे बड़ी हानि आध्यात्मिक दृष्टि से यह होती है कि इससे मनुष्य निर्दय और स्वार्थपर बनता है, वह आत्मा की उपेक्षा करके शरीर को ही सब कुछ समझने लगता है और परिणामस्वरूप उसमें दैवी भाव के बजाय पशुभाव की वृद्धि होती है। जो कसाई लोग पशु वध का धंधा करते हैं, उनकी श्रेष्ठ वृत्तियाँ एकदम कुंठित हो जाती हैं और वे मानवता के अनेक गुणों को खो बैठते हैं। इस संबंध में हेनरी सोल्ट नामक दया-धर्म का प्रचार करने वाले विदेशी विद्वान् ने लिखा है—

‘कसाई पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार करते हैं, इतने से ही इस प्रश्न का अंत नहीं हो जाता। कसाईखाने के कार्य का परिणाम कुछ पशुओं के मारे जाने से ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन् उस कार्य को करने वालों और साथ ही समस्त समाज पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, वह भी कम महत्त्व का नहीं है। सभ्य कहलाने वाले देशों में जीवन-निर्वाह के लिए जितने पेशे निकृष्ट माने जाते हैं, उनमें से फौसी देने वालों के पश्चात् दूसरे दर्जे पर कसाइयों का ही नंबर आता है और लोग उनको बड़े तिरस्कार की निगाह से देखते हैं। ‘कसाई’ शब्द ही जिस प्रकार तुच्छता के अर्थ में व्यवहार किया जाता है, उसी से इस पेशे की अधमता का अनुमान किया जा सकता है। छोटे और बड़े प्राणियों को मांस के लिए छुरे से काटना, यह कार्य बड़ा निर्दयतापूर्ण, कष्टदायक और नीचा है। सभ्य मनुष्य को उससे घृणा होती है इसीलिये वह समाज में नीचे दर्जे के समझे जाने वाले लोगों को सुपुर्द किया गया है। इससे उनकी अधमता में और भी वृद्धि होती है। जिस काम को मनुष्य स्वयं न कर सके और दूसरे के द्वारा कराके, उसकी अधमता को बढ़ाने का हमको क्या अधिकार है ? मांस खाने वाले निस्संदेह इन कसाइयों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। एक बार ‘श्वेत गिर्जा’ नामक स्थान के एक कसाई की किसी मांसाहारी ने निंदा की तो उसने जो उत्तर दिया, वह बहुत उचित और विचारणीय था। उसने कहा था—

“मैं इस अधम कार्य को तुम्हारे लिए ही करता हूँ। तुम्हारे जैसे ही हमारे जैसों को इस तरह का अधम बनाते हैं।” जो लोग मांस खाने की इच्छा रखते हैं, उन्हीं के कारण प्राणियों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ता है और कसाई लोगों का भी मानसिक और आत्मिक दृष्टि से पतन होता है। इस कार्य को कोई भी मांसाहारी स्वयं नहीं कर सकता। स्वयं उस काम को कर सकना तो दूर रहा, दूसरे को उस कार्य को करते देखा भी नहीं जा सकता।

इस पेशे को करने से कसाई सर्वथा निर्दय बन जाते हैं। पशुओं की त्रासदायक चीत्कार का उनके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। छुरा का उपयोग करना उनका स्वाभाविक कार्य बन जाता है। नीचे दर्जे के गैर-जिम्मेदार स्वभाव के व्यक्तियों के हाथ में ऐसी शक्ति देना समाज के लिए बड़ा खतरनाक है। वे कसाई फिर चाहे जैसे घातक, कृत्य, खून अथवा अन्य अपराध करने लग जाते हैं। यह केवल कल्पना ही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा कसाईखाना अमेरिका के शिकागो शहर का बतलाया जाता है। जितने पशु प्रतिदिन वहाँ मारे जाते हैं किसी अन्य शहर में नहीं मारे जाते। उस नगर के प्रधान पुलिस अधिकारी का कहना है कि, “अनेक वर्षों से अपराधों की रिपोर्टों की जाँच करने से विदित होता है कि अधिकतर अपराध कसाई का कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही किये गये थे।” इन कसाईखानों और उनमें काम करने वाले कसाइयों का जो वर्णन प्रत्यक्षदर्शियों ने किया है, वह ऐसा रोमांचक और घृणोत्पादक है कि उसे पूरा पढ़ सकना भी कठिन जान पड़ा है।

चमड़े का प्रयोग भी जीव दया की दृष्टि से मांसाहार से कम निर्दयता की बात नहीं है, यद्यपि प्रत्यक्ष में वह ऐसा घृणित नहीं जान पड़ता। वर्तमान समय में चमड़े की माँग अधिक होने से उसकी कीमत काफी बढ़ गई है और पशु मारने वाले को मांस से

भी अधिक लाभ चमड़े की बिक्री से होता है। वर्तमान समय में हमारे देश से ही करोड़ों रुपये की पशुओं की खालें विदेश भेजी जाती हैं और कितने ही कसाई-खाने तो विशेष रूप से चमड़े के खातिर ही चलाये जाते हैं।

बहुत-से लोग फैशन, ठाट-बाट और शौक के लिए भी चमड़े से बनी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। चमड़े के बक्स, हैंडबैग, कमर-पेटी आदि बढ़िया चीजें मानी जाती हैं। बहुत-से लोग चमड़े के कोट और मोजे पहनना बड़ी शान की बात समझते हैं। बढ़िया जूतों के लिए जिस क्रोम चमड़े का उपयोग किया जाता है, उसको कैसी निर्दयता से जीवित पशु की देह से उतारा जाता है, उसका वर्णन न करना ही अच्छा है। इस प्रकार चमड़े का बढ़ा हुआ प्रयोग पशु वध की वृद्धि और उनके कष्टों का कारण बनता है। जो लोग यह ख्याल करते हैं कि इस कार्य का पाप तो कसाई को ही लगता है, वे बड़ी भूल करते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि 'केवल पशु के गले पर छुरी चलाने वाला ही कसाई नहीं होता, वरन् मांस के खाने वाले और उसके चमड़े का प्रयोग करने वालों की गणना भी कसाईयों में है और वे भी उस पाप और दंड के भागी बनते हैं। (मनु० ५-५१)

पशुओं से शक्ति से अधिक काम लेना, अधिक बोझ लादकर डंडे मार-मारकर दौड़ाना, घायल हो जाने पर भी उनको जोतना और तेज न चलने पर बुरी तरह मारना, बड़ी निर्दयता के काम हैं और इनकी गिनती भी हिंसा में ही है। इस तरह किसी मूक प्राणी को, जो अपना कष्ट दूसरों पर प्रकट भी नहीं कर सकता, तिल-तिल करके मारना कसाई के कार्य से कम अधम और पापपूर्ण नहीं है। अनेक ताँगे वाले तो हड्डियाँ निकले और शक्तिहीन घोड़ों को भी चाबुक के जोर से इस प्रकार दौड़ाते हैं कि अंत में सड़क पर गिरकर ही उनकी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की निर्दयता की जितनी निंदा की जाए कम है।

मांसाहार, प्राणियों पर निर्दयता, चमड़े का प्रयोग, अहिंसक वन्य-पशुओं का शिकार आदि ऐसे दोष हैं, जिनका संबंध केवल जीवदया अथवा परलोक से नहीं है, वरन् सामाजिक सुख-शांति से भी है। ये सभी कार्य मनुष्य में क्रूरता के भाव भरने और सहानुभूति को घटाने वाले हैं। "दूसरों को भी हमारे ही समान पीड़ा होती है और सभी प्राणी एक ही विश्वात्मा के अंश हैं।" इस महान् सिद्धांत के आधार पर ही मनुष्य वर्तमान उच्च पद को प्राप्त कर सका है। पशुओं की हिंसा और मांस का व्यवहार इस भावना पर कुठाराघात करने वाले हैं। पशुओं पर निर्दयता करने वाले व्यक्ति, अन्य मनुष्यों और अपने स्वजनों के साथ भी क्रूरता का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते। यह मनोवृत्ति समाज की उच्च प्रगति के लिए निश्चय ही विघातक है और लोक-कल्याण के इच्छुकों को इसके निराकरण का यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना चाहिए।



पशु-बलि धर्म पर कलंक है

'धर्म' शब्द बड़ा विस्तृत और व्यापक है। साधारणतः किसी भी जाति या समाज की देवोपासना की विधियों और पारलौकिक लाभ के लिए किये जाने वाले क्रियाकलापों को धर्म कहा जाता है। पर महापुरुषों के मतानुसार 'धर्म' वही है, जिससे लोक में अभ्युदय और शांति प्राप्त होती है। चाहे कोई मनुष्य कितना भी पूजा, आरती, भजन आदि करे, पर यदि उसे हृदय की शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं, तो वह सब दिखावा मात्र है। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जिन्होंने धर्म को इसी प्रकार संकीर्ण दायरे में बाँध रखा है। वे समझते हैं कि जो कुछ हमारे पुरखा करते चले आये हैं, उनकी नकल करते रहना परम धर्म है और उसी के द्वारा स्वर्ग

आदि की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग न तो स्वयं धर्म-अधर्म के तत्त्व पर कभी विचार करते हैं और न प्राचीन तथा नवीन महापुरुषों के सदुपदेशों पर ध्यान देते हैं। वे केवल पुरानी लकीर को पीटते जाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं, फिर चाहे काल-प्रभाव से या किसी घटनावश उसमें कितनी ही विकृति आ गई हो, पाखंड घुस गए हों अथवा अंधविश्वास उत्पन्न हो गये हों।

वर्तमान समय में अनेक हिंदू-मंदिरों में पशुओं का बलिदान किया जाना एक ऐसी कुप्रथा है, जिसे यद्यपि धर्म का नाम दे दिया गया है, पर वह घोर अधर्म है। कहाँ तो हमारे वेदों और उपनिषदों का उच्च तत्त्वज्ञान, जिसके अनुसार एकमात्र आत्मा ही सार है; उसके स्वरूप का चिंतन-मनन करने से मनुष्य उच्चगति का अधिकारी हो सकता है और कहाँ बकरा, सूअर, मुर्गा आदि प्राणियों को देवी के सम्मुख काटकर, यह आशा करना कि इससे हमारा तथा हमारी संतान का कल्याण होगा और हम पुण्यवानों के लोक के अधिकारी बन सकेंगे ? ऐसा होता तो कसाई, बहेलिया, व्याध आदि सबसे पुण्यवान् होते, क्योंकि वे भगवान् का नाम लेकर ही नित्यप्रति हजारों जीवों का हनन करते रहते हैं। जान-बूझ कर बिना किसी कारण के जीव हिंसा करना किसी धर्म-प्रचारक ने अच्छा नहीं बतलाया है। जो लोग देश-काल की परिस्थितियों से विवश होकर मांस, मछली का आहार करके, प्राण-रक्षा करते आये हैं, वे किसी सीमा तक क्षम्य भी हो सकते हैं, पर लोग किसी देवी-देवता का नाम लेकर या पूजा के नाम पर किसी जीव को मारते हैं, वे निःसंदेह बड़ा पाप कर्म करते हैं। यह कुप्रथा मनुष्य की जंगली और असभ्य अवस्था का चिह्न है और ऐसी जातियाँ आज भी पशु-पक्षियों का ही नहीं, मनुष्य का बलिदान भी अपने देवता के सम्मुख करती हैं। यदि वेद और शास्त्रों के अनुयायी कहलाने वाले तथा आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हिंदू उनका अनुकरण करने लगे, तो इससे बढ़कर खेद

की बात और क्या होगी ? इस कुप्रथा के मूल कारण की खोज करते हुए एक विद्वान् ने लिखा है—

‘हमारे धर्मग्रंथों में इस कुकर्म का कहीं समर्थन नहीं है। कहीं-कहीं अलंकारिक रूप में ऐसा वर्णन अवश्य मिलता है कि अपने आंतरिक दोष-दुर्गुणों को पाशविक मानकर उनका परित्याग, बलिदान देवता के सम्मुख किया जाए। ऐसा मालूम होता है कि किन्हीं स्वार्थी लोगों ने उस साहित्यिक पहेली की आलंकारिक भाषा को तोड़-मरोड़ कर—अर्थ का अनर्थ करके अपनी जिद्ध-लोलुपता की पूर्ति का साधन बनाया है। मांसाहार, मद्यपान और व्यभिचार यह तीन पाप हमारे यहाँ सबसे बड़े माने गये हैं। लोग अपनी आसुरी वृत्तियों से प्रेरित होकर इन्हें करते हैं, पर इस कारण समाज में उनकी निंदा होती है और अंतरात्मा भी धिक्कारती है। इन दोनों ही विरोधों से बचने के लिए मांसाहार को पशुबलि के बहाने उचित ठहराने का किन्हीं ने निंदनीय प्रयास किया होगा। खेद है कि उन्हें सफलता भी मिल गई और पिछले दिनों यह पाप प्रचंड रूप से सर्वत्र फैल गया। इस विचारशीलता के युग में यह घटना तो जा रहा है, पर पूर्णतः मिटता अब भी नहीं।’

भारतीय शास्त्रों में पग-पग पर पशु-बलि जैसी जीव हिंसा की निंदा की गई है। उसके फल से नर्क और नीच योनियों में पड़कर कष्ट भोगने की बात भी लिखी है।

मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है—

अनुमन्ता विशसिता नोहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ताचोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥

(मनु०-५-५१)

‘पशु वध के लिए संपत्ति देने वाले, मांस को काटने वाले, मारने वाले, खरीदने और बेचने वाले, मांस को पकाने, परसने और खाने वाले आठों व्यक्ति हिंसा के दोषी माने जाते हैं।’

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥

(मनु०-५, ४८)

प्राणियों के वध के बिना मांस प्राप्त नहीं हो सकता। किसी को प्राण से मारने से स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसलिए मांस का त्याग करना ही लाभकारी है।”

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥

(मनु०-५, ४५)

“जो पुरुष अपने सुख के लिए अहिंसक पशु की हिंसा करता है, वह जीते हुए भी मरा हुआ है। उसे कभी कुछ सुख नहीं मिलता।”

पाराशर स्मृति में भी धार्मिक-कृत्यों में मांस का उपयोग करने की इस प्रकार निंदा की गई है—

यस्तु प्राणवधंकृत्वा देवान् पितरश्च तर्पयेत् ।
सोऽविद्धाश्चन्दनं दग्ध्वा कुर्यादंगारलेपनम् ॥

अर्थात्—“जो व्यक्ति प्राणियों की हत्या करके, उनके मांस से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह ऐसा ही कर्म करता है जैसे कोई मूर्ख चंदन को जलाकर कोयलों का लेप करे।

याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है—

सर्वान्कामान् वाप्नोति तपमेघफलं तथा ।
गृहेपि निवासन्विन्दो मुनि मांसं विवर्जनात् ॥

“जो गृहस्थ में रहकर भी मांस का त्याग कर देता है वह मुनि के समान है और उसे अश्वमेध का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसकी मनोकामनाएँ सहज ही में परिपूर्ण हो जाती हैं।”

महाभारत आर्य जाति का सबसे प्राचीन और विशाल इतिहास है। इसमें प्राचीन समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें पाये जाने वाले भगवान्

कृष्ण और भीष्म पितामह के उपदेशों में समस्त धर्मों का निचोड़ आ गया है। उस महाभारत में भी जगह-जगह मांस के व्यवहार का निषेध किया गया है—

सुरामत्सयान्मधु मांसमासवं कृसरौदनम् ।

धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतन्ने तद्वेदेषु कल्पितम् ॥

(शांतिपर्व-२६५ ६)

मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत्प्रकल्पितम् ।

विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्व यज्ञेषु ब्राह्मणाः ॥

(शांतिपर्व-२६५ १०)

पायसैः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्मृतम् ।

यज्ञियाश्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पिताः ॥

(शांतिपूर्ण-२६५ ११)

अर्थात्—“यज्ञों में सुरा, मत्स्य, मांस, आसव आदि का व्यवहार धूर्तों का चलाया हुआ है। वेदों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मान-मोह और जिद्ध की लोलुपता के कारण ही इनका प्रचार किया गया है। अन्यथा सच्चे ब्राह्मण सभी यज्ञों में उस कण-कण में व्याप्त प्रभु का ही भजन-पूजन करते हैं और वेदों के आदेश के अनुसार वृक्षा की समिधा का ही यज्ञ में उपयोग करते हैं।”

अव्यवस्थितमर्यादैर्विभूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।

संशयात्मभिर व्यक्तैर्हिंसासमनुवर्णिता ॥

(शांतिपर्व २६५ ४)

सर्वकर्म स्वहिंसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।

कामकाराद्धिंसासन्ति बहिर्वद्यांपशून्तराः ॥

(शांतिपर्व-२६५ ५)

तस्मात् प्रमाणतः कायोधर्मः सूक्ष्मो विजानता ।

अहिंसा सर्व भूतेभ्यो धर्मभ्यो ज्यायसीमता ॥

(शांतिपर्व २६५ ६)

यदि यज्ञांश्च वृक्षांश्च यूपांश्चोच्छिश्य मानवाः ।
वृथा मांसं न खादन्ति नैषधर्म प्रशस्यते ॥

(शांतिपर्व २६५, ८)

अर्थात् "उच्छृंखल, मर्यादाशून्य, नास्तिक, मूढ़ तथा संशयात्मा व्यक्तियों ने ही यज्ञ में हिंसा का विधान बतलाया है। वस्तुतः यज्ञ में हिंसा त्याज्य है। धर्म का उपदेश करने वाले मनु जी ने भी अहिंसा को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया है। पंडितों का कर्तव्य है कि उसके अनुसार सूक्ष्म धर्म का पालन करे, क्योंकि उसके समान अन्य धर्म नहीं है। जो मनुष्य यज्ञ, वृक्ष अथवा यूप के नाम पर पशु हिंसा करके मांस-भक्षण करते हैं, उनका कार्य निंदनीय ही माना जाता है।"

महात्मा भीष्म पितामह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—
"प्राणियों की हत्या से यदि धर्म लाभ होता हो और स्वर्ग मिलता हो, तब नर्क में जाने का कार्य कौन-सा होगा ? हे युधिष्ठिर ! यज्ञ में प्राणी हिंसा निश्चित रूप से निषिद्ध है। यज्ञ तो हिंसारहित ही होते हैं। पशु बलि के लिए यूप गाड़कर, पशुओं का गला काटकर, खून-खच्चर मचाकर, यदि कोई स्वर्ग चला जायेगा तो फिर नर्क कौन जायेगा ?"

यद्यपि प्राचीन काल में मांस-भक्षण के पक्षपातियों ने पशु हिंसा का यज्ञों में प्रचार कर दिया था, तो भी पुराणों में इस प्रकार की हिंसा करने वालों का कार्य घृणित और पाप पूर्ण ही बतलाया गया है। भागवत (४-२५-७।८) में एक ऐसे राजा का वर्णन है, जिसने यज्ञों के नाम पर बहुसंख्यक पशुओं की हत्या की थी। परलोक में उसकी कैसी दुर्गति हुई, इस संबंध में भागवतकार ने लिखा है—

भो भोः प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे ।

संज्ञापिताञ्जीवसंघान्निर्घृणेन

सहस्रशः ॥

(४-२५-७)

एतेत्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्वरन्तो वैशसं तव ।

सस्परेतभयः कूटैश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥

अर्थात्—“हे राजा ! तूने हजारों पशुओं को देवताओं के नाम पर बलिदान किया। देखो, अब वे ही पशु तेरी क्रूरता का स्मरण करते हुए, क्रोध से भरे हुए तीक्ष्ण हथियारों से तेरी बोटी-बोटी काटने को तैयार बैठे हैं।”

सामान्य बुद्धि से भी यह प्रतीत होता है, पशुओं को इस प्रकार कष्ट देकर मारना कभी अच्छा काम नहीं समझा जा सकता। यद्यपि पशुओं में मनुष्य के समान विवेक और बुद्धि नहीं है तो भी प्राकृतिक प्रेरणावश उनमें प्राणों का मोह अवश्य है और कोई संकट सामने आता है तो वे डरकर-घबराकर जान बचाने को भागते हैं। ऐसे जीवों की जबर्दस्ती घेरकर, बाँधकर मारना निश्चय ही घोर पाप है। मांस-भक्षण के लिए हिंसा करना भी बुरा माना गया है, तो देवी-देवता के नाम पर बकरा, भैंसा आदि की हत्या करना तो उससे कहीं अधिक दूषित और दंडनीय है। यदि किसी देवता के सामने पशु को काट देने से मनुष्य की मनोकामनाएँ पूरी हो सकें, उसे पुत्र, धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति प्राप्त हो सके; तो फिर जप, तप, भजन-साधन करने की क्या आवश्यकता रहेगी ? फिर तो मनुष्य दस-बीस पशुओं का गला काटकर सीधा स्वर्ग या बैकुंठ को चला जायेगा और जब तक पृथ्वी पर रहेगा, तब तक भी आराम की जिंदगी व्यतीत करेगा।

प्रत्यक्ष देखने में भी इस बात की सचाई सिद्ध नहीं होती। आजकल जो अशिक्षित और छोटी जातियों के व्यक्ति अधिकतर बलिदान देने जाते हैं, वे गरीब परेशान और तरह-तरह की कठिनाइयों में फँसे ही दिखाई देते हैं। वे समझते हैं कि बलि देने से देवी या भैरव जी प्रसन्न होकर दूध-पूत से संपन्न करेंगे, धन-धान्य की वृद्धि करेंगे, रोग को मिटा देंगे, पर अक्सर होता उल्टा ही है। किसी प्राणी को जान-बूझकर अपने स्वार्थ-साधन के लिए मारना कभी शुभ कर्म नहीं कहा जा सकता और न उससे मंगलजनक परिणाम की आशा की जा सकती है। इस प्रकार की

प्राणी हिंसा तो पाप ही मानी जाएगी और उनके फलस्वरूप दुःख-दरिद्र्य रोग-शोक, आपत्ति-कष्ट आदि ही प्राप्त हो सकते हैं। यदि देवी-देवता सच्चे हैं तो उनकी दृष्टि में सभी प्राणी संतानवत् ही होने चाहिए और जो कोई उनको कष्ट पहुँचाए, उनकी हत्या करे तो वह निश्चय ही उनके क्रोध का पात्र होगा। इसलिए जो व्यक्ति देवी, दुर्गा, काली, भैरव आदि के सम्मुख छोटे-बड़े प्राणियों को काटकर अपना भला चाहते हैं, वे सर्वथा भ्रम में हैं। इस प्रकार की निर्दयता, हत्याकांड का परिणाम तो अशुभ ही होगा। जब मनुष्यों को अपनी निजी संतान अथवा गर्भस्थ शिशु तक की जान लेने पर सरकारी कानून के अनुसार कड़ा दंड भोगना पड़ता है, तो अन्य निर्दोष प्राणियों को इस प्रकार निरर्थक कष्ट देने पर उसका कुपरिणाम क्यों नहीं भोगना पड़ेगा ?

जीव हिंसा और सामान्य अवस्था में मांस का प्रयोग हिंदू-शास्त्रों में ही नहीं, अन्य धर्माचार्यों ने भी अनुचित और निंदनीय ठहराया है। यद्यपि वर्तमान समय में मुसलमान और ईसाइयों में मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर उनके अनेक धर्म-ग्रंथों में तथा महापुरुषों के उद्गारों में जीव-हिंसा का निषेध ही पाया जाता है।

मुसलमानों का सबसे प्रमुख धर्म-वाक्य उनका कलमा है, जिसमें कहा गया है कि 'परमात्मा का आदेश है कि तुम सब जीवों पर दया करो।' इस प्रकार कुरान का प्रत्येक अध्याय 'अर्रहमान-अर्रहीम' शब्दों से आरंभ हुआ है, जिनका अर्थ है कि 'परमात्मा इस संसार को बनाते समय दयालु थे और अब भी व्यक्तियों के कर्मों पर विचार करते समय दयालु हैं।' यह भी कहा गया है कि 'मक्का की यात्रा को जब रवाना हो और जब वापस लौटो तो बराबर रोजा (व्रत) रखो। पशुओं का वध मत करो और धर्म के जो मुख्य दिन माने गये हैं, उन दिनों मांस कदापि न खाओ।' मुसलमानों के सर्वप्रथम नेता हजरत अली ने कहा है—'तू अपने पेट को पशु-पक्षियों की कब्र मत बना अर्थात् अन्य जीवों को

मारकर मत खाओ। अकबर ने भी मांस का प्रयोग देश भर में बहुत कुछ रोक दिया था और यह भी कहा कि 'मैं अपने पेट को दूसरे जीवों का कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता।'

ईसा मसीह ने सदा जीवों पर दया करने का उपदेश दिया था। वे अधिकतर दूध और रोटी का प्रयोग किया करते थे और धर्म के नाम पर किसी पशु-पक्षी का बलिदान करना उन्होंने बुरा बतलाया है। बाइबिल में एक जगह कहा गया है—'मैं न तो तेरे घर से बैल, न तेरी पशुशालाओं से बकरे लूँगा, क्योंकि जंगल व पहाड़ के समस्त पशु-पक्षी मेरे ही हैं। क्या मैं बकरे का खून पियूँ और बैल का मांस खाऊँ ? मुझ परमेश्वर को तो धन्यवाद रूपी बलि चाहिए। कष्ट के समय मुझ से प्रार्थना करना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।' एक अन्य स्थान पर कहा गया है— "जगत् की सब वस्तुओं का तुझे ज्ञान हो, परंतु दया न हो—तो परमात्मा के सम्मुख वह ज्ञान किसी काम न आएगा।' ईसाई धर्म में स्थान-स्थान पर सब प्राणियों की रक्षा करने का उपदेश पाया जाता है और अपकार के बदले में भी क्षमा करने को सर्वोत्कृष्ट गुण बतलाया है। बाइबिल में मनुष्य और गाय-बैल की हत्या को एक समान पाप बतलाया है।

यहूदी और पारसी धर्म बड़े पुराने हैं और जिन देशों में उनका प्रचार था, वहाँ अन्न की कमी से मांस का व्यवहार करना भी पड़ता था, पर उन्होंने भी धार्मिक कार्यों में पशु-हिंसा को बुरा ही बतलाया है। यहूदी धर्म का वचन है कि, "बकरो व बछड़ों के रक्त से नहीं वरन् अपने ही परिश्रम से स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। यह कभी भी संभव नहीं कि बैलों व बकरियों का खून पापों से छुड़ा सकें।' खेद है कि बलिदान करने वाले ऐसे स्पष्ट आदेश को भी नहीं समझ पाते।

इसी प्रकार पारसी धर्म में कहा गया है कि "पशु मारने वाले को परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। पैगंबर रास फंदरमद ने कहा है—'हे पवित्र मनुष्य ! प्रभु की आज्ञा है कि पृथ्वी को खून, मैल

और मांस से अपवित्र मत बनाओ।" फिर कहा गया है कि "जो पशुओं को मारने की प्रेरणा दूसरों को देते हैं, उनको अहुरुमज्द (भगवान्) बुरा समझते हैं।"

यदि हम विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों और उपदेशों को छोड़कर, केवल शुद्ध-बुद्धि और तर्क से विचार करें, तब भी यही प्रतीत होता है कि 'जीवों जीवस्य भोजनम्' वाला सिद्धांत निम्न स्तर के प्राणियों के लिए है। यदि शेर, चीते, भेड़िये दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, तो इसका कारण यही है कि प्रकृति ने उसकी रचना ही ऐसी की है कि वे अन्य प्रकार का भोजन न तो चबा सकते हैं, न हजम कर सकते हैं। पर मनुष्य तो कोई शेर, चीता, भेड़िया नहीं है, वरन् वह एक शाकाहारी प्राणी है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसे वह ज्ञान मिला हुआ है, जिसमें वह इस वास्तविक रहस्य को तथा आत्मा-परमात्मा के रूप को समझ सकता है ? ऐसी दशा में उसके लिए पशुओं जैसा आचरण किस प्रकार शोभा दे सकता है ? जो व्यक्ति समझता है कि समस्त जीव और यह सारी सृष्टि एक ही स्रोत से प्रकट हुए हैं और परमात्मा ही प्राणी मात्र का रचयिता और पितृ स्थानीय है, वह यदि अपने किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए अन्य जीवों की हिंसा करे और फिर उसे धर्मानुकूल कार्य बतलावे, तो इसे हद दर्जे की मूढ़ता अथवा ढोंग ही कहना पड़ेगा। यों तो मनुष्य की उच्च प्रकृति की दृष्टि से मांस का किसी तरह प्रयोग में लाना हीन कार्य है, पर देवी-देवता के नाम पर ऐसा कार्य करना और उसे धर्म का एक अंग बतलाना तो सर्वथा हेय और अज्ञान का सूचक है। समझदार व्यक्ति को इस प्रकार की मूढ़ता को जितना शीघ्र हो सके त्याग देना ही श्रेयस्कर है।



दान का दुरुपयोग और भिक्षाजीवियों की समस्या

भारतीय धर्म शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा गाई है। उसे मानवता का एक बड़ा लक्षण बतलाया गया है और यहाँ तक कहा है कि जो अपनी कमाई में से दूसरों को एक भाग नहीं देता, उसका उपभोग करना चोरी के समान है। भगवद्गीता का वचन है—

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् । (१८. ५)

अर्थात् “यज्ञ दान, तप रूप जो कर्म हैं, वे अवश्य करणीय है, उनको त्यागना कभी नहीं चाहिए। ये कर्म निश्चित रूप से बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं।”

गीता में यज्ञ को सृष्टि-संचालन का मूल आधार कहा है और उसी की श्रेणी में दान को रखने से अनुमान किया जा सकता है कि गीताकार की दृष्टि में उसकी महिमा कितनी अधिक है ? उन्होंने दान को यज्ञ का एक अंग ही माना है और कहा है कि— “यज्ञ के रूप में अन्य व्यक्तियों तथा समाज का उपकार करने के पश्चात् शेषांश से अपना निर्वाह करना ही पुण्य-मार्ग है।” उसके मतानुसार अपना जीवन निर्वाह करने से भी पहले मनुष्य को दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखकर दान और त्याग द्वारा उसकी पूर्ति करनी चाहिए। यही पशु और मनुष्य के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मनु भगवान् ने भी दान को इस युग का सबसे बड़ा धर्म बतलाया है—

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ (मनु०-१८६)

अर्थात् "सतयुग में तप, त्रेतायुग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान—ये ही धर्म के मुख्य लक्षण हैं।" हेमाद्रि में लिखा है कि—"श्रेष्ठ ब्राह्मणों के निकट रहकर आत्म संयम, दान और दया का अभ्यास करना चाहिए।" व्यास जी का कथन है "सत्पात्र को दान देना ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है।" गौतम मुनि ने "दान को पापों के नाश करने का अमोघ साधन बतलाया है। पाराशर ने लिखा है कि, चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है और उस आश्रम का श्रेष्ठ धर्म दान है।" इस प्रकार समस्त शास्त्रों ने दान की प्रशंसा करते हुए उसे मनुष्य मात्र का परम धर्म बतलाया है।

पर खेद है कि जिस गुण की ऋषि-महर्षियों ने इतनी महिमा बतलाई है और निस्संदेह जो मनुष्य का एक बहुत बड़ा भूषण है, उसकी वर्तमान समय में बड़ी बुरी दशा हो गई है। जहाँ शास्त्रों में परोपकारी, जन-सेवा में संलग्न सत्पात्रों को दान देने का आदेश दिया है, ताकि वे लोक-कल्याण के कार्यों को निर्विघ्न करते रहें, वहाँ आज ऐसे लोगों को दान दिया जाता है, जो या तो निकम्मे, निठल्ले रहकर समय को बर्बाद किया करते हैं या नशा, विषय भोग, ठाट-बाट में संलग्न रहकर तुलसीदास जी की इस चौपाई को चरितार्थ करते हैं—

"तपसी धनवन्त दरिद्र गृही।

कलि कौतुक तात न जात कही।"

पुस्तने-जमाने में ब्राह्मणों का कर्म 'दान लेना और दान देना' बतलाया गया था। इसका कारण यही था कि ब्राह्मण वे ही कहलाते थे, जो सर्वथा अनासक्त, अपरिग्रही रहकर अपना तमाम समय परोपकार और लोककल्याण के कार्यों में लगाया करते थे। वे परोपकार के लिए धन, श्रम और समय की तो बात ही क्या, अपने शरीर को अर्पण करने में भी संकोच नहीं करते थे। ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों के भरण-पोषण की चिंता समाज न करेगा, तो और कौन

करेगा ? इसी से दान की परंपरा को इतना महत्त्व दिया गया था कि स्वयं खाने से पहले ऐसे देव-पुरुषों को खिलाने का ध्यान रखा जाए। इसके लिए जन्म-मरण, विवाह तथा अन्य समस्त संस्कारों और पर्वोत्सवों पर ऐसे सत्पात्र साधु-ब्राह्मणों को दान देने का नियम बनाया गया। पर कौन जानता था कि ऐसा भी जमाना आयेगा, जब ढोंगी और मक्कार लोग दान लेने का एक पेशा बना लेंगे। अन्य सब पेशे वाले तो धन पाने के बदले कुछ असली या दिखावटी काम करेंगे भी, पर दान लेने वाले धर्मजीवी सोलह आना हराम की कमाई खाएँगे। इस संबंध में इस प्रकार के अनेक व्यक्तियों का अनुभव करके हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री चतुरसेन शास्त्री ने एक बार लिखा था—

“समस्त भारत में सब मिलाकर १५०० से अधिक प्रसिद्ध तीर्थ हैं। वहाँ के अगणित मंदिर और असंख्यों देवता बैठे-बैठे यात्रियों की राह देखा करते हैं। इन तीर्थों में प्रति वर्ष ४ करोड़ के लगभग यात्री जाते हैं और डेढ़ अरब के अनुमान धन खर्च करते हैं। इसमें ६० प्रतिशत मंदिरों के महंत और पुजारियों के पेट में जाता है। इनमें से बहुत-से महंत, मठाधीश और पुजारी तो राजाओं के समान ठाट-बाट से रहते हैं। उनके लिए हाथी, घोड़ा, महल सजावट का हर एक सामान होता है। कुछ महंतों को तो राजाओं के से अधिकार भी मिले हैं, उनकी आमदनी बेशुमार है और वे देवताओं पर चढ़ाये हुए समस्त धन के स्वामी होते हैं। ये लोग अधिकांश में वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, धूर्त, पाखंडी और मिथ्याज्ञान वाले होते हैं।”

इसी प्रकार एक अन्य विद्वान् ने इन साधु नामधारी लोगों का चरित्र-चित्रण करते हुए कहा है—

“इन भिक्षा-जीवियों में फुटपार्थों पर पड़े रहने वाले पैसा माँगने वालों, गाँजा की दम लगाने वाले, धूनी पर बैठे साधु-फकीरों से लेकर बड़े से बड़े आचार्य और गद्दीधारी महंतों का भी

समावेश होता है। इन सबके जीवन एक समान नहीं होते। कुछ थोड़े खर्च में काम चलाने वाले होते हैं, तो कुछ खूब मौज, शौक करने वाले भी होते हैं। पर इनमें से किसी से जनता का कोई हित पूरा नहीं होता। उनके द्वारा सर्व-साधारण को एक पाई का भी लाभ नहीं मिलता। इनमें से एक भी साधु या महंत निःस्वार्थ भाव से जनता को सदुपदेश नहीं देता। इन लोगों को कमाने की कुछ फिकर नहीं रहती और ये 'सर्व भूमि गोपाल की' कहते हुए सब लोगों की संपत्ति को अपनी ही समझते हैं। धर्मश्रद्धा रखने वालों से बड़ी शान के साथ धन वसूल करते हैं। कितने ही साधु नामधारी तो देता है कि नहीं कहकर, धमकी अथवा गुंडागर्दी द्वारा भी रुपया वसूल करते हैं।"

जब इन लोगों के ऐसे कृत्यों पर विचार किया जाता है तो यही कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति साधु या संन्यासी आदि का भेष बनाकर मॉंगते-खाते हैं, वे पेशेवर भिखारी हैं, जिन्होंने प्राचीन परंपरा का लाभ उठाकर, जनता के धन का दुरुपयोग करना अपना काम बना रखा है। यदि वे वास्तव में प्राचीन ग्रंथों में बतलाये हुए साधनों के नियमों का पालन और वैसा आचरण करते तो आज भी किसी को साधु समाज पर आक्षेप करने का मौका नहीं मिलता। तब वे समाज के लिए भार स्वरूप सिद्ध होने के बजाय हितकारी ही सिद्ध होते। उदाहरणार्थ, गरुण पुराण में साधुओं के जो लक्षण दिये गये हैं, उनको देखिए—

"जो सम्मान से प्रसन्न और अपमान से क्रुद्ध नहीं होते और यदि कभी असंतुष्ट भी हुए तो कठोर वचन मुँह से नहीं निकालते, वे ही साधु हैं। साधु सदा शरीर-सुख तथा भोगेच्छा से विरत होते हैं और सब प्राणियों के हित के लिए ही चेष्टा करते रहते हैं। वे पराये दुःख से कातर होते हैं और दूसरे का दुःख देखकर अपना सारा सुख भूल जाते हैं। वृक्ष जैसे स्वयं घोर ताप सहन करते हुए भी

दूसरों को ताप से बचाते हैं, साधु भी वैसे ही स्वयं कष्ट सहकर दूसरे का उपकार किया करते हैं।”

यह तो हुई साधुओं के लक्षणों की बात। इसके अतिरिक्त जब हम संन्यास-उपनिषदों में साधुओं के नियमों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि साधु-संन्यासी होना निकम्मा और निठल्ले लोगों का काम नहीं है, वरन् उसके लिए बड़े त्याग और कष्ट सहन की आवश्यकता पड़ती है। आजकल जो लोग कुछ पैसे के गेरु से कपड़े रंगकर संन्यासी बन जाते हैं अथवा किसी महंत या गुँसाई के चेले बनकर अपने को पूजनीय समझने लगते हैं, वे तो उस वर्णन के अनुसार सर्वथा दंड के पात्र हैं। शास्त्रों में भिक्षुओं और संन्यासियों के कर्मों का वर्णन करते हुए कहा गया है—

“भिक्षु व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग साधन तथा विभिन्न अनुष्ठानों का परित्याग करना चाहिए। उनको शत्रु-मित्र और छोटे-बड़े सब प्राणियों का हितचिंतक बन जाना चाहिए। वाक्य, मन या कर्म द्वारा किसी जीव का कदापि अनिष्टाचरण न करें। सदा योगरत रहें और सबका संग छोड़ दें। इन्हें गाँव में एक रात और नगर में पाँच रात से अधिक न ठहरना चाहिए। इसके सिवा वे ऐसे स्थान में रहें, जहाँ न प्रीति उपजे न द्वेष। जिस समय गृहस्थों के चूल्हों की आग बुझ जाए और सबका आहार समाप्त हो जाए, उस समय भिक्षु द्विजों के घर भिक्षा माँगने को पहुँचे।”

कहाँ तो साधु-संन्यासी का यह आदर्श और कहाँ आजकल के पेटू, स्वार्थी और लंपट भिक्षाजीवी। साधु को किसी भी स्थान पर ज्यादा देर ठहरने का निषेध है, ताकि किसी के प्रति राग-द्वेष की भावना उत्पन्न न हो। पर आजकल के साधु तो किसी एक ही स्थान पर मंदिर या मठ बनाकर और जायदाद इकट्ठी करके, ऐसी गहरी जड़ जमाते हैं, मानो अनंत काल तक उनको वहीं बैठे रहना है। इसी प्रकार जहाँ उपर्युक्त विवरण में सबके खा-पी लेने के पश्चात् गृहस्थों के यहाँ भिक्षार्थ जाने का नियम है। आजकल के

साधु सबसे पहले भोग लगाना अपना अधिकार समझते हैं और कितने ही भिक्षुक लोगों के खाते समय ही छाती पर जा खड़े होते हैं।

इस वर्णन के अनुसार साधु-संन्यासी का सबसे बड़ा गुण त्याग और परोपकार है, जो जितना ही निस्पृह और अपरिग्रही होगा वह उतना ही अधिक साधु माना जा सकता है। पर आज तो इन लोगों को धन-संग्रह और वैभव बढ़ाने में कुछ भी संकोच नहीं जान पड़ता। यह इस जमाने की खूबी है कि तन-तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति तो रूखी-सूखी खाकर गुजारा कर रहे हैं और आलस्य अथवा निरर्थक बातों में समय गँवाने वाले साधु लखपति, करोड़पति बने हैं। ये लोग साधु का वेष धारण करते हुए, गेरुआ चस्त्र पहनते हुए भी जमींदारी करते हैं, खेती कराते हैं, किराये के लिए इमारतें बनवाते हैं, व्यापार करते हैं। एक दिन दो सज्जन कहीं से कर्ज लेने के विषय में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा कि अमुक अखाड़े के महंत के पास चलो, वह पचास हजार तक कर्ज दे सकता है। पूछने पर मालूम हुआ कि उक्त महंत ने कितने ही व्यवसायियों, जमींदारों और अन्य लोगों को लाखों रुपये उधार दे रखे हैं और उनकी बाकायदा व्यापार की कोठी बनी हुई है। नागा लोगों के निरंजनी अखाड़ा की जायदाद कुछ वर्ष पहले दस करोड़ से ऊपर बतलाई जाती थी। इसके व्यवस्थापक संन्यासी मोटर और बढ़िया घोड़ा-गाड़ी रखते हैं और अमीरों की तरह ऐश आराम की जिंदगी बिताते हैं। यद्यपि ये लोग साधारण भिखारियों की तरह घर-घर भिक्षा माँगने नहीं जाते, पर उनकी समस्त संपत्ति जनता के दान से ही प्राप्त हुई है। लोग उन्हें धर्मात्मा समझकर धर्म-कार्यों के लिए धन देते हैं, पर वे उसके द्वारा जमीन, जायदाद इकट्ठी करके, गृहस्थियों से भी अधिक सांसारिक पचड़ों में फँस गये। यही हाल अयोध्या में वैरागियों के हनुमान गढ़ी मंदिर, नाथ द्वारा के श्री नाथ जी, जगन्नाथ, द्वारिका आदि के मंदिरों का है। इन सबमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये भेंट-स्वरूप चढ़ता है, जो सब महंत और

पुजारियों के सुखोपभोग में खर्च होते हैं। ऐसे लोग साधु कहलाते हुए भी हाथी-घोड़े रखते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बंदूकधारी संतरी नियुक्त करते हैं, सोने-चाँदी के बर्तनों में खाते हैं, जरी और किमख्वाब के कपड़े पहनते हैं, लाखों रुपये के रत्न जड़ित मुकुट, आभूषण आदि धारण करते हैं और दुनिया की नई से नई सुख-सामग्रियों उन्होंने अपने उपभोग के लिए एकत्रित कर ली हैं।

सदाचार साधुओं का एक अनिवार्य नियम है, पर आजकल साधुओं का जीवन जैसा विलासी और खर्चीला बन गया है, उसे देखते हुए उनके द्वारा सदाचार की रक्षा हो सकनी संभव ही नहीं। जो साधु नित्य बढ़िया कीमती भोजन करते हैं, सजे हुए आरामदेह मकानों में रहते हैं, मखमली गद्दे-तकियों पर सोते हैं, सुगंधित तेल और इतर लगाते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, गँजा, भाँग, शराब आदि अनेक नशीली और उत्तेजक वस्तुओं का सेवन करते हैं, केसर, कस्तूरी, सोने के वर्क, मोती का चूर्ण जैसी शक्तिशाली चीजों का सेवन करते हैं, ऐसी दशा में अगर उनका चित चलायमान हो और वे दासियों, चेलियों या वेश्याओं को कृतार्थ करते रहें, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है ? इस तरह की सामग्री का उपभोग करते हुए भी जो निर्विकार रह सके, उसे जीवनमुक्त ही कहा जाएगा, अथवा सर्वथा नपुंसक व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में निश्चल रह सकेगा। पर ये साधु और महंत न तो विदेह पदवी को पहुँच सके हैं और न वे हिंजड़े बन गये हैं, तब वे इन विलास-सामग्रियों का सेवन करके कामदेव के बाण से व्यथित न हों, यह कैसे संभव है ? सच पूछा जाए तो अभी तक इन लोगों की इतनी व्यभिचार लीलाओं का भंडाफोड़ हो चुका है और उनके मुकदमे अदालतों में भी पहुँच चुके हैं कि अब उनकी दुश्चरित्रता में संदेह की कोई गुंजायश नहीं है। इनमें ब्रह्मचर्य और समय का पालन करने वाला दो-चार सौ में एकाध मिल जाए तो कहा नहीं जा सकता। अन्यथा

सभी थोड़े या अधिक अंशों में गृहस्थियों से भी अधिक विषय-भोगों में लिप्त देखे जाते हैं।

इस साधु समुदाय या भिक्षुक मंडली की संख्या अब बढ़ते-बढ़ते अस्सी लाख से ऊपर पहुँच चुकी है। इन लोगों को केवल भोजन-वस्त्र की ही आवश्यकता नहीं होती, वरन् उससे भी अधिक उनकी माँग भौंग, गौंजा, सुलफा आदि मादक पदार्थों के लिए होती है। अगर इन सब खर्चों को जोड़ा जाए और उन बड़े भिखारियों का खर्च भी जोड़ लिया जाए, जिनकी आमदनी प्रति वर्ष लाखों रुपये की है और जो रईसों की तरह शान और ठाठ से रहते हैं, तो यह रकम इस महँगाई के युग में निःसंदेह पाँच अरब रुपये तक पहुँच जाएगी। यह समस्त हिंदू जाति के जेब से ही निकलती है, जिसके बदले में उसे अंध-विश्वास और ढोंग बढ़ाने वाली शिक्षाएँ और तरह-तरह की दुष्प्रवृत्तियों की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब तक न मालूम कितने गृहस्थ व्यक्ति इनकी धूनी पर गँजेड़ी बन गये और कितने अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होकर हरामखोरी का जीवन व्यतीत करने लगे, इसका कोई हिसाब नहीं। इस प्रकार यह दल हिंदू-समाज की एक बहुत बड़ी अर्थ-राशि को नष्ट करता हुआ उल्टा उसका अपकार करता है। फिर भी हिंदू उन्हें पूजनीय समझते हैं और उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं, इसे यदि परले सिरे की मूढ़ता अथवा अंध-श्रद्धा न कहें तो और क्या कहें ?

इन लोगों के सुधार का प्रश्न प्रायः समाज हितैषियों के सामने आया करता है और अब तो सरकार भी इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील जान पड़ती है, पर अभी तक कोई सफल दृष्टिगोचर नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से बड़े नगरों में भिक्षा माँगना गैर कानूनी ठहराकर भिक्षुकों को औसत दर्जे का भोजन-वस्त्र संस्था की तरफ से देना और जो कुछ काम वे आसानी से कर सकें उतना कराना निश्चय हुआ है। पर प्रथम तो बहुत ही कम संख्या में भिखारी इनमें रहने को पहुँचे और जो गये

भी वे थोड़े ही दिनों में वहाँ से भाग आये और पुनः भिक्षा माँगने का ही पेशा करने लगे। इससे उन भिक्षुकगृहों को बंद करना पड़ा और प्रत्येक प्रांत में कई-कई लाख रुपया इन परीक्षणों पर यों ही बर्बाद चला गया। अब ये लोग अपने समुदाय वालों में संगठित रूप से इन भिक्षुकगृहों के विरुद्ध आंदोलन फैला रहे हैं और उनमें कभी किसी को न जाने की सलाह दे रहे हैं। उधर बड़े महंतों तथा मंदिरों की संपत्ति को सरकार सार्वजनिक ट्रस्टियों के हाथ में देने की व्यवस्था कर रही है। पर वे भी अब अपने मंदिरों को प्राइवेट घोषित करके, उनकी संपत्ति और सामग्री को निजी वस्तुओं की तरह रखने लगे हैं। केवल दस-बीस बहुत बड़े स्थानों की व्यवस्था में सरकार निरीक्षक नियुक्त कर सकी है। इस प्रकार अभी तक हिंदू-समाज का कई अरब से अधिक धन व्यर्थ में जा रहा है। जिस धन से सैकड़ों धर्म-प्रचार और समाज-सुधार की योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं, वह थोड़े से निठल्ले लोगों के सुखोपभोग में बर्बाद किया जा रहा है। इसका सुधार तभी संभव है कि जब हिंदुओं की आँखें खुलें और वे स्वयं इन स्थानों को धन इसी शर्त पर दें कि उसका समाज के हित में सदुपयोग किया जाए। जन-सेवकों का कर्तव्य है कि वे इस भावना को सर्वसाधारण में फैलाएँ और अपने-अपने यहाँ के मंदिरों तथा मठों के लिए स्थानीय रूप से आंदोलन आरंभ करें।



मृतक-भोज की हानिकारक परंपरा

मृतक-संस्कार की प्रथा संसार के सभी देशों में पाई जाती है और सभी जातियों और धर्मों के लोग उस विशेष विधि-विधान से संपन्न करते हैं। संसार के विभिन्न देशों में जो अति प्राचीन समाधियाँ निकली हैं, उनमें भी कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं कि जिनसे प्रकट होता है कि दस-बीस हजार वर्ष पूर्व के आदिम अवस्था वाले मनुष्य भी किसी न किसी रस्म के साथ ही मृतक का अंतिम संस्कार करते थे। हमारे देश में इसको बहुत महत्त्व दिया गया था और मृतक-संस्कार को एक यज्ञ ही माना था। इसलिए चिता को यज्ञ कुंड मानकर उनमें मृतक शरीर की आहुति दी जाती है और साथ में अनेक प्रकार की सामग्री, सुगंधित पदार्थ, घी आदि भी डाले जाते हैं। बारह दिन तक उसका शोक मनाया जाता है और तब थोड़े-से सत्पात्र साधु-ब्राह्मणों को भोजन कराके, दक्षिणा देकर इस कार्य को संपन्न किया जाता है। आज भी यह सब विधान अपनी हैसियत और समय के अनुकूल रूप में पूरा किया जाता है, पर उसके साथ एक 'भोज' कराने की प्रथा और चल पड़ी है, जिसमें प्रायः अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है और बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

इस प्रकार के मृतक भोज का विधान किसी शास्त्र में नहीं पाया जाता और न इतिहास ग्रंथों में उसका जिक्र मिलता है। मृतक-आत्मा की शांति के लिए कुछ दान-पुण्य करना तो उचित समझा जा सकता है, पर दो चार-सौ या हजार पाँच-सौ व्यक्तियों को पूरी, मिठाई, नमकीन आदि की दावत देना तो एक ऐसी बात है, जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता। वास्तव में यह एक अंध परंपरा है, जो कुछ वर्षों से एक-दूसरे की देखा-देखी प्रचलित हो

गई है और हानि-लाभ का विचार किये बिना नासमझी से बढ़ती जाती है।

मृतक भोज के मूल में अधिकतर यही भावना काम करती है कि जब अन्य लोगों ने अपने बाप-दादे के मरने पर इतना बड़ा भोज दिया, तो हमको भी देना चाहिए। फिर जिन लोगों के पास अनाप-शनाप पैसा भरा है और हराम की कमाई आती है, वे इसमें हजारों रुपया खर्च कर डालते हैं। उन्हें देखकर उनसे छोटे और कम सामर्थ्य वाले अनेक व्यक्ति भी नामवरी के लालच से वैसा ही बड़ा भोज कर डालते हैं। इसके फल से उन्हें कर्जदार बनना पड़ता है और बहुत समय तक आर्थिक कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, जब दस-बीस व्यक्तियों ने इस प्रकार के भोज कर दिये, तो फिर ऐसी परंपरा चल पड़ती है कि जिन परिवारों की स्थिति बहुत शोचनीय है और जिनमें नामवरी की भी कोई भावना नहीं है, उनको भी जाति वालों और परिचितों के दबाव तथा आग्रह से इस प्रकार का भोज कराना पड़ता है। उस समय यह एक प्रकार के 'बदले' का रूप धारण कर लेता है और प्रकारांतर से यह कहा जाता है कि जब तुम और लोगों के यहाँ भोज में जाकर पूरी, मिठाई खा चुके हो, तो तुमको भी उन्हें खिलाना पड़ेगा।

इसका परिणाम गरीब श्रेणी के व्यक्तियों के लिए और खासकर उन परिवारों के लिए, जिनका कमाने वाला व्यक्ति मर गया और उसके पीछे विधवा स्त्री और दो-चार नाबालिग बच्चे ही रह गये, बड़ा बुरा होता है। एक तरफ तो उनके सामने भविष्य की भीषण संभावना नाचती रहती है कि बिना किसी साधन के जीवन निर्वाह कैसे होगा और दूसरी ओर जाति के पंच चौधरी उन पर यह दबाव डालते रहते हैं कि यदि तुम जाति वालों को भोज नहीं दोगे तो बदनामी होगी। तुम्हारा घर ऐसा नामी है और उनमें सदा से ऐसे बड़े 'रस्म' होते आये हैं,

अगर अब तुम हाथ पीछे खींच लोगे तो तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। इस प्रकार बढ़ावा देकर और डरा-धमकाकर वे लोग परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होते हुए भी 'रस्म' करवा लेते हैं, चाहे उसके लिए घर में बचा थोड़ा-बहुत जेवर, बर्तन या मकान आदि ही क्यों न बेच देने पड़ें या गिरवी रखने पड़ें या कर्ज भी लेना पड़े। उस समय तो जैसे-तैसे व्यवस्था हो जाती है और जाति के दो-चार सौ व्यक्ति मुँह मीठा कर जाते हैं, पर बाद में उन अनाथों की जो दुर्दशा होती है उसे भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। एक तरफ छोटे बच्चों के लालन-पालन और पढ़ाने-लिखाने की समस्या और दूसरी ओर कर्ज के चुकाने का प्रश्न। ऐसी स्थिति में साधारण खाते-पीते परिवारों को घोर दरिद्रता के कष्ट उठाने पड़ते हैं और अनेक समय तो फाकाकशी की नौबत आ जाती है। उस समय वे पंच-चौधरी और नाते-रिश्तेदार यह पूछने भी नहीं आते कि तुम्हारी क्या हालत है ? अथवा तुमको सूखी रोटी भी मिलती है या नहीं ? वे मेहनत-मजदूरी करके, किसी प्रकार आधे पेट रहकर काम चलाते हैं और उनके बच्चे भी प्रायः अशिक्षित और अविकसित रह जाते हैं। इस तरह एक व्यर्थ की परंपरा के कारण कितने ही परिवार दुःख के समुद्र में ढूँढल दिये जाते हैं और समाज के सामने एक खोटा आदर्श उपस्थित किया जाता है।

हिंदू जाति के अधिकांश व्यक्तियों को वर्तमान समय में जो आर्थिक दैन्य सहन करना और उन्नति की योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये दिखावटी, निरर्थक रस्म-रिवाज भी हैं। इनके कारण साधारण रीति से कोई धंधा करके जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों पर इतना बड़ा खर्च आ जाता है, जिसकी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती और प्रायः कर्ज लेने को ही विवश होना पड़ता है। वर्तमान महँगाई के समय में तो औसत दर्जे के व्यक्ति उतना

भी कठिनता से कमा सकते हैं, जिससे भोजन-वस्त्र और अन्य जरूरी खर्च पूरे हो सकें। परिवार का पालन-पोषण करने के साथ ही विवाह-शादी, लेन-देन और मृतक भोज जैसे विशेष कार्यों के लिए भी दस-पाँच हजार रुपया बचाकर रख सकें, ऐसे सौभाग्यवान व्यक्ति गिने-चुने ही होते हैं। अधिकांश लोगों के लिए ऐसे आकस्मिक खर्च एक बड़े अभिशाप की तरह सिद्ध होते हैं और उनको शिक्षा तथा उन्नति के साधनों के लिए जो व्यय करना चाहिए था, उसे रोक देना पड़ता है। इससे परिवार के रहन-सहन का स्तर ही नीचा नहीं हो जाता, वरन् भावी संतान के मार्ग में भी काँटे-बिछ जाते हैं और अधिकतर उसकी दुर्दशा में ही जीवन गुजारना पड़ता है।

इस प्रकार के भोजों और दावतों के मूल में दो ही भावनाएँ काम करती हैं—एक 'बड़प्पन' दिखलाने की और दूसरी जाति के मुखियाओं के दबाव में आकर राजी हो जाने की। ये दोनों ही निरर्थक हैं और इनके प्रभाव में आकर कोई काम करना मूर्खता का लक्षण है। वर्तमान समय में बड़प्पन सार्वजनिक सेवा या हित का कोई कार्य करने से ही मिल सकता है। जो लोग अपने परिश्रम की कमाई को खर्च करके, स्कूल, चिकित्सालय, व्यायामशाला, जलाशय आदि बनवाकर सर्वसाधारण के किसी अभाव की पूर्ति करते हैं या कोई आंदोलन या अभियान उठाकर जनता की किसी शिकायत को दूर कराने का उद्योग करते हैं, उन्हीं का सम्मान होता है और लोग उनकी जय-जयकार करते हैं। रह गया कुछ बड़े लोगों की देखा-देखी दो-चार हजार रुपये खर्च करके, कुछ लोगों को खिला-पिला देने से बड़े बनने की आशा, वह बिल्कुल निर्मूल है। अगर किसी ने अपना धन फूँककर बड़ा भोज भी कर डाला, तो उसकी चर्चा भी दो-चार दिन में खत्म हो जाती है। उसमें भी आधे आदमी भोज्य-पदार्थों की प्रशंसा करते हैं और आधे उनमें तरह-तरह की त्रुटियाँ निकालते हैं। यों दस-पाँच मसखरे या खुशामदी व्यक्ति मुँह पर बड़ाई कर दें, कुछ और वसूल करने के

उद्देश्य से बढ़ावा दे दें, पर मन में ऐसे लोगों को कोई बड़ा नहीं समझता, उल्टा उनकी बेवकूफी पर पीछे से हँसते ही हैं।

“दूसरी बात जाति के मुखियाओं या नाते-रिश्तेदारों का दबाव होता है, जो या तो स्वार्थवश या रूढ़िग्रस्तता के कारण ऐसी बातें करते हैं। वे लकीर के फकीर होते हैं और समय के परिवर्तन और नवीन वातावरण की तरफ ध्यान न देकर परंपरा की ही दुहाई देते रहते हैं। वे यही समझाते हैं कि अमुक ने अपने पिता या माता के मरने पर इतना बड़ा भोज किया, इतना रुपया खर्च किया, अमुक ने अपने भाई या पति के लिए इतने सौ व्यक्तियों को पचमेल मिठाई का भोज दिया, यह समय बार-बार नहीं आता, यदि तुम इस अवसर पर मृतक के लिए खर्च करने में कंजूसी करोगे, तो लोग यही समझेंगे कि तुमको उनसे प्रेम नहीं था और न तुम हृदय में उनके सम्मान का भाव रखते थे।” इस तरह की उल्टी-सीधी बातों से वे सीधे-सीधे व्यक्तियों को बहका देते हैं और उनसे इतना अधिक खर्च करा देते हैं, जिससे उनके अन्य आवश्यक काम रुक जाते हैं और बहुत दिन के लिए उठ सकना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों को यद्यपि वृद्ध और अनुभवी समझकर लोग उनकी सलाह मान लेते हैं, पर वास्तव में उनको दुनिया की मौजूदा हालत का कोई पता नहीं होता और न वे किसी के हानि-लाभ का अनुभव कर सकते हैं। वे तो पुराने लोगों के मुख से निकली बातों को तोता की तरह रटे रहते हैं। वे इतना नहीं समझ पाते कि पुराने और आज के जमाने में कितना अंतर पड़ गया है और दुनिया इस समय कहाँ की कहाँ पहुँच गई है ?

चाहिए तो यह था कि ऐसे अवसर पर नाते-रिश्तेदार और जाति-बिरादरी के लोग मृतक के परिवार वालों को धीरज बँधाकर, जिस तरह संभव हो उसकी सहायता का प्रयत्न करते। कुछ जातियों में यह नियम देखने में आता है कि पति की मृत्यु

हो जाने पर सभी संबंधी उसकी विधवा पत्नी को भावी जीवन के निर्वाह के लिए थोड़ा-थोड़ा रुपया देते हैं। कुछ प्रदेशों में इस प्रकार की घटना में संग आने वाले दो-दो, चार-चार रुपया किसी रस्म के रूप में मृतक के परिवार को देते हैं, जिससे उसकी कठिनाई के समय में थोड़ा सहारा मिल जाता है। ये सब बातें बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की हैं और जाति के सच्चे मुखिया या पंच-चौधरी वे ही माने जा सकते हैं, जो अपने यहाँ ऐसे हितकारी नियमों का प्रचार कराएँ। अन्यथा लड्डू-पूरी खाने के लालच से गरीब जाति वालों के थाली-लोटे भी बिकवा देने और उनको भीख माँगने को छोड़ देना तो हृद दर्जे की नीचता ही कही जा सकती है।

एक मृतक-भोज ही नहीं, हिंदू जाति में ब्याह, शादी, जन्म, जनेऊ तीर्थ-यात्रा आदि सभी अवसरों पर भोज देने की प्रथा इतनी बढ़ गई है कि उससे लोगों की आर्थिक-व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और आत्म-विकास तथा पारिवारिक-विकास के कार्यों में बड़ी बाधा पड़ जाती है। हमारे कहने का आशय यह नहीं कि लोग मिल-जुलकर न रहें या आने-जाने वालों का आदर-सत्कार न करें, पर रस्मों के रूप में ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े भोज अनिवार्य रूप से कराना बुद्धिमानी की बात नहीं है। जहाँ तक हम जानते हैं संसार के किसी अन्य देश या जाति में जातीय-भोजों का ऐसा रिवाज नहीं है, जैसा राजस्थान और उसके आस-पास के दो-एक प्रांतों में देखने में आता है। यहाँ एक-एक मृतक भोज में सौ-सौ मन आटे के पकवान या पूरी, पुआ आदि खर्च हो जाते हैं, जिसका व्यय इस महँगाई के जमाने में तीस हजार से कम नहीं हो सकता। इन विशेष उदाहरणों को छोड़ भी दें, तो सामान्य भोजों या दावतों में भी दो-चार हजार खर्च हो ही जाता है। इस निरर्थक व्यय के कारण या तो लोगों को अन्य उपयोगी और आवश्यक कार्यों को रोकना पड़ता है या किसी बेईमानी, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर

इस रकम की पूर्ति करनी पड़ती है। ये दोनों ही बातें समाजोन्नति में बाधक और व्यक्तियों का पतन करने वाली हैं और जिनको अपने हित का ध्यान है, उन्हें अवश्य इनको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए।

यह समय बड़े व्यापक परिवर्तनों का है। एक दृष्टि से इस संसार की काया पलट हो रही है। दस-बीस वर्षों में ही हमारे देखते-देखते ऐसे अनेक राजनैतिक, आर्थिक परिवर्तन हो चुके हैं, जिनकी किसी को आशा नहीं थी। इनका प्रभाव समाज पर भी पड़ना अनिवार्य है और जो कोई अपने रहन-सहन और रस्म-रिवाजों को इन परिवर्तनों के अनुकूल न बना सकेंगे, उनका अस्तित्व अधिक समय तक टिक सकना कठिन है। हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मृतक भोज आदि सामाजिक रस्में हैं, जो किसी समय तत्कालीन परिस्थितियों के कारण प्रचलित हो गई थीं। उस समय उनका रूप और उद्देश्य भी अब से भिन्न था। पर अब समय के परिवर्तन के कारण वे सर्वथा निरुपयोगी ही नहीं, हानिकारक बन गई हैं। यदि हम अब भी उनसे चिपटे रहेंगे तो सिवाय हानि, के हमारा किसी प्रकार का हित-साधन नहीं हो सकता।



वैवाहिक कुरीतियों से समाज को बचाइये

विवाह मानव-समाज की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। कहा जाता है कि संसार एक समय ऐसा था, जब मनुष्य भी पशुओं की तरह निवास करता था और उसे माता-पिता, भाई-बहिन आदि का कोई ज्ञान न रहता था। उस समय वह पशुओं की अपेक्षा भी हीन अवस्था में रहता था, क्योंकि उनमें न हाथी के समान बल था, न शेर के समान तेज दौंत और नाखून थे, न उनका शरीर गँडे के समान कठोर ढालों से सुरक्षित था और न वह गिरगिट की तरह रंग बदलकर आत्म-रक्षा कर सकता था। पर उसमें एक ऐसी सहयोगी बुद्धि और संगठन की प्रवृत्ति अवश्य थी, जिसका सहारा लेकर वह पशुओं पर विजय पा लेता था और अपनी रक्षा और वृद्धि में समर्थ होता था। पर उस समय भी किसी नियत घर, भोजन और वस्त्रों की स्थायी व्यवस्था न होने से मनुष्य समुदाय बनाकर बड़ी गुफाओं या घने पेड़ों में निवास करते थे। उस अवस्था में परिवार का निर्माण न होने से स्त्री-पुरुषों में पाये जाने वाले आजकल जैसे रिश्तों का अस्तित्व नहीं था और समूह की सब स्त्रियाँ सभी पुरुषों की पत्नियाँ समझी जाती थीं और उनसे उत्पन्न लड़के-लड़की भी समुदाय की संतान माने जाते थे। महाभारत में एक उपाख्यान आता है कि इस व्यवस्था की खराबियों को देखकर श्वेतकेतु नामक सामाजिक मुखिया ने विवाह प्रणाली की स्थापना की और तभी से वर्तमान कुटुंब-व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ।

इसमें संदेह नहीं कि विवाह-प्रथा ने मानव-समाज को सुसंगठित और विकसित बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है और इसके कारण मनुष्य बड़े-बड़े परिवारों में सम्मिलित होकर सहयोग की भावना को बहुत अधिक बढ़ाकर महत्त्वपूर्ण कार्यों का संपादन

कर सका है। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने विवाह को एक धर्म-कृत्य का रूप देकर घोषणा कि पति-पत्नी का संबंध सुनिश्चित और पवित्र माना जाए और वे जीवन-क्षेत्र में इस प्रकार एकात्म भाव से कार्य करें कि उनकी शक्ति एक और एक मिलाकर ग्यारह के बराबर हो जाए। आगे चलकर यह परिवार ही जाति का आधार बन गया और उन्हीं से राष्ट्रों की रचना हुई।

इस प्रकार विवाह का प्रचार होने पर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उसके रस्म-रिवाजों में कुछ अंतर तो अवश्य रहा, पर उसका मुख्य रूप यही रहा कि कन्या का पिता किसी सुयोग्य वर को देखकर, पुरोहित द्वारा कुछ धार्मिक कृत्य कराके अपनी कन्या को वर के लिए अर्पण कर देता था और साथ में उन्हें कुछ अन्न, वस्त्र, बर्तन आदि अपनी गृह-सामग्री में से देता था, जिससे उनको अपने निर्वाह की व्यवस्था बनाने में सुविधा हो। प्राचीन-स्मृतियों तथा पुराणों के उपाख्यानों में विवाह-प्रणाली का जो वर्णन मिलता है, उसमें कहीं विवाह के पहले दहेज की रकम तय करने, बड़ी-बड़ी बरात ले जाने, कई-कई दिन तक नाच-गान और दावतें होने का जिक्र नहीं। उनमें हवन करके देवताओं की साक्षी में वैवाहिक-प्रतिज्ञाओं के करने का विधान विस्तारपूर्वक अवश्य दिया गया है, पर तरह-तरह के चाल-चलन, नेग-जोग और खर्चीले आडंबरों का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता। अगर कुछ काव्यों और महाकाव्यों में बढ़ा-चढ़ाकर उनका वर्णन भी किया गया है तो वह पिछले कवियों की रचना हैं, जो उन्होंने अपने समय की परिस्थिति को देखकर तदनुसार गढ़ डाली है।

विवाह की अधिकांश रस्मों का सामयिक होना—इससे भी प्रकट है कि वे विभिन्न प्रदेशों और इलाका में अलग-अलग रूप में प्रचलित हैं। कहीं लड़की वाला लड़के वाले को दहेज में रुपया देता है और कहीं लड़के वाले को लड़की के मूल्य स्वरूप सैकड़ों या हजारों रुपया देना पड़ता है। कहीं पर चार-चार गोत्र बचाकर

विवाह संबंध निश्चित किये जाते हैं और कहीं उच्च कहलाने वाले ब्राह्मण भी अपनी छोटी-सी उपजाति में गुंजायश न होने के कारण मामा, फूफा की लडकियों से विवाह कर लेते हैं। मालाबार की तरफ के ब्राह्मणों में विवाह का बहुत-सा कृत्य वर के बजाय उसका मामा ही करता है। अनेक जातियों में विवाह के पहले लडकी का विधवा जैसा वेष बनाकर खूब शोक मना लिया जाता है, तो कहीं विवाह के पश्चात् ससुर बहू को गोदी में उठाकर ले जाता है। इस प्रकार समस्त हिंदू समाज में ऐसी अलग-अलग तरह की प्रथाएँ और परंपराएँ प्रचलित हैं, जो एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं और अपनी-अपनी जातियों और उपजातियों में माननीय तथा धर्मानुकूल मानी जाती हैं। इस कारण अगर कोई यह खयाल करे कि इस समय उनके यहाँ जो प्रथाएँ प्रचलित हैं, वे ही ईश्वरीय आदेश या 'वेद वाक्य' हैं, तो यह उसके अज्ञान का ही परिचायक होगा।

सबसे बड़ी खराबी—

इस समय विवाहों में जो सबसे बड़ी खराबी पैदा हो गई है, वह उसे अत्यंत खर्चीला बना देना है। विवाह एक हर्षोत्सव अवश्य है और उस अवसर पर दो आत्माओं और दो परिवारों में एक गहरा संबंध स्थापित होता है, जिससे आगे चलकर अनेक शुभ परिणाम उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उस समय मनुष्य का एकाकीपन मिटकर उसे एक जीवन-संगी भी मिलता है, जिससे सुख-दुःख, संपत्ति-विपत्ति में सहारा मिलने का पूरा भरोसा रहता है। इसलिए ऐसे अवसर पर दस-पाँच इष्ट-मित्रों को बुलाकर थोड़ा आमोद-प्रमोद मनाया जाए, तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। इसी प्रकार यदि वर-कन्या के अभिभावकों की तरफ से उन दोनों को कुछ उपहार दिये जाएँ तो भी उसे बुरा नहीं कहा जा सकता।

स्त्र-विधि के अनुसार पाणिग्रहण करने के साथ-साथ बहुत खुशी और मनोरंजन का कार्यक्रम बना लिया जाए, तो उसे जीवन की एक विशेष घटना के रूप में याद रखने का अवसर मिलता है। पर

जब ये बातें एक सनक या पागलपन का-सा रूप ग्रहण कर लेती हैं, तो वे हमारी आर्थिक स्थिति के लिए खतरनाक बन जाती हैं। यही कारण है कि आजकल लोग विवाहों से बड़े परेशान हैं और विशेषतः लड़कियों के विवाहों से तो भगवान् के कोप की तरह डरते रहते हैं। इस समय कुछ बड़े लोगों ने नई-नई तरह के खर्च बढ़ाकर विवाह प्रथा को ऐसा खर्चीला बना दिया है कि साधारण स्थिति के व्यक्ति का उसकी थोड़ी-बहुत नकल करने में ही दिवाला निकल जाता है और उसका कुपरिणाम उसको वर्षों तक सहन करना पड़ता है। इन प्रथाओं में भिन्न-भिन्न प्रांतों में बड़ा अंतर देखने में आता है, जैसे—पर्वतीय प्रांतों में प्रायः लड़के वाला लड़की वाले को एक अच्छी खासी रकम देता है, जिसमें से वह विवाह का खर्च करता है और कुछ बचा भी लेता है। पर हमारे तीन-चार हिंदी प्रांतों में—जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, पंजाब आदि की उच्च कहलाने वाली जातियों में अधिकतर लड़की वाले को ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है।

यह दशा पतन की राह है—

विवाहों में अपव्यय करने से एक नहीं अनेक प्रकार की बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ वर्षों से देश में जैसी महँगाई बढ़ रही है, उससे जीवन निर्वाह का व्यय पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है और हर तरह से आमदनी बढ़ाने पर भी साधारण लोगों की गुजर कठिनाई से होती है। ऐसी हालत में वे लड़कियों के विवाह के लिए हजारों रुपये की रकम कहाँ से लाएँ ? इसके लिए लोगों को बेईमानी, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि ऐसे उपायों का भी सहारा लेना पड़ता है, जिनको वे नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं और जिनको करने के लिए उनका आत्म-सम्मान गवाही नहीं देता। यही कारण है कि इस समय देश में नैतिकता का घोर पतन हो रहा है और सरकार तथा समाज

हितैषियों के लाख प्रयत्न करने पर भी इन दुर्गुणों में कमी नहीं हो रही है।

दूसरी बुराई है—कन्याओं की और स्त्रियों की भी बेकदरी। लड़की के विवाह में जब कोई व्यक्ति अधिक खर्च नहीं करता तो द्वार-द्वार पर घूमकर वर की तलाश करनी पड़ती है और लड़के वालों द्वारा असम्मान का व्यवहार सहन करना पड़ता है। वह जहाँ तक संभव हो अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूँढ़ना चाहता है, पर जब लेन-देन की बात चलती है और वह लड़के वालों का माँगा हुआ मूल्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, कम लेने के लिए उनकी खुशामद करता है, तो वह उसे दुर-दुराकर निकाल देते हैं। इस अपमान से उसे मर्मांतक चोट लगती है और कुछ समय बाद निराश होकर वह कन्या को ही सब अनर्थों की मूल समझने लगता है। निर्दोष कन्या भी अपने पिता की यह दुर्दशा देखकर महा दुःखी होती है और अनेक बार आत्महत्या करके, इस समस्या का अंत कर देती है। जिन कन्याओं का किसी तरह बुरे-भले घरों में विवाह हो जाता है, वे भी वहाँ तरह-तरह के उत्पीड़न सहन करती हैं। ससुराल वालों के ताने सुनना, सास-ननद की गालियाँ खाना, भोजन-वस्त्र की कमी रहना, घर के नीच कर्म कराये जाने तो साधारण बातें हैं। अधिक नृशंस अथवा अर्थ-पिशाच लोग तो उनके साथ मारने-पीटने, भूखों रखने, अन्य प्रकार के अत्याचार करने में भी संकोच नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका जीवन नारकीय कष्टों से पूर्ण हो जाता है और विवश होकर वे किसी तरह अपने प्राण दे देती हैं।

नारी जाति की हीन स्थिति का कारण—

इन वैवाहिक कुप्रथाओं के कारण हिंदू समाज में नारी का दर्जा बहुत घट गया है और उनका स्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है। यों वे फैशन, बनाव-शृंगार, आमोद-प्रमोद सब कुछ

करती हैं, पर उनकी स्थिति सदा अस्थिर रहती है और पति अथवा परिवार वालों की निगाह बदल जाने पर, वे तुरंत कौड़ी की तीन हो जाती हैं। इतना नहीं हिंदू-परिवारों में जन्मकाल से ही उसको भारस्वरूप एवं हेय समझा जाता है और उनके साथ अधिकांश घरों में पक्षपात का बर्ताव किया जाता है। खान-पान, वस्त्र, लाड़-दुलार में लड़कों की अपेक्षा उनको बहुत कम भाग मिलता है और पिता ही नहीं माता भी उसे 'रॉड, पत्थर' कहकर अपमानित करती रहती है और बिल्कुल छोटी अवस्था से ही उसके मन में यह बात जमा देती है कि उसकी लड़कों के साथ कोई समानता नहीं और उसे कभी उनके साथ किसी तरह की स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। बड़े होने पर लड़कों की शिक्षा-दीक्षा के लिए जो व्यवस्था और खर्च किया जाता है उसका चौथाई भी लड़की के लिए नहीं किया जाता, अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो लड़की को पढ़ाना-लिखाना या उसके विकास में कुछ खर्च करना व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि वे कहते हैं—“यह तो पराया धन है। इसे दूसरे के घर जाना है।” ऐसे लोग लड़की को एक बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में देखते हैं और रात-दिन यही मनाया करते हैं कि किसी प्रकार जल्दी से जल्दी इससे पीछा छूटे। यद्यपि अब पुराने समय की प्रत्यक्ष कन्या-वध की प्रथा तो नहीं रही है, पर यदि दुर्व्यवहार से या दैववश लड़की मर जाए तो मन से उसके लिए कोई दुःख नहीं करता और यही समझा जाता है कि चलो एक बड़े भार से छुट्टी मिल गई !

नारी जाति की इस उपेक्षा और उनके साथ हीनता का व्यवहार करने का कुपरिणाम समस्त जाति को भोगना पड़ता है। इस प्रकार का व्यवहार निरंतर तथा सर्वत्र देखते रहने से स्त्री भी अपने को हीन-निकृष्ट समझने लगती है और उसके विचार, आचार-व्यवहार एवं मनोवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है। उसकी त्रुटियों, दुर्गुणों का प्रभाव उसकी संतान पर भी पड़ता है और वह

अपने घटिया स्तर के अनुरूप ही उनका पालन-पोषण और निर्माण कर सकती है। इससे उसके लड़के भी आगे चलकर घटिया नागरिक ही बनते हैं, उनमें अनेक दोषों का स्थायी रूप से समावेश हो जाता है और वे अपनी तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होते हैं। इन सब बुराइयों की शृंखला का मूल बहुत कुछ विवाह संबंधी कुप्रथा ही है। अगर हम उसे इतना खर्चीला और आडंबरपूर्ण न बना देते कि जिसके कारण वह एक साधारण गृहस्थ के लिए भयंकर अभिशाप सिद्ध होकर, उसकी आर्थिक व्यवस्था को ही चौपट कर डालती, तो लड़कियों के प्रति मनुष्यों का दृष्टिकोण इतना ओछा न हो जाता। तब लड़कियों को भी साधारण मानवीय अधिकार प्राप्त होते, उनके साथ उपेक्षा न बरती जाती और इससे उनकी मनोभूमि का उचित रीति से निर्माण हुआ होता। शारीरिक दृष्टि से भी उनकी ठीक तरह से देख-भाल की जाती, क्योंकि अगर किसी जाति की माताएँ आमतौर से शरीर से निर्बल और तरह-तरह की शारीरिक व्याधियों में ग्रसित होंगी, तो उनकी संतानें किस तरह शारीरिक शक्ति और पौरुष संपन्न तथा जीवन-संघर्ष में पराक्रमी सिद्ध हो सकेंगे ?

अपव्यय का कारण मूर्खता—

इस वैवाहिक अपव्यय के कारणों पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, तो अपनी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं जान पड़ता। लोगों ने इस प्रकार विवाहों में रुपया फूँकने को 'इज्जत की बात' मान लिया है और उनकी यह धारणा बन गई है कि ऐसे अवसर पर, जो जितना अधिक खर्च करता है, रुपये को खुले हाथों फेंकता है, वह उतना ही 'बड़ा' या 'अमीर' समझा जाता है और सर्व साधारण उसका उसी हिसाब से सम्मान करते हैं। इस प्रकार की मान्यता को मूर्खता न कहा जाए तो और क्या कहा जाए ? अगर धन को इस प्रकार खर्च करने से अमीरी मान ली जाए तो बाप की कमाई को उड़ाने वाले सभी कपूत लड़के उस

सम्मान के अधिकारी बन सकते थे। पर हम जानते हैं कि लोग उनकी बुराई ही करते हैं और आवारा बतलाते हैं। इसी प्रकार विवाहों में अपनी हैसियत से अधिक खर्च करके, दिवालिया या कर्जदार बन जाने वाले को न कोई अमीर समझता है, न उसकी कोई इज्जत करता है, बल्कि सब उसे शेखीखोर और बेवकूफ ही बतलाते हैं। यों किसी के मुँह पर कोई ऐसी बातें नहीं कहता, पर मन में सब उसकी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और समय आने पर वैसा ही व्यवहार करते हैं।

बहुत-से लोग इस प्रकार का अतिरिक्त खर्च इसलिए करते हैं कि समाज में वैसी ही परंपरा प्रचलित है और घर के बड़े-बड़े तथा जाति के मुखिया उसी का पालन करने की सलाह देते हैं। वे समझते हैं कि यदि दूसरों की तरह दिल खोलकर खर्च न किया जायेगा और शान-शौकत न दिखाई जायेगी, तो लोग तुमको छोटा या कंजूस समझने लगेंगे। पर ये भी सब दिखावटी चीजें हैं, जिनको उथली बुद्धि के लोग ही महत्त्व देते हैं। हमको उचित है कि बड़े- बूढ़ों तथा मुखियाओं का उनकी आयु और पदवी के अनुसार आदर करते रहें, पर इस प्रकार के मामलों में जिनका असर समस्त परिवार के भविष्य पर पड़ता है, उनकी बातों को आँखें बंद करके न मान लें। हमको अधिक ध्यान धार्मिक संस्कार की पूर्णता और सज्जनोचित मान-मर्यादा का ही रखना चाहिए, केवल अधिक रुपया खर्च करने से महत्त्व मानना व्यर्थ है। जनता तो भेड़चाल की ही अनुयायी होती है। जिस मार्ग पर ज्यादा आदमी चलने लगे, उसी को प्रशंसनीय और बड़प्पन का चिह्न बतलाने लगती है। आज विवाहों में तरह-तरह के फिजूलखर्ची के काम किए जाते हैं तो लोग उनकी तारीफ करते हैं, और यदि बहुत कम खर्च के आदर्श विवाहों का प्रचलन हो जायेगा, तो उन्हीं को प्रशंसनीय बतलाया जाने लगेगा।

विवाहों में ज्यादा ठाट-खाट और शान दिखलाने की चेष्टा सब दृष्टियों से हानिकारक और समाज के लिए विघातक है। यह

एक ऐसा विष वृक्ष है, जिससे सैकड़ों अन्य बुराइयों के फल उत्पन्न होते हैं। इससे व्यक्तियों को हृद दर्जे की परेशानी उठानी पड़ती है, तरह-तरह की अनैतिकता के कार्य करने को विवश होना पड़ता है, नारी जाति का अधःपतन होता है और उसके फलस्वरूप समाज की भावी पीढ़ी हीन और निर्बल चरित्र की बनती है। यह हर तरह घाटे का सौदा है और अपनी रकम खर्च करके अपने को ही मूर्ख बनाना है। इस अपव्यय को शीघ्र से शीघ्र बंद करने में ही समाज का कल्याण है।



www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org

विवाह-प्रथा को समयानुकूल बनाया जाए

हिंदू-समाज के विवाहों में जो विकृतियाँ आ गई हैं, उनका निराकरण करके आदर्श विवाहों का प्रचलन जब तक न होगा, तब तक न तो व्यक्ति का कल्याण संभव है और न समष्टि का। समाज का बहुत कुछ आधार विवाह-संस्था पर ही है। उसके दूषित हो जाने से परिवार में खराबी आ जाती है और परिवारों के बिगड़ने से जाति की प्रगति में रोड़ा अटक जाता है। यह दृश्य आजकल हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है। यदि यह कहा जाए कि आजकल सौ विवाहों में से ८० किसी न किसी दृष्टि से दूषित होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उन सब लोगों का जीवन तरह-तरह के कष्टों और असंतोष से व्याप्त हो जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि हम इस स्थिति का सुधार करके अपनी जाति को स्वस्थ और सशक्त बनाना चाहते हैं, तो विवाहों में घुसी दूषित प्रथाओं को दूर करके, उनके सही रूप की पुनःस्थापना करनी चाहिए।

आयु और स्वास्थ्य का निरीक्षण—

सबसे पहली आवश्यक बात वर-कन्या के स्वास्थ्य की उत्तमता और उनकी आयु का अनुपात शरीरशास्त्र के सिद्धांतानुसार होना है। आजकल लाखों विवाह छोटी अवस्था में कर दिये जाते हैं, जिससे वर-कन्या के शरीर परिपक्व होने से पहले ही वे दांपत्य जीवन बिताने लगते हैं और इससे उनके स्वास्थ्य सदा के लिए निर्बल हो जाते हैं। इसके सिवाय यदि लड़की नई उम्र की और वर अधेड़ या बूढ़ा हुआ, जैसा यहाँ दूसरा विवाह करते समय हुआ करता है, तो भी बेमेल जोड़ी होने से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और मन के ठीक तरह न मिलने से भी कई अन्य तरह की हानियाँ होती हैं और लड़कियों को प्रायः कई प्रकार के योनि-रोग भी लग जाते हैं।

वर-कन्या निरोग और स्वस्थ हों इस बात पर अब बहुत ध्यान दिया जाता है और कई देशों में तो वर-कन्या के स्वास्थ्य की डॉक्टरी जाँच किये जाने का भी प्रचलन हो रहा है। यह बात हमको चाहे भारतवर्ष में विवाह प्रथा की वर्तमान दुरवस्था देखकर नई जान पड़े, पर स्मृतियों में इस बात को जोर देकर लिखा गया है कि वर-पक्ष कन्या के स्वास्थ्य तथा शील-सदाचार की जाँच करे और इसी प्रकार कन्यापक्ष भी वर के संबंध में इन बातों का ठीक ठीक पता लगा ले। मनुस्मृति के 'विवाह-प्रकरण' में लिखा है—

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमाशर्शसम् ।

क्षय्यामयाव्यपस्मारिशिवत्रि कुष्ठिकुलानि च ॥

(मनु०-३-७)

नोद्धहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नातिलोमां न वाघाटां न पिगलाम् ॥

(मनु०-३-८)

अर्थात्—जो कुल क्रियाहीन हो, जिसमें लड़कियाँ पैदा होती हों, विद्या से हीन हो, बहुत अधिक रोग हों, बवासीर, क्षय, मंदाग्नि, अपस्मार अर्थात् मिरगी, श्वेतकुष्ठ, गलितकुष्ठ आदि रोग वाले कुलों की कन्याओं को छोड़ दें। इसी प्रकार भूरे बालों की, अधिक अंग वाली, सदा रोगी रहे, जिसके बहुत रोम हो या बिल्कुल रोम न हो, कंजी आँखों वाली कन्या से भी विवाह न करे।”

अन्य स्मृतियों में इसी प्रकार से अन्य बातों की जाँच करने को भी लिखा है। इसका आशय यही है कि विवाह जैसे आजीवन बंधन में बँधते समय इस बात का भली प्रकार निश्चय कर लेना चाहिए कि जिसके साथ हमको समस्त जीवन व्यतीत करना है, वह इस योग्य है भी कि नहीं ! इसके लिए अभिभावकों का धर्म है कि समान गुण, कर्म, स्वभाव के जोड़े ढूँढ़ने का प्रयत्न करें। पर खेद है कि इस युग में धन का महत्त्व लोगों की दृष्टि में इतना बढ़ गया है कि उसके सामने लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं और वर-कन्या के गुण-दोषों का मिलान न करके, धन का मिलान करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धनी माँ-बापों की अयोग्य कन्याएँ सुयोग्य वरों को ब्याह दी जाती हैं और गरीबों की सब तरह से सद्गुणी और सुशील कन्याओं को निकम्मे अथवा दूषित आचरण के लोगों के गले मढ़ दिया जाता है। इसी प्रकार दहेज की व्यवस्था न होने से जब लड़कियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो लाचार होकर, ऐसे बड़ी उम्र के व्यक्तियों के साथ विवाह कर देना पड़ता है, जिनसे उनका मेल नहीं मिल सकता और स्त्री-पुरुष दोनों को असंतोष का जीवन बिताना पड़ता है। ये सब कुपरिणाम विवाह प्रथा में कई तरह की गलत मान्यताएँ घुस जाने और खासकर विवाह का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ही निकलते हैं—

विधवाओं के विवाह का प्रश्न—

हम विधवा-विवाह को बहुत अधिक महत्त्व देने के पक्ष में नहीं हैं, जब हम वर्तमान परिस्थिति में जनसंख्या की अति वृद्धि के कारण कुमार और कुमारियों के विवाह को भी अनिवार्य नहीं मानते और विवाह होने पर संतान उत्पन्न न करने की सलाह देते हैं, तो विधवाओं के विवाह पर जोर कैसे दे सकते हैं ? फिर भी न्याय की दृष्टि से जो विधवाएँ विवाह करना चाहती हों, तो उनके लिए वे ही अधिकार मिलने चाहिए, जो कि पुरुषों को प्राप्त हैं। इसका एक सहज तरीका यह हो सकता है कि जो विधुर पुरुष विवाह करना चाहें, वे विधवाओं से ही करें। इसमें कुछ लोग तो यह भी संशोधन करने लगते हैं कि जिन विधुरों के पहली संतानें मौजूद हैं, वे संतान युक्त विधवाओं से विवाह और निःसंतान विधुर बिना संतान वाली विधवाओं से विवाह करें। कुछ भी हो विवाह के संबंध में नर और नारी दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए और वर्तमान असमानताओं का यथासंभव शीघ्र अंत होना चाहिए। हमारा कहना यह नहीं कि विधवा विवाह महत्त्व की बात है, जिससे उसे करना जरूरी है। हम भी शास्त्रों के इस कथन से सहमत हैं, जो विधवाएँ पति के मरने पर सदाचारिणी रहकर, पूर्ण संयम का पालन करती हैं—वे प्रशंसनीय और वंदनीय हैं, पर साथ ही जो लोग ऐसे विवाहों को शास्त्रों अथवा प्राचीनता के नाम पर निषिद्ध या पाप कर्म बतलाते हैं, वे भी गलती पर हैं। इस विषय में नर-नारी दोनों के लिए एक ही न्याय विधि से काम लेना उचित है।

समयानुकूल नये परिवर्तन—

इस समय हिंदू-जाति की विवाह समस्या ऐसी उलझनपूर्ण बन गयी है कि उसे सुलझाने के लिए स्वतंत्र प्रकृति के विचार-शील नये-नये सुझाव पेश कर रहे हैं। जैसे एक सज्जन यह कह रहे थे कि आजकल दहेज के प्रश्न पर लड़कियों का विवाह टलते-टलते वे काफी बड़ी हो जाती हैं, कभी-कभी तो २८-३० वर्ष से भी अधिक तक जा पहुँचती हैं। तब उनकी विवाह-समस्या और भी कठिन हो जाती है

कि इतनी उम्र के कुमार लड़के कहाँ से प्राप्त किये जाएँ ? ऐसी अवस्था में यदि उनसे कुछ छोटे वरों के साथ उनका विवाह कर दिया जाए तो क्या आपत्ति है ? आमतौर से हमारे देश में वर, वधू से चार-छह वर्ष बड़ा ही ढूँढा जाता है। पर यदि कभी वधू, वर की अपेक्षा दो-चार वर्ष बड़ी भी हो तो क्या हानि है ? इसी प्रकार इन दिनों आमतौर पर यह मान्यता बनी हुई है कि वर-कन्या की अपेक्षा अधिक सुशिक्षित और योग्य ढूँढा जाता है। पर यदि जो लड़की विवाह न होने के कारण पढ़ने लगी है और वह कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ विवाह कर लें, तो इसमें भी क्या हानि हो सकती है ? यदि आमतौर से पत्नियाँ पति के आश्रित और उससे दबी हुई रहती हैं, तो यदि कुछ पत्नियाँ भी पतियों को आश्रय देने वाली और उन पर अपना दबदबा रखने वाली हो जाएँ, तो उसमें क्या आफत आ जाएगी या क्या पाप लग जायेगा ? बात यह है कि ये सब रस्में तो सामयिक हैं, अगर देश-काल के बदल जाने से उनमें भी अंतर कर दिया जाए तो यह कोई बुरी बात नहीं है। अब भी भारत के ही कई दूरवर्ती क्षेत्रों में जैसे—द्रावणकोर, कुर्ग, आसाम आदि में, बहुसंख्यक हिंदू स्त्रियाँ घर की संपत्ति पर पूरा अधिकार रखती हैं और बड़े-बड़े कारोबार स्वयं चलाती हैं, पुरुष की स्थिति आश्रित जैसी ही रहती है, पर इसके कारण वहाँ किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है और वहाँ निवासी सुखी जीवन बिता रहे हैं।

छुटाई-बड़ाई का भ्रम दूर किया जाए—

कुछ समय से समाज में एक मान्यता यह प्रचलित हो गई है कि लड़की वाले का दर्जा लड़के वाले की अपेक्षा कम होता है और उसे सदा प्रसन्न रखने उसकी खुशामद-दरामद करते रहने की आवश्यकता है। जो लोग अपनी हैसियत से बड़े घरों में लड़की देना चाहते हैं और उनसे दहेज की रकम कम करने की प्रार्थना करते फिरते हैं, वे ऐसा आचरण भी करते हैं, पर हमको तो इन मनोवृत्ति में कोई सार या वास्तविकता नजर नहीं आती। विवाह एक

ऐसा कार्य है कि जिसकी दोनों पक्षों को आवश्यकता होती है, दोनों का समान हित होता है। ऐसी दशा में एक को छोटा समझा जाए और दूसरे को बड़ा यह बिल्कुल बेतुकी बात है।

अगर गंभीरता से विचार किया जाए, तो इस कार्य में बड़प्पन लड़की वाले का ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने बहुत धन और श्रम द्वारा पाली-पोसी कन्या को निःस्वार्थ भाव से दूसरे को देता है तो इसमें छोटेपन की क्या बात है ? अब भी पहाड़ों में इसी तथ्य के आधार पर वर से लड़की का मूल्य लिया जाता है और यहाँ भी किसी कारणवश जिनका विवाह होने में कठिनाई होती है, वे किसी रूप में कन्या पक्ष को कुछ देकर विवाह करते हैं। यदि ऐसा ही तरीका लड़की वाले अख्तियार कर लें तो फिर लड़के वाले का दर्जा कैसा हो जाए ? वास्तव में ये सब बातें गलत और मूर्खतापूर्ण एवं नीचे दर्जे के स्वार्थ की हैं। विवाह संबंध में दोनों पक्षों का दर्जा समान है और उनको परस्पर वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की कृत्रिम छुटाई-बड़ाई की कल्पना करके, किसी को छोटा बताना, अपमानित करना, उसके सामने अनुचित माँगें रखना, नीचता का कार्य है। ऐसा करने से हम स्वयं अपने को हीन या निकृष्ट सिद्ध करते हैं और इसका परिणाम हमारे लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। क्रिया की प्रतिक्रिया होना प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। अगर लड़के या उनके अभिभावक कन्या वाले के साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार करेंगे, तो समय आ सकता है कि वे भी उसका बदला चुकाने लेंगे। अब भी ऐसे समाचार आते रहते हैं कि दहेज के लोभी घर को कन्याओं ने स्वयं फटकार कर निकाल दिया या बहुत रूपवती बहू तलाश करने वालों को 'खुद अपनी शकल दर्पण में देखने' की सलाह देकर अस्वीकृत कर दिया गया।

विवाह एक धार्मिक आयोजन है—

इस दूषित वातावरण को सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपने प्राचीन आदर्श के अनुसार विवाह को एक धार्मिक

संस्कार समझें। उसके अनुसार देवताओं की साक्षी में दो आत्माओं को एक सूत्र में बाँधा जाता है और यह प्रतिज्ञा की जाती है कि हम एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहते हुए संपद-विपद में एक-दूसरे के साथी बने रहेंगे। इस अवसर पर जिन वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उनका आशय भी यही है कि वर-कन्या को एक ऐसे पवित्र सूत्र में बाँधा जाए, जिससे वे धर्म कृत्यों का पालन करते हुए मानव-जन्म को सफल बना सकें। उनमें कोई ऐसी बात नहीं बतलाई है, जिससे विवाहों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन और पचासों तरह के रस्म-रिवाजों का समर्थन हो सके। पर आजकल विवाह के धार्मिक विधान पर ध्यान न देकर, इन रस्मों को ही सब कुछ समझ लिया गया है। विवाह कराने को तो ऐसे पंडित नामधारी को बैठा दिया जाता है, जो न मंत्रों का शुद्ध आचरण कर सकता है, न उनका अर्थ समझता है। तब वह उनका आशय और महत्त्व वर-कन्या को क्या समझायेगा ? दूसरी तरफ रस्मों का कार्य जिन बूढ़ी स्त्रियों अथवा पुराने पंच-चौधरियों के मतानुसार किया जाता है, जरा-सी भी त्रुटि हो जाए, तो वे ऐसा शोर मचाते हैं कि मानो सब विवाह ही भ्रष्ट और निरर्थक हो गया। इससे लोगों की धर्म-नियमों संबंधी अज्ञानता तथा रूढ़िप्रियता प्रकट होती है, जिसका बदला जाना आवश्यक है। ये रस्म-रिवाजें हर जाति में और हर प्रांत में अलग-अलग पाई जाती हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत जान पड़ती हैं। इनके कारण हिंदू विवाह की एकरूपता नष्ट हो गयी है और अन्य लोगों की दृष्टि में उसका महत्त्व जाता रहा है। ईसाइयों के विवाह संसार भर में गिरजाघर के भीतर पादरी द्वारा एक ही विधान से होते हैं और मुसलमानों का विवाह भी सर्वत्र काजी द्वारा एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है। इससे उनका पुराना महत्त्व कायम है। हमको भी 'सैकड़ों तरह के रस्म-रिवाजों और अलन-चलन का अंत करके विवाह कार्य कराना चाहिए, जिससे विभिन्नता का अंत होकर हिंदू-विवाह की उत्कृष्टता में संसार के सामने आये।

विवाहों का वातावरण पवित्र बनाया जाए—

विवाहों को धार्मिक कृत्य का रूप देने के लिए यह भी आवश्यक है कि उस अवसर पर सब प्रकार के मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, गंदे मजाक, असभ्य वार्तालाप, तामसी भोजन आदि से बचकर, उसे सभ्य, शिष्ट, प्रसन्नतादायक कार्यक्रम के रूप में पूर्ण किया जाए। कितनी ही जातियों में बराती शराब, मांस आदि के व्यवहार पर बहुत जोर देते हैं, कहीं भाँग छानने की धूम रहती है, जिससे अधिक भोजन किया जा सके, कहीं दावत के पदार्थों में कागज, पत्ते, रुई आदि की नकली चीजें बनाकर दुल्हा के सभी साथियों को बेवकूफ बनाने की चेष्टा की जाती है, कपड़ों पर हल्दी, रंग आदि के छापे लगाकर गंदा कर दिया जाता है। ये सब बातें अनेक बार झगड़े-फसाद का कारण बन जाती हैं और बहुत-से लोग अप्रसन्न हो जाते हैं। इनसे वैवाहिक वातावरण दूषित हो जाता है और उसके वास्तविक महत्त्व को भूलकर, उसे एक मनोरंजन या कुछ आर्थिक लाभ उठाने का जरिया समझ लिया जाता है।

अब समय आ गया है कि विवाह के सच्चे स्वरूप को समझकर, उसे एक मुख्य धार्मिक और सामाजिक प्रक्रिया की भाँति संपन्न किया जाए। समाज का बहुत कुछ सुधार और बिगाड़ विवाह संस्था की अच्छाई-बुराई पर अवलंबित है। समाज को सुदृढ़ और स्थायी रूप देने का श्रेय इसको ही है। इसलिये वैवाहिक कुरीतियों को मिटाकर सभ्यता, शिष्टता और सज्जनता के अनुरूप बनाने की चेष्टा की जाए। आज भी इन बातों का दिखावा किया जाता है, पर उसके भीतर असलियत नहीं होती। उसकी आड़ में स्वार्थ और दुरभिसंधियों का ही प्राबल्य होता है। इसको मिटाकर विवाह को धर्मानुमोदित संस्कार बनाने से ही हमारा कल्याण हो सकता है।



बाल-विवाह का भयंकर राक्षस

प्राचीन कथा-कहानियों की पुस्तकों में प्रायः ऐसे राक्षसों का वर्णन पढ़ते रहते हैं, जो मनुष्यों को मारकर खा जाते थे। वे ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उन मनुष्यों से उनकी शत्रुता अथवा किसी प्रकार की लड़ाई होती थी, वरन् वे स्वभाव से ही क्रूर और निर्दयी होते थे और सर्वथा निर्दोष व्यक्तियों को भी अपना शिकार बनाते रहना उनका नित्य कर्म होता था।

ऐसे राक्षस चाहे उन कहानी लेखकों के कल्पनाप्रसूत ही क्यों न हों, पर वर्तमान समय में भी हम ऐसी अनेक प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं को देखते हैं, जो उन राक्षसों से अधिक भयंकर और निर्दोष प्राणियों का खून पीने वाली हैं। उन राक्षसों को तो प्रतिदिन एकाध मनुष्य को ही भक्षण करने वाला बतलाया जाता है, पर ये कुप्रथाओं और अन्य परंपराओं के राक्षस अनगिनत मनुष्यों के तन, मन का शोषण करके उदरस्थ करते रहते हैं।

हिंदू-समाज में बाल-विवाह की प्रथा ने जो भयंकर रूप धारण कर रखा है, उससे अभी तक करोड़ों निर्दोष बालिकाओं का प्राणांत हो चुका है और होता रहता है। यह सत्य है कि शिक्षा-प्रचार के परिणामस्वरूप कुछ अग्रगामी, प्रगतिशील जातियों में उसका ह्रास हो गया है, पर अब भी ऐसे अनेक पिछड़े हुए प्रदेश और कोटि-कोटि नर-नारी मौजूद हैं, जो इनके फंदे में फँसे हुए हैं और मूढ़तावश अपनी संतान का सर्वनाश अपने हाथों करते रहते हैं।

यह प्रथा कब और क्यों प्रचलित हुई ? यह तो हम नहीं कह सकते, पर गत सौ-पचास वर्षों में इसके विरुद्ध जो आवाज उठायी जा रही है तथा समाज-सुधारक इसे मिटाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे इसकी भयंकरताओं का परिचय हमें अवश्य मिल रहा है। न जाने किस अशुभ मुहूर्त में यहाँ का कोई पंडित "अष्टवर्षा भवेत्

गौरी" वाला श्लोक गढ़कर लिख गया कि जिसने उच्च और सभ्य कहलाने वाली जातियों में भी अबोध और अविकसित शरीर की बच्चियों के विवाह का मार्ग खोल दिया और उनकी गुड़ियों से खेलने की आयु में ही पत्नी और माता बनने को विवश कर दिया। बाल-विवाह के कुपरिणामों और दांपत्य-जीवन के सर्वथा अनुपयुक्त छोटी लड़कियों के कष्टों को देखकर, जब कुछ सुधारकों ने इस संबंध में आंदोलन उठाया और अनेक सभा-समाजों में प्रस्ताव पास करके, तत्कालीन सरकार से अनुरोध किया कि वह इस संबंध की जाँच कराएँ, तो उसने इस कार्य के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी ने अनेक गणमान्य पुरुषों तथा चिकित्सकों की गवाहियाँ लेकर जिन तथ्यों का पता लगाया, उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

(१) कलकत्ता के महान् समाज-सेवक तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री पी० सी० राय से जब यह पूछा गया कि "क्या उन्हें मालूम है कि १३-१४ वर्ष की लड़कियाँ गर्भवती होती हैं और उसके दुष्परिणामों से बहुत दुःख उठाती हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया—"हाँ, इसे तो सभी जानते हैं। यह बात इतनी कम नहीं कि मैं दो-एक मामलों को बताऊँ। मैंने शर्म और भय से ऐसी छोटी लड़कियों को माता होते देखा है।"

(२) स्त्रियों के लिए विशेष रूप से स्थापित दिल्ली के लेडी हार्डिज मेडिकल कालेज की महिला प्रिंसिपल ने कहा—"मैंने १२ से १६ वर्ष के बीच की लगभग १००० हिंदू बालिकाओं को प्रसवावस्था में देखा है। उसके दुष्परिणामों के विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। अनेक को क्षय आदि रोग हो जाते हैं, हड्डियों के नर्म हो जाने के कारण मुझे लड़कियों के पेट चीरकर बच्चे निकालने पड़े। पहले प्रसव के बाद ही लड़कियाँ १०-५ वर्ष अधिक आयु की जान पड़ने लगती हैं और उनके बच्चे छोटे-से और अस्वस्थ रहते हैं।"

(३) लखनऊ के डॉ० ई० ए० डगलस ने कहा—“मैंने बारह वर्ष की एक ऐसी लड़की देखी, जिसका गुप्त अंग बुरी तरह घायल हो गया था और मन की दशा से तो बिल्कुल पागल-सी हो गयी थी। उसकी बहिन उसे जबर्दस्ती उसके पति के घर से निकालकर लाई थी। जब वह अस्पताल में आई तो उसके गुप्त अंग में कीड़े पड़ चुके थे और उसे सुजाक की बीमारी हो चुकी थी। पर कुछ समय बाद उसके पति ने उसे अपने पास रखने के लिए मुकदमा चलाया और वह जीत गया।”

(४) कलकत्ता की डॉ० एडिथ घोष ने बतलाया कि “मैंने एक २२ वर्ष की स्त्री को आठवीं बार गर्भवती होते देखा। इसके पहले मद्रास की एक २१ वर्ष की महिला का सातवाँ बच्चा होते देखा था। उसने कहा मेरा मर जाना अच्छा है, मेरे हर साल बच्चा होता है। कुछ समय बाद ही वह दुर्बलता से मर गई। ऐसी स्त्रियों की शारीरिक दशा से मानसिक दशा अधिक बिगड़ती है। कलकत्ता में एक अमीर ७५ वर्ष के बुढ़े को एक तेरह वर्ष की लड़की ब्याही थी। उसने पहले भी दो-तीन विवाह किये थे, परंतु वे स्त्रियाँ विवाह के कुछ दिन बाद ही मर गईं।

(५) मद्रास की सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी से जब पूछा गया कि “क्या आप कह सकती हैं कि ब्राह्मणों में १५ वर्ष की आयु से पहले लड़की से सहवास किया जाता है” तो उन्होंने उत्तर दिया कि “६६ प्रतिशत लड़कियों को यही होता है। १४ वर्ष से कम उम्र की भी लाखों लड़कियाँ पत्नी बनाकर सहवास के लिए विवश की जाती हैं। लड़कियों को १०-११ वर्ष की आयु में ही शादी करके, ससुराल भेज दिया जाता है। वे बेचारी लड़कपन तो जानती ही नहीं। सासँ इनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, मानो वे पूरी आयु की स्त्रियाँ हों। उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता है। इससे गर्भाशय में खराबी हो जाती है और दूसरी तकलीफें भी हो जाती हैं। मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जिसके साथ ११ वर्ष की आयु में सहवास

किया गया था। उसे प्रातःकाल ५ बजे से १० बजे रात तक घर का काम करना पड़ता था। वह चार बार अस्पताल में आई, पर उसका पति पूरा इलाज हुए बिना ही उसे वहाँ से निकाल ले जाता था।”

इस प्रकार की सैकड़ों गवाहियाँ और प्रत्यक्ष प्रमाण एकत्रित करके सरकारी कमेटी के अध्यक्ष श्री जोशी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसके अंत में उन्होंने लिखा था—

“बाल्यावस्था में मातृत्व बहुत बड़ी बुराई है। इसके कारण हजारों माताओं और शिशुओं की मृत्यु होती है। अनेक लड़कियों का स्वास्थ्य जन्म भर के लिए बिगड़ जाता है और इस प्रकार पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य नष्ट होता है। हमें कानून द्वारा बंद की गई सती-प्रथा से बाल्यावस्था के मातृत्व की तुलना करनी चाहिए। सती तो कभी-कभी और कम ही होती थीं। उसके कुछ व्यक्तिगत उदाहरण ही ध्यान आकर्षित करते थे। परंतु बाल्यावस्था का मातृत्व तो चारों ओर दिखाई पड़ता है। यह इतना विस्तृत है कि समाज के सारे ढाँचे पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर स्त्री जीवित रहती है, तो तीस वर्ष बाद ही बुढ़िया हो जाती है। उसका सारा जीवन दुःखमय बन जाता है, इस कुप्रथा की भेंट चढ़ जाता है। कुप्रथा का प्रभाव इतना धीरे-धीरे होता है कि लोग समाज पर इसके दूषित प्रभावों के विषय में सोचते तक नहीं। अगर सती-प्रथा को रोकने के लिए कानून उचित था तो मनुष्यता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून और भी उचित है।”

इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर ही विदेशियों को हिंदू समाज की बदनामी करने का मौका मिलता है। मेयो की लिखी ‘मदर इंडिया’ की किसी समय बड़ी चर्चा हुई थी और उसकी निंदा करते हुए भी भारतीय विद्वानों को उसके मूल तथ्यों को सही मानना पड़ा था। यह हमारे लिए लज्जा का विषय है। छोटी-सी बच्ची जिसे वधू कहा जाता है, वर के माता-पिता की गृहस्थी में ही

शामिल कर ली जाती है। वहाँ उसकी स्थिति एकदम अपनी सास की नौकरानी-सी हो जाती है। सास की भृकुटी सदा तनी रहती है। यदि दुर्भाग्य से 'बच्ची' को बच्चे पैदा करने में देर लगे या उसके लड़कियाँ ही होने लगे, तब तो बूढ़ी सास की जीभ कटार हो जाती है। वह आये दिन नयी बहू लाने की धमकियाँ दे-देकर उस बेचारी के जीवन को अंधकारमय बना देती है।" कितने ही राजाओं के संबंध में ऐसी घटनाएँ सुनी गई हैं कि जब उनकी तबियत किसी अल्प-वयस्क लड़की पर आ गई, तो उन्होंने उसे राजी से या जबर्दस्ती उपभोग्य वस्तु बना लिया। ऐसी लड़कियों में से कितनी ही का असमय में प्राणांत भी हो जाता था, पर दूषित सामाजिक नियमों के कारण इसमें रोक-टोक तो दूर कोई उनके कार्य की निंदा करने का भी साहस नहीं करता था।

इस कलियुग ने हिंदू-समाज का कहाँ तक पतन किया है ? इसका कुछ आभास जन-गणना की रिपोर्टों की खोज करने से मिलता है। सन् १९३१ की रिपोर्ट में बाल-वधुओं और बाल-विधवाओं की संख्या इस प्रकार बतलाई गई थी—

	वधू	विधवायें
१ वर्ष तक की आयु की	४४०८२	१६१५
१ से ५ वर्ष तक की	७५७७७०	२६३६५
५ से १० वर्ष तक की	४२००५३४	१५४८२
१० से १५ वर्ष तक की	७२६६२०८	१८५३३६

इस प्रकार १९३१ में १५ वर्ष से कम आयु की १,२२,७१,४६४ बालिकाएँ विवाहित हो चुकी थीं और ३,२१,७०१ विधवा भी हो चुकी थीं। अब पाठक ही विचार करें कि यदि ५ वर्ष 'से भी कम आयु की विधवाओं का पुनर्विवाह न किया गया तो वैधव्य-जीवन को क्या समझ पाएगी और किस प्रकार सदाचरण का जीवन व्यतीत कर सकेंगी ?

इस कुप्रथा को मिटाने के लिए समाज-हितैषी पुरुषों ने बहुत पहले आवाज बुलंद की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने विवाह की आयु लड़कियों के लिए १८ वर्ष और पुरुषों की २५ वर्ष घोषित की थी। उनका कहना था कि वेदों में कहीं छोटी आयु के वर-कन्या के विवाह का संकेत नहीं मिलता और स्मृतियों में भी ब्रह्मचर्य आश्रम की कम से कम अवधि २५ वर्ष बतलाई है। इसी अनुपात से लड़कियों को भी १८ वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रहने का नियम बतलाया गया है। ऐसी दशा में ६-१० वर्ष की आयु में विवाह करना शास्त्र विरुद्ध मानना चाहिए। ब्रह्म समाज आदि संस्थानों ने भी ऐसा ही प्रचार किया। यद्यपि सरकार की भी इससे सहानुभूति थी। पर प्रजा में असंतोष फैलने तथा आवश्यक विरोध भड़कने के भय से उन्होंने इसमें शीघ्र ही हस्तक्षेप नहीं किया।

तो भी कितने ही समाज-सुधारक इस बात के लिए प्रयत्न करते रहे कि पत्नी से सहवास की आयु जो १८६० के कानून में कम से कम दस वर्ष की नियत की गई थी, बढ़ाकर १४ वर्ष कर दी जाए। पर अनेकों दकियानूसी विचारों के लोग इनका विरोध करते रहे, जिससे कोई प्रभावशाली प्रस्ताव पास न हो सका। तब सन् १६२८ में श्री हरविलास शारदा ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाकर १४ वर्ष करने को कहा गया था। इस पर देशवासियों का अभिमत जानने को सर मोरो पंत जोशी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसने एक वर्ष में समस्त भारत का दौरा करके ४०० गवाहों की गवाहियाँ लीं और बाल-विवाह की बुराइयों को प्रकट करते हुए प्रस्ताव को पास करने की सिफारिश की और तब १६२६ में यह पास होकर कानून बन गया।

पर कानून पास हो जाने से ही क्या होता है, जब तक समाज को स्वयं उसमें रुचि न हो। इसलिये शारदा एक्ट के कानून

बन जाने पर भी उसका कोई विशेष परिणाम देखने में नहीं आया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत मंत्री से इस संबंध में प्रश्न किया गया, तो उन्होंने बताया कि अगस्त १९३२ तक २ वर्ष ५ माह के भीतर इसके अनुसार ४७३ मुकदमे चलाये गये, जिनमें से १६७ में दंड दिया गया, २०७ छूट गये, ६८ चल रहे हैं। सफल होने वाले मामलों में से केवल १७ में कैद की सजा-पूरी या अधूरी-दी गई। इस प्रकार के दंड से अंधविश्वासी जनता अपनी परंपराओं का त्याग कैसे कर सकती थी ?

इतना ही नहीं—सरकार ने पास होने के बाद जनता में उसका प्रचार करने के लिए जो छह महीने का समय दिया, उसका उपयोग स्वार्थी पुरोहितों और कर्ज देने वाले साहूकारों ने अपने फायदे के लिये किया। उन्होंने सर्व साधारण को इस संबंध में इतनी उल्टी-सीधी बातें समझाई कि लोग बड़े शंकित हो गये और बाल विवाहों की बाढ़ आ गई। छह महीने के भीतर ही ५ वर्ष से कम उम्र की वधुओं की संख्या २१ लाख से बढ़कर ८० लाख हो गई। इसी आयु की बाल-विधवाओं की संख्या भी १५००० से बढ़कर ३१००० हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि इन थोड़े-से महीनों में हजारों दुधमुँही बच्चियों की शादी जल्दी में कर दी गई, जो वर्ष भर के भीतर ही विधवा हो गईं।

इस कानून के इस प्रकार असफल होने का कारण यह था कि सरकार ने इसे कट्टरपंथी लोगों के विरोध के डर से डरते-डरते बनाया था और उसमें ऐसे नियम रख दिये थे, जिससे उसका उपयोग करना कठिन था। कानून भंग करने वालों पर सरकार की तरफ से मुकदमा नहीं चलाया जाता था, वरन् कोई पड़ोसी या सार्वजनिक कार्यकर्ता जब अदालत में अर्जी देकर इस प्रकार की घटना की शिकायत करता और सौ रुपया जमानत के रूप में जमा कर देता, तब मुकदमा चलाया जाता था। सर्व-साधारण का बहुमत पहले ही इस प्रकार के सुधार के पक्ष में न था, तब

थोड़े-से सुधारक देश भर में होने वाले लाखों विवाहों पर कहाँ तक निगाह रखते ? फिर सभा में भाषण देकर अथवा अखबार में लेख लिखकर किसी कुप्रथा का विरोध करना एक बात है और उसे मिटाने के लिए, तन, मन, धन से परिश्रम करना, लोगों का विरोध मोल लेना दूसरी बात है। इसीलिये आरंभ में कुछ लोगों को सजा मिल जाने पर भी, सुधारकों का यह उत्साह क्षणस्थायी सिद्ध हुआ और उसके बाद वर्षों में कभी एकाध बार ही इस प्रकार के मुकदमे का नाम सुनने में आने लगा।

बाल विवाह की हानियाँ छिपी हुई नहीं हैं। इससे विधवाओं की संख्या असंदिग्ध रूप से बढ़ती है और उसके फलस्वरूप समाज में तरह-तरह के दुराचारों की वृद्धि होती है। स्त्रियों के स्वास्थ्य पर इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है और उनकी संतान निर्बल, अस्वस्थ और हीनवीर्य होती है। ऐसी स्त्रियों को प्रदर आदि योनि रोगों का होना तो अनिवार्य है। इससे उनका स्वास्थ्य सदा के लिए निर्बल हो जाता है, वे जन्म भर किसी न किसी रोग के पंजे में फँसी रहती है, वे अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का कभी समुचित रूप पालन नहीं कर सकती और इस प्रकार परिवार तथा समाज के लिए भार रूप ही सिद्ध होती है।

शिक्षा-प्रचार में वृद्धि और स्त्रियों को समान राजनैतिक अधिकार मिल जाने से पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में उपर्युक्त अवस्था में स्वभावतः कुछ अंतर पड़ा है, पर अब भी पुरुषों और स्त्रियों में इस संबंध में कोई जागृति देखने में नहीं आती। अब चाहे बाल-वधुओं और बाल-माताओं की संख्या प्रतिशत कुछ घट गयी हो, तो भी लाखों कोमल, निरीह बालिकाएँ, इस बाल विवाह रूपी भयंकर राक्षस की दाढ़ों तले कुचली जा रही हैं। राजस्थान आदि प्रांतों की अनेक जातियों में तो अब भी एक-एक और दो-दो वर्ष की बच्चियों के विवाह साधारण बात समझे जाते हैं, पर उनको अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते हुए भी किसी को उन्हें मिटाने या रोकने

का खयाल नहीं आता। इनसे भी अधिक दुष्परिणाम पैदा करने वाले विवाह वे हैं, जो दस-बारह या पंद्रह वर्ष की लड़कियों के चालीस, पचास या साठ वर्ष के पुरुषों के साथ कर दिये जाते हैं। ऐसे विवाहों में लड़की का स्वास्थ्य नष्ट होना और दस-पाँच वर्ष में उसका विधवा होना सुनिश्चित होता है, तो भी खेद है कि लड़की के बदले रुपया के लालच से या लंबा-चौड़ा दहेज न दे सकने के कारण इस प्रकार के अनमेल विवाह पर्याप्त संख्या में होते रहते हैं।

भारतीय स्त्रियाँ भी इस संबंध में कम दोषी नहीं हैं। यद्यपि इस समय वे पुरुषों के समान राजनैतिक अधिकार पा गयी हैं और केंद्रीय मंत्री तथा प्रांतीय गवर्नर, राजदूत आदि जैसे सर्वोच्च पदों पर अधिष्ठित होती हैं, पर भारतीय बालिकाओं पर होने वाले इस आमामनुषिक अत्याचार को दूर करने की तरफ इन दिनों उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। इसका कारण यह हो सकता है कि समाज के जिस उच्च स्तर से वे संबंधित हैं, उसमें इस कुप्रथा का अंत हो चुका है, या वे इस प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्यों में इसलिये भाग लेना न चाहती हों कि इससे जनता के एक भाग में उनका विरोध होने लगेगा और फिर चुनाव के अवसर उनके वोटों में कमी पड़ जायेगी। कुछ भी हो सुशिक्षित और साधन संपन्न महिलाओं तथा पुरुषों का समाज का पतन करने वाली इस कुरीति की तरफ से उदासीन रहना कभी उचित नहीं कहा जा सकता।



समाज को शक्तिशाली बनाने वाली—शुद्धि-प्रथा

संसार में अनेक प्रकार की शक्तियाँ काम कर रही हैं और सभी महत्वपूर्ण कार्यों के सिद्ध करने में उनकी आवश्यकता पड़ा करती है। मानव जाति की दृष्टि से अन्य सब प्रकार की शक्तियों की अपेक्षा संगठन-शक्ति उच्च स्थानीय मानी जाती है, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य शारीरिक दृष्टि से हाथी, ऊँट, घोड़ा, बैल, भैंसा आदि अन्य अनेक प्राणियों से निर्बल होते हुए भी उन पर आधिपत्य स्थापित कर सका है। संसार में जिन जातियों अथवा समाजों ने उन्नति की है, वे सब संगठन की दृष्टि से अग्रगामी थे। इस प्रकार के संगठन का मुख्य आधार समाज के सब सदस्यों के हितों की रक्षा और प्रेम तथा न्याययुक्त व्यवहार ही है। इतिहास बतलाता है, प्राचीन समय में आर्य जाति अन्य जातियों से अधिक संगठित तथा अपने-पराये सबके साथ न्यायनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रसिद्ध थी। यही कारण है कि एक समय वह समस्त भूमंडल पर अपना डंका बजा सकी थी और अपनी संस्कृति का दूर-दूर तक प्रसार कर सकी थी। वेदों में स्थान-स्थान पर संगठन, एकता, सहयोग आदि का उपदेश दिया गया है और ऐसे नियमों पर चलने की प्रेरणा की गई है, जिनसे समाज के सब सदस्यों का हित साधन हो सके।

बहुत लोग प्राचीन समय के आर्यों पर, अनार्य जातियों पर अत्याचार करने, उन्हें शूद्र, चांडाल आदि नीच जाति का बना रखने का दोषारोपण करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, ईरान, मिश्र, बैबीलोनिया, असीरिया जैसे दूरवर्ती प्राचीन देशों में आर्यों ने अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार किया था और योरोप के सभी प्रधान देशों में आर्य जाति के वंशज अभी तक बसे हुए हैं, तो

उपरोक्त आक्षेप निराधार ही जान पड़ता है। जो लोग शत्रुता का व्यवहार करते थे और छल-बल से अनिष्ट करने को तैयार होते, उनका मुकाबला करना और उनको दंड देना तो राजनीति का नियम सदैव से रहा है, पर वैसे स्वभावतः यदि आर्य जाति संगठन, सहयोग, ऐक्य और उदार व्यवहार पर विश्वास रखने वाली न होती, तो उसका इतना विस्तार होना और समस्त विश्व में उसका प्रभाव व्याप्त होना कभी नहीं हो सकता था। इस संबंध में प्राचीन ग्रंथों और इतिहास के जो प्रमाण और उद्धरण मिलते हैं, उन सबसे यही सिद्ध होता है कि आर्य लोग अपनी जाति वालों से ही नहीं, अपने से नीची श्रेणी वालों के साथ भी सद्व्यवहार करते थे और उनको ऊँचा उठाकर, अपने में सम्मिलित कर लेते थे। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गये 'ऋग्वेद' में कहा गया है—

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः।

उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः।।

(ऋ०-१०, १३७, १)

“हे विद्वानो ! जो गिरते हैं उनको फिर उठाओ, जिन्होंने पाप किया है या जिनका जीवन मैला हो गया, उनको फिर से शुद्ध, श्रेष्ठ जीवन दो।”

यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः।

ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च।।

(यजु०-२६, २)

“जैसे मैं इस कल्याणयुक्त वाणी को संपूर्ण जनों के लिए उपदेश करता हूँ, वैसे ही तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अपने और परायों को इसका उपदेश करो।”

आ संयतमिन्द्रणः स्वस्तिं शत्रुतूर्याय बृहतीममृधाम्।

यया दासान्यार्याणि वृत्राकरो वज्रिन्त्सुतुका नाहुषाणि।।

(ऋ०-६-२२-१०)

“हे इंद्र ! हमें ऐसा बल दो कि उसके द्वारा हम अनार्य जातियों के मनुष्यों को सुधारकर आर्य बनाएँ। इस प्रकार शत्रुभाव का निराकरण करके, हिंसारहित और कल्याणकारी शक्ति का प्रादुर्भाव हो।”

**“इन्द्रं वर्द्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।
अपघ्नन्तो अरावणः ।”**

(ऋ०-६-६३-५)

“परमेश्वर के नाम को बढ़ाते हुए, सब संसार को आर्य बनाते हुए, स्वार्थियों को दबाते हुए हम अग्रगामी बनें।”

इस प्रकार के अनेक वेद मंत्रों के आशय पर ध्यान देने से यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज वर्तमान समय की तरह कृत्रिम जाति-भेद और ऊँच-नीच की व्यवस्था से सर्वथा अपरिचित थे और मनुष्य मात्र को एक ही परमात्मा की संतान मानकर प्रत्येक को उसके गुणकर्मानुसार ही महत्त्व देते थे। सज्जनों को सम्मानित करना और दुष्टों को दंड देना ही सच्चे धर्म का नियम हो सकता है। इसी का वेदों में सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है और ऐतिहासिकों ने तत्कालीन घटनाओं का जो वर्णन किया है, उससे भी यही प्रकट होता है कि आर्य जाति में सब मनुष्यों को समान समझने की भावना मौजूद थी। वे दुष्प्रवृत्तियों के कारण ही किसी व्यक्ति या समुदाय को नीच नहीं मानते थे और इस बात का प्रयत्न करते थे कि उन बुराइयों को दूर करके, उनको अपने समाज का एक अंग ही बना लिया जाए। यह वास्तविक शुद्धि थी, जिसका स्पष्ट आदेश हमको वेदों में प्राप्त होता है।

वैदिक ग्रंथों में ‘त्रात्य स्तोम’ के नाम से एक यज्ञ का विधान पाया जाता है। इस संबंध में श्रीमान् राजा रामकृष्ण भागवत ने ‘रॉयल एशियाटिक सोसायटी (बंबई शाखा) के मुखपत्र के २१ दिसंबर १८६६ के अंक में एक लेख छपाकर यह सिद्ध किया था कि इस यज्ञ का उद्देश्य अनार्यों को आर्य-धर्म में दीक्षित करने

का था। इस कर्मकांड का जो वर्णन सामवेद के 'तांड्य ब्राह्मण' (अध्याय १७) में मिलता है, उससे प्रकट होता है कि इस यज्ञ द्वारा एक बार में ३३ अनार्य और एक उनका सरदार, सब मिलाकर ३४ व्यक्ति शुद्ध करके आर्य बना लिये जाते थे और इसके पश्चात् उनको द्विजों के अधिकार दे दिये जाते थे। इस विधि से उस समय लाखों अनार्यों को शुद्धि-संस्कार करके, आर्य जाति में सम्मिलित कर लिया गया था।

वैदिक काल के पश्चात् स्मृति-काल में यद्यपि समाज का संगठन कुछ पेचीदा हो गया और वर्ण-व्यवस्था स्थायी होकर दो भिन्न वर्ण वालों के संयोग से नई-नई जातियों की उत्पत्ति होने लग गई, तो भी उस समय योग्य व्यक्तियों के ऊँचे उठकर सम्मानीय स्थान पर पहुँचने में कोई बाधा न थी। इस संबंध में विभिन्न स्मृतियों में जगह-जगह ऐसे वाक्य पाये जाते हैं, जिनमें नीची जाति वालों के ऊँची जातियों में सम्मिलित होने का विधान पाया जाता है—“रणवीर कारित प्रायश्चित्त” नामक ग्रंथ में भी 'व्रात्यों' का वर्णन किया गया है। उसमें व्रात्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—

“व्रात्य इति—व्रात शब्दादिवाच्येय प्रत्ययेन निष्पन्नः, यद्वा व्रात महतीति—व्रातं नीचकर्म 'दंडादिभ्योय' इतिव्रात्यः। शरीरायासजीवी व्याधादिकोऽष्टाविंशतिसंस्कारहीनो भ्रष्टगायत्रीकः। षोडशवर्षादूर्ध्वमप्य कृतव्रतबन्धो दानाद्यकर्ता द्विजो व्रात्य इत्यमर टीका राजमुकुटी।”

अर्थात् "व्रात्य (नीच कर्म) के योग्य जो हो, उसमें 'दंडादिभ्योयः' सूत्र के अनुसार 'य' प्रत्यय लगाकर 'व्रात्य' शब्द बनता है। इसका आशय यह है कि जो लोग विद्या, ज्ञान से परामुख होकर नीचे दर्जे की सेवा—टहल के काम करते हैं, अट्ठाईस संस्कारों से भ्रष्ट होकर व्याध, भारवाहक आदि का कर्म करते हैं, जिनका सोलह वर्ष की आयु तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ और दानादि नहीं करता, ऐसा व्यक्ति द्विज होने पर भी व्रात्य हो जाता है।

‘व्रात्य’ की यह व्याख्या अमरकोष की राजमुकुटी टीका में की गई है। ‘मनुस्मृति’ में भी इसी बात को कुछ भिन्न रूप में कहा गया—

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतास्तु यान्।

तान्सावित्री परिभ्रष्टान् व्रात्यामिति विनिर्दिशेत् ॥

(मनु०—१०-२०)

अर्थात् “जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पिता द्वारा समान जाति की स्त्री में ‘व्रत रहित’ उत्पन्न हों और गायत्री भ्रष्ट हों उनको ‘व्रात्य’ कहा जाता है।”

इस प्रकार आचार-विचार से पतित हो जाने के कारण ‘व्रात्य’ अथवा उनके पुत्र, पौत्र आदि वंशज अपनी त्रुटि को अनुभव करके, उसका प्रायश्चित्त करने और पुनः धर्मानुकूल आचरण करने की अभिलाषा करते थे तो उनको शुद्ध करके, पुनः द्विज का अधिकार देने की व्यवस्था, स्मृतिकारों ने की थी। इस संबंध में ‘आपस्तंब सूत्र’ में निम्न निर्देश पाया जाता है—

“यस्य प्रपितामहादेरुपनयनं न स्मर्यते, तत्रार्थादेतेषामपि पुरुषाणायःमनुपनीतत्वं, ते सर्वे श्मशानवदशुचि तेष्वगतेष्वभ्युत्थानं भोजनं च वर्जयेत् आपद्यपि न कुर्यादित्यर्थः। तेषां स्वयमेव शुद्धिमिच्छतां प्रायश्चित्तानन्तरमुपनयनम्।”

अर्थात् “जिन लोगों के प्रपितामह आदि पूर्वजों ने यज्ञोपवीत को त्याग दिया हो, उनको अपवित्र ही मानना चाहिए। वे श्मशान के तुल्य अशुचि हैं। उनका समान आदर-सम्मान करना अथवा उनसे आपत्तिकाल में भी खान-पान का संबंध रखना वर्जित है! यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छा प्रकट करें, तो उनसे प्रायश्चित्त कराके यज्ञोपवीत धारण करा देना चाहिए।” आगे चलकर कहा गया है कि “तत् ऊर्ध्वं प्रकृतिवत्” अर्थात् प्रायश्चित्त कर लेने तथा हीन आचरण त्याग देने पर वे अपने पूर्व वर्ण को प्राप्त कर लेते हैं।

मनुस्मृति (११-१८) में भी इसका समर्थन किया गया है और स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

“सर्वाणि ज्ञातिकर्माणि यथापूर्वं समाचरेत्।”

अर्थात् “शुद्ध हुआ पुरुष पहले की तरह अपने वर्ण के समस्त कर्मों को करे।” इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या प्रायश्चित्त करना चाहिए, इस संबंध में ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ का मत है—

उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा।

पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः।।

अर्थात् “इस प्रकार का उपपातक करने वालों की शुद्धि एक मास पर्यंत पंचगव्य का सेवन करने या चान्द्रायण या एक मास तक दुग्धाहार करने अथवा पराक व्रत से होती है।” इन चारों में से कोई उपयुक्त प्रायश्चित्त उस व्यक्ति की शक्ति देखकर कराना चाहिए, यह मनुस्मृति का निर्देश है।

धर्म-शास्त्रों ने यह व्यवस्था तो उन लोगों को शुद्ध करके पुनः समाज में सम्मिलित करने के लिए दी है, जिन्होंने स्वेच्छा से अथवा प्रमादवश हीन आचरणों को अपना लिया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आकस्मिक कारणों से विवश होकर भी बहुसंख्यक व्यक्तियों को धर्माचरण त्यागकर धर्म-विरुद्ध कार्यों को करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सभी स्मृतिकारों ने क्षम्य माना है और उनके लिए अपेक्षाकृत सरल प्रायश्चित्त बतलाया है—

देशभंगे प्रवासे च व्याधिषु व्यसनेष्वपि।

रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्धर्म समाचरेत्।।

(पाराशर स्मृति ७-४१)

“देश में उपद्रव हो जाने, प्रवास, व्याधि, आपत्ति में पड़ जाने पर किसी प्रकार शरीर और प्राणों की रक्षा करे और फिर अनुकूल समय आने पर प्रायश्चित्त करके धर्म का पालन करने लगे।”

तेषां प्रायश्चित्तं मासं पयोभक्ष्यं गामनुगच्छेत्
यश्चीर्णप्रायश्चित्तस्तं विशिष्टव्रतैरुपनयेयुः
यथा प्रकृतिर्ऋतुच्छदो विशेषात् ।

(हारीत स्मृति)

“देश के उपद्रव आदि में जिनका यज्ञोपवीत उतार लिया गया हो, उनके लिए यही प्रायश्चित्त है कि वे एक मास पर्यंत दुग्धाहार करें और गाय की सेवा करते रहें। इसके पश्चात् यज्ञोपवीत धारण करके पुनः निजवर्ण के कर्तव्यों का पालन करने लगें।” ‘देव स्मृति’ में इस विषय को विशेष रूप से लिखा है—

बलदासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डाल दस्युभिः ।

अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिंसनम् ॥ (१७)

उच्छिष्टमार्जनं चैव तथा तस्यैव भोजनम् ।

तत्स्त्रीणां तथा संज्ञभिश्च सह भोजनम् ॥ (१८)

कृच्छान्सवत्सरं कृत्वा सांतपनान् शुद्धिहेतवे ।

ब्राह्मणः क्षत्रियस्त्वर्धं कृच्छान् कृत्वा विशुद्ध्यति ॥ (१९)

मासोषितश्चरेद्वैश्यः शूद्रः पादेन शुद्ध्यति ।

अर्थात् “जिन व्यक्तियों को म्लेच्छों, चांडालों या अन्य विधर्मियों ने बलपूर्वक पकड़कर दास बना लिया और उनसे जबर्दस्ती गौ हिंसा आदि पापकर्म कराया, जूटे बर्तन मँजवाये और जूठन खिलाया, अपनी स्त्रियों के साथ सहगमन कराया और उनके साथ एक पात्र में खिलाया, तो ब्राह्मण एक वर्ष तक, क्षत्रियः छह मास तक, वैश्य एक मास तक तथा शूद्र एक सप्ताह तक कृच्छसांतपन करके शुद्ध हो सकता है।”

इस प्रकार किसी वर्ग में से राजी से या जबर्दस्ती धर्म-भ्रष्ट होने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने का विधान अनेक शास्त्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुराणों में तथा महाभारत आदि में ऐसे भी अनेक विवरण मिलते हैं, जिनसे

विदित होता है कि आर्यों के अभ्युत्थान के समय यहाँ के प्रसिद्ध जननेता दूर-दूर के देशों में अपनी संस्कृति का प्रचार करके, वहाँ के निवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करके अपने समाज को शक्तिशाली बनाते थे।

“भविष्य पुराण” (४-२१) में मिश्र देश (अफ्रीका) के निवासियों के ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित होने का उल्लेख है—

मिश्र देशोद्भवाम्लेच्छाः काश्यपेनैव शासिताः ।

संस्कृताः शूद्रवर्णेन ब्रह्मवर्णमुपागताः ॥

शिखा सूत्रं समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमम् ।

(भवि०-पु० ४-२०, ७२, ७३)

अर्थात्—“मिश्र देश में उत्पन्न म्लेच्छ शुद्ध होकर, उत्तम वेद पढ़कर व शिखा-सूत्र धारण करके ब्राह्मण पद को प्राप्त हो गये।”

यह वर्णन केवल पुराणों में ही नहीं पाया जाता वरन् इतिहास की खोज करने वाले विद्वानों के अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध है कि महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, जो उस प्रदेश में अत्यंत प्रभावशाली हैं और वेदों के पठन-पाठन में अग्रगण्य माने जाते हैं; वास्तव में मिश्र और आस-पास के प्रदेशों से आये हुए यहूदियों के ही वंशज हैं। अनेक सरकारी रिपोर्टों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है और ‘वैदिक संपत्ति’ नामक प्रसिद्ध हिंदी-ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है।

प्राचीन काल में हिंदू-धर्म का द्वार विदेशी और विधर्मियों के लिए किस प्रकार खुला रहता था, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मिलसा (भूपाल) में पाया गया गरुडध्वज पर खोदा हुआ शिलालेख है, जिससे विदित होता है कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात् जब तक्षशिला पर ‘एटिआल्कटस’ नामक यूनानी राजा का शासन था, तो उसने अपना ‘हेलियोडोरिस’ नामक राजदूत मध्यभारत के राजा भगभद्र के दरबार में भेजा था। उसने हिंदू-धर्म के उपदेश से प्रभावित होकर, उसे स्वीकार कर लिया

और कृतज्ञता स्वरूप भगवान् वासुदेव का एक मंदिर निर्माण कराया। उसी के सम्मुख उपर्युक्त गरुडध्वज वैष्णव धर्म के विधानानुसार स्थापित किया गया था।

इसी प्रकार ईरान (शाकद्वीप) से आये हुए 'मग' लोगों को भी ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित करके, देव-पूजा के कार्य पर नियुक्त किया गया था। इस संबंध में संवत् १०२८ शके का एक शिला-लेख मिला था, जो इस प्रकार है—

“देवोजीया त्रिलोकी मणिरयमरूणों यन्निवासेन पुण्यः शाकद्वीपस्सदुग्धाम्बुनिधि बलयितो यत्र विप्रामगास्थ्याः।”

“वंशस्तद्विजानां भ्रमि लिखित तनोर्भास्वतः स्वाङ्गमुक्तः, साम्बो यानानिनाय स्वयमिह महितास्ते जगत्यां जयन्ति।”

इससे जान पड़ता है कि 'मग' लोग शाकद्वीप (ईरान) के निवासी थे, उस समय वहाँ के ब्राह्मण देव-मंदिर में पुजारी का कार्य करना हीन समझते थे, इससे सांब ने उनको मंदिरों में पूजा करने का काम दे दिया। इतिहास से यह भी मालूम होता है कि सांब ने मुलतान के निकट एक सुवर्ण-मंडित विशाल सूर्य-मंदिर बनवाया था, उसी में 'मग' लोग पुजारी बनाये गये थे। बाद में ये सब ब्राह्मण वर्ग में ही शामिल होकर वर्तमान हिंदू-समाज के अंग बन गये।

उपरोक्त समस्त प्रमाणों और विवेचन कर ध्यान देने से स्पष्ट जान पड़ता है कि इस समय हिंदुओं में जो संकीर्ण जातीयता का भाव उत्पन्न हो गया है और जिसके कारण वे विदेशी और विधर्मियों को ही अस्पर्श्य नहीं समझते, वरन् अपने भी अधिकांश धर्म-बंधुओं को खानपान, रोटी-बेटी की दृष्टि से पराया मानते हैं, वह मुसलमानी शासन काल में ही वृद्धि को प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कई मुसलमान बादशाहों ने रिश्वत देकर कुछ हिंदू पंडितों से शास्त्रों में ऐसी भ्रष्टता करा दी है, जिससे हिंदुओं में फूट पैदा होकर,

वे पतित और निर्बल हो जाएँ। अन्यथा प्राचीन समय के जितने प्रमाण वेद, स्मृति, पुराण, इतिहासों के मिलते हैं, उन सबसे यही सिद्ध होता है कि तत्कालीन भारतीय बहुत उदार विचारों के थे और स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों दृष्टियों से संसार भर के लोगों को बिना किसी भेदभाव के धर्मोपदेश देकर, अपने में सम्मिलित कर लेते थे। इसीलिए संसार की अधिकांश जातियाँ उसके साथ सद्भाव रखती थीं और आरंभ में विजय की इच्छा से आक्रमण करने पर भी बाद में उनके साथ घुल-मिलकर एक हो जाती थीं। प्राचीन हिंदुओं की इसी उदार मनोवृत्ति के कारण आज यहूदी, ईरानी, सिथियन, शक, हूण, मग आदि अनेक जातियाँ वृहत्तर हिंदू जाति में इस प्रकार समा गई हैं कि यह जान सकना भी असंभव हो गया है कि हममें से कौन वास्तव में किस जाति का वंशज है। ऐसी दशा में जाति-पाँति का झूठा बड़प्पन रखना और उसके कारण हिंदू समाज को निर्बल करना सिवाय दुराग्रह और अज्ञान के कुछ नहीं कहा जा सकता।



हरिजनों का तिरस्कार—न्याय और विवेक का अपमान है

संसार में कदाचित् ही कोई ऐसा देश अथवा समाज हो, जिसमें थोड़ा-बहुत जाति अथवा श्रेणी भेद न पाया जाता हो। उनमें ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ का भाव भी पाया जाता है। किंतु यह भेद-भाव है केवल विद्या, बुद्धि, धन-दौलत तथा मनुष्य की अपनी विकसित अथवा अविकसित स्थिति के अनुसार, जन्म-जाति के अनुसार नहीं।

अमेरिका आदि देशों में यह भाव काले-गोरे के बीच पाया जाता है। इसका आधार यही है कि वहाँ की काली जाति विद्या,

बुद्धि तथा सभ्यता संस्कृति में गोरों की तरह विकसित नहीं है। स्वाभाविक है कि विकासशील गोरा वर्ग, उन्हें अपने से हेय तथा हीन समझे। अब उन काले वर्गों में से जो व्यक्ति अपने अध्यवसाय के बल पर उन्नत स्थिति पाते जा रहे हैं, उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। पढ़-लिखकर अपना विकास कर लेने पर भी वह इसलिए नीच ही समझा जाता रहे कि उसने काली जाति में जन्म लिया है ऐसी बात नहीं है। यद्यपि अब भी कुछ रूढ़िवादी व्यक्ति पुरानी लकीर पीटने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब यह प्रतिक्रिया अपवाद बनती जा रही है। इतना होने पर भी काले-गोरों के बीच छुआ-छूत का अभिशाप वैसा कभी नहीं रहा जैसा भारत के सर्वर्णों तथा अवर्णों के बीच पाया जाता है। अपने को श्रेष्ठ तथा ऊँचा मानने वाले गोरी जाति के लोग कालों को छूने तथा उनके हाथ का खाने-पीने में कभी भी घृणा नहीं करते रहे हैं।

इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील देशों में भी लार्ड, कामन्स तथा मजदूर वर्ग जैसी श्रेणी विभाजन पाया जाता है, किंतु वह है मनुष्यों की वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिकतर राजनैतिक क्षेत्र में ही। इसका आधार जाति-जन्म नहीं है।

भारतवर्ष का जाति-भेद तथा छुआ-छूत का स्वरूप कुछ अजीब ही है। यहाँ पर तथाकथित ऊँची जाति और नीची जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन भर ऊँचा अथवा नीचा बना रहता है, फिर चाहे वह अपने कर्मों से कितना ही गिर गया हो अथवा उठ गया हो ? सर्वर्ण जाति का कोई भी हिंदू किसी अवर्ण जाति के व्यक्ति को अपने पास बिठलाने, उसे छूने अथवा उसके हाथ की कोई चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, फिर चाहे सर्वर्ण व्यक्ति उस अवर्ण व्यक्ति से आर्थिक स्थिति तथा विद्या, बुद्धि में कितना ही नीचा क्यों न हो। भारत की हिंदू जाति में यह भेद-भाव तथा छुआ-छूत एक भयंकर अभिशाप है। इस अभिशाप से इस जाति को न जाने कितनी हानि उठानी पड़ी है और उठानी पड़ रही

है और यदि भेद-भाव की यह भयंकरता बनी रही तो आगे भी उठानी पड़ेगी। इसलिए सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में यही अच्छा होगा कि देश से यह छुआ-छूत का भूत शीघ्र ही भगा दिया जाए।

वैसे तो भारतवर्ष में नीची कही जाने वाली न जाने कितनी जातियाँ हैं, जो एक प्रकार से सवणों द्वारा तिरस्कृत, उपेक्षित तथा बहिष्कृत रहकर, एक निकृष्ट सामाजिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। किंतु इनमें से बहुतों के साथ गनीमत इतनी तो है कि उनको छूने अथवा उनके हाथ का पानी पी लेने में घृणा नहीं की जाती। वे किसी न किसी रूप से समाज में मिली-जुली हैं। किंतु दुर्दशा तो एक उस बड़े वर्ग की है, जिसे अंत्यज, अछूत अथवा हरिजन कहा जाता है।

हिंदू समाज में हरिजनों की संख्या एक तिहाई के लगभग होगी। किंतु हिंदुओं की यह लगभग एक-बटा-तीन संख्या अपने भाइयों द्वारा ही बहिष्कृत तथा तिरस्कृत बनी हुई नारकीय जीवन बिता रही है। हिंदुओं की यह एक तिहाई ताकत यों ही एक ओर पड़ी नष्ट हो रही है। निःसंदेह हरिजनों की दयनीय दशा हमारे हिंदू समाज पर ही नहीं, वरन् मानव जाति पर एक कलंक बनी हुई है। हरिजनों के सुधार का अर्थ होगा—समग्र हिंदू जाति का सुधार, संगठन तथा शक्तिशाली होना। इसलिये हिंदू समाज को इनके सुधार का यथासंभव हर उपाय करना चाहिए।

आज जब हम अमेरिका आदि देशों में काली जातियों पर अत्याचार की सूचनाएँ पढ़ते-सुनते हैं, तो गोरी जाति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि काली जातियों पर अत्याचार करना अथवा उन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार न देना, मानवता का अपमान है, मनुष्यता के प्रति अन्याय है। किंतु हम अपने ही गिरेबान में मुँह डालकर नहीं देखते और न सोचते हैं कि हमने हरिजन भाइयों की क्या दशा बना रखी है ? जब हम अपने ही एक वर्ग को छूने तक में घृणा करते हैं, उनके स्पर्श से हमारे

घर-द्वार, सामग्री तथा मंदिर, देवालय तक अछूत हो जाते हैं, तब हमें इस प्रकार दूसरों की आलोचना करने अथवा उन्हें उपदेश देने का क्या अधिकार है ? हम पहले अपने अंत्यज वर्ग से घृणा करना छोड़ें, तब किसी दूसरे की आलोचना करें, मनुष्यता की दुहाई देकर मानवता से पुकार करें।

‘मनुष्य मात्र एक है’—ऐसा हमारे धर्म-ग्रंथ ही पुकार-पुकार कर नहीं कहते, किंतु हमारा विवेक भी यही निर्णय करता है—कि संसार के सभी मनुष्यों को एक परमात्मा ने एक तरह से ही पैदा किया है, उन्हें एक जैसे ही हाथ-पैर, नाक-कान दिये हैं, तब मनुष्य द्वारा उनके बीच जन्म-जाति से ऊँच-नीच तथा छुआ-छूत का भेद करना कहाँ तक उचित है ? किसी को उसके कुकर्मों के कारण तो निकृष्ट अथवा घृणित माना जा सकता है, किसी वर्ग अथवा जाति विशेष में जन्म लेने के कारण नहीं। कर्मों के कारण से तो कोई भी ऊँचा कहा जाने वाला घृणित तथा नीचा कहा जाने वाला श्रेष्ठ माना जा सकता है। अनेक जातियों तथा श्रेणियों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु केवल जानकारी व पहचान के लिए, न कि ऊँच-नीच के वर्ग भेद के लिए।

सामाजिक, राष्ट्रीय तथा धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त यदि हरिजनों के प्रति व्यवहार का न्याय करें तो यही पायेंगे, उनके साथ हम वही कुछ कह रहे हैं, जो किसी मनुष्य को मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए। यदि यह घृणा मन ही मन में सीमित रहती तो भी अधिक कष्टदायक नहीं होती। किंतु यह तो बात-बात में हमारे व्यवहार में व्यक्त होती है। ऐसे सवर्ण एवं कुलीन हिंदू बहुत ही कम होंगे, जो हरिजनों से सीधे मुँह बात करते हों। उनसे सभ्यता तथा शिष्टता का व्यवहार करते हों। नहीं तो उससे ऐसा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया करते हैं, मानो वह उनका कोई बड़ा अपराधी हो। इस प्रकार का अकारण दुर्व्यवहार हरिजनों को कितनी पीड़ा देता होगा ? इसका अनुभव करना क्या जरूरी नहीं है ?

अब प्रगति का युग आरंभ हो गया है। संसार की सारी पिछड़ी जातियाँ प्रगति-पथ पर लाई जा रही हैं। उनके हितैषी हजार कष्ट सहकर भी उनको उठाएँगे, वे उठ रही हैं और आगे भी उठती जायेंगी। अपने हिंदू समाज को भी अब चेत जाना चाहिए और अपने हरिजन भाइयों के उद्धार में तन-मन-धन से लगकर अपने पर लगी संकीर्णता की कालिख को धो डालना चाहिए। हरिजनों की अवनत दशा समाज की निर्बलता बनी हुई है, जिसका लाभ उठाकर अन्य अनेक समाज हिंदू जाति को नगण्य ही नहीं, उसे मिटा डालने की योजनाएँ बनाये हुए हैं। यदि हिंदू समाज को संसार की यह दुरभिसंधि स्वीकार है, तब तो कोई बात नहीं और यदि वह यह चाहता है कि संसार में एक सबल, सशक्त तथा संगठित समाज बनकर रहे तो उसे अपने हरिजन भाइयों को अपनाना होगा, उनकी दशा सुधारनी होगी ? उन्हें उठाना होगा, उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित बना कर अपना एक अंग मानना होगा।

हिंदू जाति संसार में सबसे अधिक दयावान् जाति मानी गयी है। उसने बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक हानियाँ उठाकर अपने इस गौरव की रक्षा की है, अपनी इस विशेषता का प्रमाण दिया है। किंतु पता नहीं ऐसी दयावान् जाति अपने हरिजन भाइयों के प्रति ऐसी अमानुषिक क्रूरता का व्यवहार क्यों कर रही है ? उसे उनकी दयनीय दशा देखकर दया क्यों नहीं आती ? उनके प्रति वह आज भी पत्थर क्यों बनी हुई है ? उन्हें मानसिक तथा व्यावहारिक कष्ट देकर न जाने कौन-सा सुख पाती है ? चींटियों को चुगाने और साँपों, कुत्तों, गायों की पूजा करने वाली हिंदू जाति, हरिजनों से क्यों घृणा करती जा रही है—वास्तव में यह एक आश्चर्य की बात है। संसार का सर्वोपरि अहिंसावादी हिंदू समाज जो कि कृमि-कीट को भी पीड़ा पहुँचाने में अधर्म मानता है—हरिजनों को पीड़ा पहुँचाते समय अपनी अहिंसा का सिद्धांत क्यों भूल जाता है। यह और कुछ नहीं केवल भ्रम है, रूढ़िवादिता है, अंधकार है, जिससे अब हमारे हिंदू समाज को सजग हो ही जाना चाहिए।

हमें उत्साहपूर्वक हरिजनों के प्रति इस अस्पृश्यता का कलंक धो ही डालना चाहिए। इससे न केवल उनकी शक्ति ही बढ़ेगी बल्कि उनमें एक उपयोगी प्रगतिशीलता का श्रीगणेश होगा, जो प्रतिदिन बदलते संसार में उनके लिए बड़ी ही लाभकर सिद्ध होगी। आश्चर्य है कि ईसाईयों, मुसलमानों, पारसियों तथा ऐसी ही अन्य जातियों से संपर्क रखने में सवर्ण हिंदू हिचक नहीं करते, जबकि ये जातियाँ बहुत-से ऐसे काम करती हैं, जो कि हिंदुओं के लिए सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर बहुत हद तक प्रतिकूल पड़ते हैं, किंतु अपने ही भाई हरिजनों से संपर्क बढ़ाने में सकोच करते हैं। इसे अविवेकजन्य कुसंस्कार के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? आज भूमि के चप्पे-चप्पे से भेद-भाव मिटाया जा रहा है, रंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद और श्रेणी भेद को अमानवता कहकर दूर किया जा रहा है और समस्त मानव जाति को एक मानव समाज का नारा दिया जा रहा है, तब 'वसुधैव कुटुंबकम्' का उद्घोष करने वाला हिंदू समाज ही इस प्रगतिशीलता में, सो भी अपने ही अंग हरिजनों के प्रति पीछे क्यों रह जाए ?



समाज को खोखला होने से बचाया जाए

पिछले पृष्ठों पर हिंदू समाज में घुसी हुई दुर्बलताओं और कुरीतियों का दिग्दर्शन कराया गया है। यह इसलिए करना पड़ा कि रोग भले ही छोटा हो, पर उसकी उपेक्षा तनिक भी न की जाए, क्योंकि यदि उसके निवारण का उपाय न किया गया तो आगे चलकर वह घातक संकट का रूप धारण कर सकता है।

हिंदू-समाज में अच्छाइयाँ नहीं ऐसी बात नहीं। यदि कोई अच्छाई न होती तो इतने झंझावात, संकटों एवं आक्रमणों को सहते हुए, उसका अब तक जीवित रह सकना संभव न होता। संसार की कितनी ही सम्यताएँ अपना अस्तित्व खो चुकी, पर हिंदू-समाज सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अपना अस्तित्व अक्षुण्ण बनाये हुए है, इसका कारण उसकी मौलिक विशेषताएँ ही हैं। भारतीय दर्शन, नीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, समाज-रचना, वर्णाश्रम-धर्म, आस्तिकता, पुनर्जन्म, कर्मफल, पुण्य-परमार्थ, पतिव्रत और पत्नी व्रत-धर्म आदि कितने ही ऐसे तथ्य हैं, जिनके कारण हिंदू समाज का मस्तक सदा से ऊँचा रहा है और रहेगा।

किंतु पिछले दिनों जो विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं, उन्हें कम हानिकारक नहीं मानना चाहिए। समाज में कितनी ही ऐसी कुरीतियों का प्रवेश हुआ है, जिनके कारण हम भीतर ही भीतर खोखले हो गये और उसका प्रायश्चित्त खून के आँसू बहाते हुए करना पड़ा है। पिछले एक हजार वर्षों में विदेशियों के कितने आक्रमण हुए और कितने लज्जास्पद अपमानों और कितने रोमांचकारी अत्याचार-अनाचारों का शिकार होना पड़ा, इसे इतिहास का हर विद्यार्थी भली प्रकार जानता है। उन आक्रमणों का कारण

आक्रांताओं की शक्ति या वीरता नहीं, वरन् अपनी आंतरिक दुर्बलता ही मुख्य रूप से थी। यदि हम भीतर से संगठित और मजबूत होते तो अपने साधन इतने अधिक थे कि कोई बाहर वाला आँख उठाकर भी न देख सका होता।

कुछ शताब्दियों पूर्व भारत एशिया के अधिकांश भाग में सुविस्तृत था, बर्मा और लंका तो कल तक उसके अंग थे। जावा, सुमात्रा, बाली आदि देशों में तो भारतीय संस्कृति के चिह्न इतने स्पष्ट हैं, मानो वहाँ अभी भी भारत की आत्मा विद्यमान है। बौद्ध धर्म के रूप में भारतीय सभ्यता ने, राष्ट्रीयता ने सारे एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था, पर अब तो सिकुड़-सिकुड़ कर वह बहुत छोटे दायरे में सीमित हो गया। हिंदू धर्म संसार में सबसे छोटा ६० करोड़ लोगों का धर्म रह गया। जहाँ तक इन दिनों भारत की सीमा है, इसमें भी एक तिहाई से अधिक अन्य धर्म पनप रहे हैं। पाकिस्तान का बँटवारा तो कल परसों ही करना पड़ा। इस सबमें और किसी का रती भर भी दोष नहीं है। अपनी आंतरिक दुर्बलताएँ ही हैं, जो हमें नष्ट करती चली जा रही हैं।

यदि हमारी सामाजिक स्थिति स्वस्थ रही होती तो क्यों हर साल लाखों हरिजन ईसाई बनते, क्यों हजारों विधवार्ये विधर्मी बनतीं, क्यों करोड़ों पिछड़े हुए हिंदू फिर अपने धर्म में वापस आने के लिए तरस-तरसकर रह जाते। कोई विधर्मी यदि हिंदू धर्म में प्रवेश करें, तो हवन करा के चोटी रखने की औपचारिक क्रिया करके 'शुद्धि' होने की घोषणा तो कर देते हैं, पर उसके बच्चों के विवाह-शादी का कोई प्रबंध न होने, समाज में घुलमिल जाने की गुंजायश न होने से पुनः उन्हें विधर्मी होना पड़ता है। यदि ये दुर्बलताएँ अपने में से निकल जाएँ तो अगले दस वर्षों में ही हमारी जनगणना दूनी-तिगुनी हो सकती है।

विवाह-शादियों में होने वाले अपव्यय को यदि रोका जा सके और उस पैसे को पारिवारिक प्रगति के कार्यों में लगाया जा सके,

तो अपना समाज आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों की तुलना में ही पहुँच सकता है। आज तो स्थिति यह है कि हमारी एक तिहाई कमाई सामाजिक कुरीतियों के दावानल में ही जलकर खाक हो जाती है। पेट भरने के लिए मुश्किल से बच पाता है, फिर प्रगति के आयोजन किस प्रकार हों ? जो परिवार पिछले छह साल से हर साल एक-एक शादी करने में १०-१० हजार खर्च करता रहा है और ६० हजार की पूँजी गँवाकर खोखला हो गया है। यदि उसे इस विवशता में न फँसना पड़ता तो उस पूँजी से न केवल उस परिवार के सदस्य ही फलते-फूलते, वरन् उनके चालू रोजगार से अनेक दूसरों को रोजी-रोटी मिलती। गर्भपात करती फिरने वाली विधवाओं के लिए यदि पुनः विवाह करने का प्रतिरोध न रहा होता, तो हजारों-लाखों परिवारों में आज आनंद और उल्लास भरी हरियाली दीख रही होती। धर्म के नाम पर बर्बाद होने वाला धन यदि शिक्षा जैसे उपयोगी कार्यों में लग सका होता, तो देश के कोने-कोने में आज स्वर्ग अठखेलियाँ कर रहा होता।

सामाजिक कुरीतियाँ हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। विदेशी शासन चला गया, पर विजातीय अवांछनीय विचारधारा का शासन अभी भी हमारे ऊपर मौजूद है। बौद्धिक गुलामी की जंजीरों में अभी भी हम बुरी तरह जकड़े हुए हैं। इनसे जब तक छुटकारा न मिलेगा, तब तक हमारी ऐसी ही दुर्गति बनी रहेगी और उज्ज्वल भविष्य की आशा एक दिवास्वप्न एवं मृग-तृष्णा ही सिद्ध होगी।

प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की आकांक्षा यदि हम वस्तुतः कर रहे हों, तो आर्थिक उन्नति के प्रयास तक ही सीमित न रहकर, समाज निर्माण के लिए भी प्रयत्न करना होगा। संग्रहणी जैसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को कुछ भी खिलवाया-पिलाया जाए, उसका स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। सामाजिक कुरीतियों को संग्रहणी, तपेदिक खूनी बवासीर जैसे रोगों में ही गिनना चाहिए, उनके रहते उन्नति के लिए सारे प्रयत्न बेकार ही सिद्ध होते रहेंगे।

रोग का ठीक निदान आवश्यक है। तभी उसकी चिकित्सा हो भी सकती है। इस पुस्तक में देश और जाति को दुर्बल बनाने वाले रोगों का विश्लेषण इसलिए किया गया है कि विचारशील लोग उसकी भयंकरता को समझें और यह देखें कि अभ्यास में पड़ी हुई साधारण दीखने वाली कुरीतियों की भयंकरता कितनी अधिक है ? हम उनके आदी हो गये हैं। अफीमची को जैसे वह व्यसन आरंभ में एक साधारण-सी बात मालूम पड़ता है पर हानि का पता तब चलता है, जब वह अपना स्वास्थ्य पूर्णतया खो बैठता है। उसी प्रकार कुरीतियों में अभ्यस्त समाज को उसके सुधार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और न उसमें कुछ अखरने वाली ही बात प्रतीत होती है, पर जब विचारपूर्वक देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वह बुराई उपेक्षणीय एवं नगण्य नहीं वरन् प्राण घातक संकट की तरह भयंकर है।

हमारा एक बहुत बड़ा दोष यह है कि हमने सभी सामाजिक प्रथाओं को भी धर्म के एक अंग की तरह मान लिया है, जिनमें परिवर्तन करना मानो एक बड़ा पाप है। यह मान्यता हमारी बौद्धिकता का खोखलापन प्रकट करती है। सामाजिक प्रथाएँ सदा देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं। हमारे देखते-देखते गत ५०-६० वर्षों में विवाह शादियों की व्यवस्था में कई तरह के परिवर्तन हो गये। उस समय दुल्हा (वर) अनिवार्य रूप से लाल रंग का एड़ी तक लंबा झंगा पहनते थे और पालकी में चलते थे, पर आज वे कोट-पतलून पहिनकर मोटर में वधु का पाणिग्रहण करने जाते हैं। ऐसी ही और भी बहुत-सी तीज-त्यौहार संबंधी रस्में हैं जो धीरे-धीरे बहुत कुछ बदल गई हैं। पर जब कोई व्यक्ति समाज सुधार का नाम लेकर किसी परिवर्तन का सुझाव देता है, तो कितने ही लोग झूठ-मूठ धर्म गया, प्राचीन परंपरा नष्ट हुई कहते हुए बड़ा शोर मचाने लग जाते हैं। यही कारण है कि कितनी सामाजिक और धार्मिक परंपराएँ, जो अब असामयिक हो गई हैं, हानिकारक होने

पर भी प्रचलित हैं और इससे समाज की प्रगति में बहुत बाधा पड़ रही है।

हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि "लकीर के फकीर" बने रहना कोई प्रशंसा या गौरव की बात नहीं है। प्रगतिशील और ऊँचा उठने वाली जातियाँ समय के साथ ही चलती हैं, स्वयं अपना सुधार करके, दूसरों के लिए भी मार्ग दर्शक सिद्ध होती हैं। पर उसके विपरीत जो जाति छोटी-मोटी महत्त्वहीन परंपरा को बनाये रखने के लिए ही हाथ-पैर पीटती रहती हैं, वे समझदार लोगों द्वारा "कूप मंडूक" की पदवी पाती हैं।

सामाजिक कुरीतियों ने पिछले दिनों हमें बहुत कष्ट दिये हैं, अभी भी वे बहुत त्रास दे रही हैं और यदि उन्हें दूर न किया जा सका, तो आगे भी भयानक विपत्ति बनकर, वे हमें नष्ट करेंगी। अतएव समय रहते सँभलने और चेतने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को जितनी जल्दी, जितनी गंभीरतापूर्वक अनुभव किया जा सके उतना ही उत्तम है।

यह भूलना न चाहिए कि आंतरिक दुर्बलताएँ, बाह्य आक्रमण से अधिक घातक होती हैं। पिछले दिनों हम अपनी निज की दुर्बलताओं के कारण ही विविध कष्ट उठाते रहे हैं और अब भी हमारी प्रगति का मार्ग, उन्हीं के कारण अवरुद्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम गंभीरतापूर्वक आत्म निरीक्षण करें, अपनी दुर्बलताओं को ढूँढ़ें और उनके उन्मूलन के लिए संगठित रूप से सुव्यवस्थित प्रयत्न आरंभ करें।

युग निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसा ही क्रमबद्ध प्रयास जारी है। इस पुस्तक में प्रस्तुत कुरीतियों का दिग्दर्शन इसलिये कराया गया है कि हम अपने समाज में लगे हुए घुनों को ध्यानपूर्वक देखें और उनसे समाज-शरीर को खोखला होने से बचाएँ।



मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा

: युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय :



ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त करें :
http://hindi.awgp.org/about_us

- **विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता** : विचारों को परिसकृत और ऊँचा उठाने में समर्थ 3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान की शुरुआत की ।
- **वेद, पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार** : जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, षड् दर्शन, 20 स्मृतियाँ एवं 18 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वीं प्रज्ञा पुराण की रचना भी की ।
- **3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक** : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, समाज को सभ्य और समग्र विश्वराष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हजारों पुस्तकें लिखकर समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया ।
- **युग-निर्माण योजना के सूत्रधार** : जिन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी ।
- **वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता** : जिन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला 'ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक है" ।
- **'२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' के उद्घोषक** : जिन्होंने '२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' का नारा दिया तथा युग विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया ।
- **स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी** : जिन्होंने महात्मा गाँधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी "श्रीराम मत्त" के रूप में प्रख्यात हुए ।
- **गायत्री के सिद्ध साधक** : जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को रुढ़ियों और पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का आधार तथा सदबुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया ।
- **तपस्वी** : जिन्होंने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षों में सम्पन्न किया । प्रकृति प्रकोप को शांत कर अनिष्टों को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया ।
- **अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक** : जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोड़ों लोगों को आत्मियता के सूत्र में बाँधकर विश्व व्यापी 'युग निर्माण परिवार' - 'गायत्री परिवार' का गठन किया ।
- **समाज सुधारक** : जिन्होंने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पाँति प्रथा तथा परंपरागत रुढ़ियों की समाप्ति हेतु अद्भूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया ।
- **ऋषि परम्परा के उद्धारक** : जिन्होंने इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनर्स्थापना की । लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया ।
- **अवतारी चेतना** : जिन्होंने "थरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण" की अवतारी घोषणा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया और चेतना का ऐसा प्रवाह चलाया कि करोड़ों व्यक्ति उस ओर चल पड़े ।

गायत्री परिवार जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। **वसुधैवकुटुम्बकम्** की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है।

Free Download Complete Work Of Yugal Krishna Acharya, Founder of All World Gayatri Pariwar Books, Magazines, Articles, Stories, Poems, Great Personalities and many more at

www.vicharkrantibooks.org | www.awgp.org